# किसान-सुख-साधन

(किसानो तथा ग्राम-सुधारकोंके लिये अत्यन्त उपयोगी पुस्तक)

लेखक—

देवनारायण द्विवेदी

प्रकाशक—

काशी पुस्तक भण्डार,

चौक, बनारस।

प्रथम वार ] १९३९ [ मूल्य १)

"कांग्रेसके मतसे गाँवोके पुनः संगठनका आधार चर्खा और ग्रामोद्योगका पुनुरुज्जीवन है। इसीलिए अखिलभारतीय चर्खा संघ स्थापित किये गये हैं। इन दो संस्थाओंकी उन्नतिसे ग्रामोन्नति होगी। ग्रामोन्नतिका कार्य उतना सुन्दर नही है जितना वह पहले मालूम होता है। भारतमें शहरोंकी अपेक्षा गाँव बहुत अधिकहैं। आजकल लोग जब ग्रामोन्नतिकी बातें करते हैं तो उनके सामने उसके वे ही उपाय रहते हैं जो पाश्चात्य देशोमे काममें लाये जाते हैं। वे समझते हैं कि कल-कारखानोंकी उन्नतिके बिना ग्रामोन्नति सम्भव नही यदि कल-कारखानोंकी बदौलत गाँवोका सुधार किया गया तो देहाती जीवनका आकर्षण ही नष्ट हो जायगा। ग्राम-सुधार विभागके कार्यकर्ताओंका कर्तव्य है कि वे सेवाभावसे अपना काम करें और ग्रामोद्योगोको पुनरुज्जीवित कर ग्रामवासियोंको आर्थिक लाभ पहुँचावें।"

महात्मा गांधीजी

प्रकाशक—
काशी-पुस्तक-भण्डार,
चौक, बनारस।

मुद्रक—
सूर्य्यबली सिंह
खगेश प्रेस, बड़ा गणेश, काशी।

"कांग्रेसके मतसे गाँवोंके पुनः संगठनका आधार चर्खा और ग्रामोद्योगका पुनुरुज्जीवन है। इसीलिए अखिलभारतीय चर्खा संघ स्थापित किये गये हैं। इन दो संस्थाओंकी उन्नतिसे ग्रामोन्नति होगी। ग्रामोन्नतिका कार्य उतना सुन्दर नहीं है जितना वह पहले मालूम होता है। भारतमें शहरोंकी अपेक्षा गाँव बहुत अधिक हैं। आजकल लोग जब ग्रामोन्नतिकी बातें करते हैं तो उनके सामने उसके वे ही उपाय रहते हैं जो पाश्चात्य देशोंमे काममे लाये जाते हैं। वे समझते हैं कि कल-कारखानोंकी उन्नतिके बिना ग्रामोन्नति सम्भव नहीं यदि कल-कारखानोंकी बदौलत गाँवोंका सुधार किया गया तो देहाती जीवनका आकर्षण ही नष्ट हो जायगा। ग्राम-सुधार विभागके कार्यकर्ताओंका कर्तव्य है कि वे सेवाभावसे अपना काम करें और ग्रामोद्योगोंको पुनरुज्जीवित कर ग्रामवासियोंको आर्थिक लाभ पहुँचावें।"

महात्मा गांधीजी

# उपहार

श्री

तारीख....................१९

# विषय-सूची

पहला अध्याय



दूसरा अध्याय

तीसरा अध्याय

चौथा अध्याय



उपसंहार

# लेखक

देवनारायण द्विवेदी

यों तो जबसे कांग्रेस-सरकारकी स्थापना हुई है, और उक्त सरकारने गांवोका सुधार करने एवं किसानोकी उन्नतिकी ओर ध्यान दिया है, तबसे किसानोंपयोगी कई उत्तमोत्तम पुस्तकें निकल चुकी हैं; पर क्लिष्ट भाषा होनेके कारण तथा उन्नतिके अधिकतर विदेशी उपाय होनेकी वजहसे वे पुस्तकें सर्व-साधारणके उपयोगी नहीं हैं। प्रस्तुत पुस्तक उक्त बातोंकी पूर्त्ति करनेके लिए ही लिखी गयी है। यह पुस्तक अत्यन्त सरल भाषामें लिखनेका प्रयत्न किया गया है और उन्नतिके लिए प्रायः सब उपाय देशी बतलाये गये हैं जिनमें एक पैसा खर्च किये बिना कोई भी किसान बड़ी सरलतासे लाभ उठा सकता है और स्वावलम्बी बन सकता है। इस पुस्तकमें उपसंहारको छोड़कर कुल चार अध्याय हैं। पहले अध्यायमें जानकारीकी आवश्यक बातोंका संक्षेपमें उल्लेख किया गया है। इसमें यह दिखलाया गया है कि किसानोंकी बर्बादीका असली कारण क्या है, अन्य देशोकी अपनी सरकारें किसानोंकी उन्नतिके लिए कितना अधिक ध्यान रखती हैं किन्तु भारतकी विदेशी सरकारने इस कार्यमें किस प्रकारकी उदासीनता दिखलायी है। अन्तमें आगामी स्वराज

संग्रामपर भी एक नजर डाली गयी है। दूसरे अध्यायमें सफाई और स्वास्थ्यपर प्रकाश डाला गया है जो कि जीवनके लिए सबसे अधिक आवश्यक है। तीसरे अध्यायमें किसानोंकी आमदनी बढ़ानेके लिए सरल और सुख-साध्य उपाय बतलाये गये हैं। इसमें उपज बढ़ानेके उपाय, खाद बनानेकी रीतियाँ, अनेक तरहके फल आदि पैदा करके लाभ उठानेके तरीके, पशु-पालन आदि बतलाये गये हैं। चौथे अध्यायमें बचतके उपाय बतलाये गये हैं। इसमें सामाजिक कुरीतियोंकी बुराइयों,अपव्यय तथा आपसके मेलजोलसे काम करनेके लाभोंपर प्रकाश डाला गया है। अन्तमें उपसंहार लिखा गया है जिसमें बहुतसे आवश्यक स्फुट विषयोंका उल्लेख करते हुए किसानोपयोगी कुछ पुरानी कहावतें भी लिखी गयी हैं। पुस्तक कैसी है, इसका बहुत कुछ पता विषय-सूची देखनेसे ही चल जायगा। आशा है कि इस पुस्तकको हमारे देशके किसान तथा किसानोंका सुधार करनेवाले शिक्षित-जन पसन्द करेंगे। किमधिकम्।

बड़े गणेश, काशी।<br>
शुद्ध श्रावण कृष्ण द्वितीया<br>
१९९६

देवनारायण द्विवेदी

# किसान-सुख-साधन

## पहला अध्याय

### पूर्वाभास

हमारा देश भारतवर्ष है। समूचा देश १४ प्रान्तोंमें विभक्त है। हर प्रान्तमे एक गवर्नर रहता है, जो राज्यकार्य करता है। देशभरमें कुल सातलाखके करीब गांव हैं। सन् १९३१ की मनुष्यगणनाके अनुसार समूचे भारतकी आबादी लगभग पैंतीस करोड़ है। इनमें अंग्रेजी राज्य और देशी रियासतें दोनों शामिल हैं। कहनेके लिए तो देशी रियासते हैं, पर वे भी अङ्गरेजोंके हाथकी कठपुतली बनकर कठोर और कर्त्तव्यहीन हो रही हैं। हमारे देशमें प्रधान व्यापार खेतीका है। खेतीकी ही आमदनीपर बड़े बड़े शहर टिके हुए हैं और उसीसे छोटे-बड़े, अमीर-

गरीब, सबका भरण-पोषण होता है। किन्तु समयके फेरसे जो किसान समूचे देशके अन्नदाता हैं, आज उन किसानोंके कष्टोंकी सीमा नहीं है। वे स्वयं अनाज पैदा करते हैं, पर भर-पेट भोजन नहीं पाते, आवश्यकतानुसार वस्त्रके लिए तरसते रहते हैं। जिन किसानोंके यहां सदा घी-दूधकी नदियां बहा करती थीं, उन किसानोंको दूध-घीका मिलना तो दूर रहा, पेटभर अन्न भी नहीं मिलता। उनके बच्चोंके लिए दूधके लाले पड़े हुए हैं। वे अपनी अज्ञानताके कारण यह भी नहीं जानते कि उनके कष्टोंका असली कारण क्या है।

इसलिए सबसे पहले हम इस बातका उल्लेख करेंगे कि भारतीय किसानोंकी इस दयनीय दशाके असली कारण क्या हैं। प्रधान कारण है विदेशी राज्य। मुसलमानी राज्यके बाद अङ्गरेजी सलतनत कायम हुई। शुरू शुरूमें अङ्गरेजोंने किसानोंसे वही लगान वसूल किया जो मुसलमानी राज्यमें था। फर्क इतना था कि मुसलमानी राज्यमें जो कर नियत था, वह पूरा पूरा वसूल नहीं किया जाता था, किन्तु अङ्गरेजलोग पाई पाई वसूल कर लेते थे। उसके बाद अङ्गरेजोंने भूमिकर बहुत बढ़ा दिया। इसके सिवा वे अपनी आय बढ़ानेके लिए किसानोंकी इच्छाके विरुद्ध परती जमीन जोतनेके लिए विवश करने लगे। परिणाम यह हुआ कि अभागे भारतीय किसानोंको परती जमीनके जोत-बो न सकनेपर भी उसका लगान चुकाना पड़ता था। इससे उनपर करका भार बहुत अधिक हो गया।

जमींदारी प्रथा

इसके साथ ही अङ्गरेजोंने भारतमे जमींदारी प्रथा कायम कर दी। ऐसा इसलिए किया गया कि जिसमें भूमिकर वसूल करनेमें उन्हें विशेष परेशान न होना पड़े और जमींदारलोग सब वसूल करके एक मुश्त रकम दे दिया करें। परिणाम यह हुआ कि जमींदारलोग स्वतंत्रतापूर्वक गरीब किसानोसे रुपया वसूल करने लगे और अङ्गरेज सरकारको वेखटके भूमिकर देकर उनके खैरख्वाह बनने लगे। इस प्रकार वे जमींदार भारतीय किसानोसे केवल भूमिकर ही वसूल नहीं करते थे बल्कि नजराना आदि भी लेने लगे। यदि वे घोड़ा हाथी भी खरीदते थे तो उसका रुपया किसानोंको चुकाना पड़ता था। जमींदार साहबके घोड़े हाथीके लिए किसानों-को चन्दा देना पड़ता था। यदि जमींदारोके यहां व्याह भी पड़ता था तो नचौनेके रूपमें किसानोंको रुपया देना पड़ता था। इससे व्याहका खर्च बाद देकर कुछ रुपया उनके पास बच जाता था।

किन्तु दुःख है कि जमींदारवर्ग निष्ठुरतासे वसूल किये हुए किसानोके उन रुपयोंको अपनेहीतक सीमित न रख सका। क्योंकि यदि वह ऐसा भी कर सका होता तो चूंकि वह वर्ग भारतका ही है, इसलिए राष्ट्रकी सम्पत्ति बनी रहती और वह कभी-न-कभी किसी न-किसी रूपमे देशके काम आती। उसने उन रुपयोंको अपना शौक पूरा करनेमें अङ्गरेजोंके हवाले कर दिया। कुछ रकम वे भेंटके रूपमे अङ्गरेज अफसरोको देते थे ताकि वे उनकी नजरोंमें खैरख्वाह बने रहे और कोई उपाधि दे दें तथा बहुतसी रकम वे विदेशकी फालतू चीजें खरीदकर अपना शौक पूरा करनेमे खर्च कर डालते थे। इस प्रकार भारतीय किसानोके परिश्रमकी कमाई समुद्र पार भेजनेमे जमींदार वर्ग भी सहायक बन गया।

उद्योग धन्धे का सर्वनाश

भारतके गांवोंमें पहले उद्योगधन्धेकी कमी नहीं थी। यहांके किसान खेतीके अलावा बेकारीके समयमें तरह तरहकी चीजें तैयार करके विदेशोंमें भेजते थे और करोड़ों रुपया पैदा करते थे। किन्तु अपना फायदा सोचनेवाली अङ्गरेज सरकारसे यह सहा नहीं गया; इसलिए वह यहांका उद्योग-धन्धा नष्ट करनेपर उतारू हो गयी। इसके लिए उसे बहुतसे कारीगरोंके हाथतक कटवाने पड़े थे। फल जो होना था वही हुआ। लोग भयभीत हो गये, उद्योग-धन्धा करना गुनाह समझने लगे। इस प्रकार जहां भारतका बना हुआ कपड़ा आदि दूसरे देशोंमें जाता था वहां दूसरे देशोंका सामान भारतके बाजारोंमें आकर बिकने लगा और धीरे धीरे कुछ ही दिनोंमें विदेशी व्यापारने हिन्दुस्तान-पर अपना पूर्ण अधिकार जमा लिया। भारत केवल उपजाऊ भूमि बन गया। फल यह हुआ कि जहां समूचे भारतमें किसानों-की संख्या ५०-५५ प्रतिशतसे अधिक नहीं थी, वहां कारीगरीकी चीजें नष्ट हो जानेके कारण वह संख्या बढ़कर ८० फीसदी हो गयी।

उपज की कमी

किसनोंके कङ्गाल होनेका एक कारण खेतोंकी उपज शक्तिका घट जाना भी है। इसका भी प्रधान कारण गवर्नमेंन्ट ही है। क्योंकि फौजके लिए पशुओंका कत्ल शुरू हो गया। वह भी गाय-बैलका अधिक होने लगा। हट्टे-कट्टे और तन्दु-रुस्त पशु लाखोंकी संख्यामें प्रतिदिन काटे जा रहे हैं। इससे पशुओंकी संख्या बहुत कम हो गयी। सरकार हर पांचवें साल

पशुओंकी गिनतीके आंकड़े प्रकाशित किया करती है। उन्हें देखने से पता चलता है कि जहां अन्यान्य देशोंमें जो कि कृषिप्रधान देश नहीं हैं—दिनोंदिन पशुओंकी संख्या बढ़ रही है, वहां अभागे भारतवर्षमें बराबर तेजीके साथ पशुओंकी संख्या घट रही है। इससे अच्छी नस्लके बैल दिन-पर-दिन लोप होते जा रहे हैं। जिस प्रकार कई किस्मके घोड़ोका निशान संसारसे मिट गया, उसी तरह यदि यह अङ्गरेजी राज्य कायम रहा तो बैलोंकी भी अच्छी नस्लें लुप्त हो जायँगी।

इसका भयंकर परिणाम यह हो रहा है कि अव्वल तो किसान अच्छी नस्लके बैल महँगे होनेके कारण खरीदते ही नहीं—मामूली और कमजोर बैल लेकर काम चलाते हैं, दूसरे यदि वे अच्छी नस्लके बैल लेते भी हैं तो पूरी खूराक न दे सकनेके कारण कुछ ही दिनोंमें उन्हें कमजोर बना देते हैं। दोनोंका फल एक ही हो रहा है। बैलोंकी कमजोरीके कारण खेतोंकी जोताई ठीकसे नहीं हो रही है, इससे खेतोंकी उपजका घट जाना स्वाभाविक है। पैदावार घटनेपर पशुओंकी कमीका दूसरा प्रभाव यह भी पड़ रहा है कि अब उतना गोबर जमीनको नहीं मिल रहा है जितना पहले मिलता था। जब उतने पशु हैं ही नहीं तब उतना उनका मल कहाँसे मिलेगा ? सरकारी अमलदारीमें जंगल काट काट कर खेत बना दिये गये, चारागाह नष्ट कर दिये, इसलिए भारतवासियोंके लिए एक गायका रखना भी भारी मालूम होने लगा। एक ही गाय रखनेमें इतना अधिक खर्च पड़ जाता है कि साधारण गृहस्थकी हिम्मत छूट जाती है। पहले इफरात गोचर-भूमि थी, सबलोग झुंडकी झुंड गायें पालते थे, वे दिनभर चरकर

मस्त रहती थीं। मुफ्तमें दूध-घी देती थीं, अच्छे अच्छे बैल देती थीं तथा अपने गोबर और मूतसे खेतोंकी पैदावार, बढ़ाती थीं। उधर जंगलोंके कट जानेसे देशमें वर्षाकी कमी हो गयी। वैज्ञानिकोंका कहना है कि जिस देशमें वृक्षोंकी अधिकता रहती है, उस देशमें पर्याप्त वर्षा होती है। जान पड़ता है कि हमारे यहां जो वृक्ष लगानेका माहात्म्य लिखा हुआ है उसका एक कारण यह भी है। उचित मात्रामे वर्षा न होनेके कारण खेतीको नुकसान पहुँचना मामूली बात है।

जंगलोके कट जानेसे एक नुकसान और हुआ कि पहले घर बैठे जरूरतकी लकड़ी पासके जंगलोसे मिल जाती थी, किन्तु अब घर बनानेके लिए भी यदि थोड़ीसी लकड़ीकी जरूरत पड़ती है तो कुछ ही लोग ऐसे हैं जो अपने पासके पेड़ोंसे काम चला लेते हैं नहीं तो अधिकतर लोगोंको दूरके जंगलोसे लकड़ी मँगानी पड़ती है। इससे किसानोंका या भारतवासियोंका पैसा रेल-भाड़ेके रूपमें विदेश चला जाता है। इस लावारिस देशमें प्रतिदिन पेड़ कटते जाते हैं, पर उतने लगाये नहीं जा रहे हैं। जर्मनीमें इस आशयका एक कानून है कि जिस दिन राजाका जन्म-दिवस हो उस दिन प्रत्येक पुरुष और स्त्रीको एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। किन्तु इस भाग्यहीन देशमे ऐसे कानून कौन बनावे ?

वृक्षोंकी कमीका प्रभाव खेतीपर भी पड़ रहा है। वह इस तरह कि पेड़ोंके पत्तोंसे भी जमीनको जो खूराक मिलती थी वह अब नहीं मिल रही है। मिलती भी है तो पहलेकीसी नहीं। साधारण नियम यह है कि खेतोंसे जितना लिया जाय, किसी-न-किसी रूपमें उसमे उतना ही डाला जाय। तभी जमीनकी उर्वरा

शक्ति बनी रहती है। किन्तु यहां इस ओर ध्यान ही नहीं है। ध्यान दे कौन ? यह सब काम तो सरकारका है और सरकार विदेशी होनेके कारण भारतकी बर्बादीमें ही अपनी पुष्टता समझ रही है। लकड़ीको कमी होनेके कारण एक नुकसान यह भी हो रहा है। कि जलानेके लिए बहुतसे स्थानोंपर गोबरके कंडे काममें लाये जाते हैं। गोबरकी खाद कितनी अच्छी होती है, इसे सब-लोग जानते हैं।

भारत-भूमिसे पैदा हुए अगणित पदार्थ रेलो और जहाजोंके द्वारा विदेशोमे भेजे जा रहे हैं, पर उनके स्थानपर यहांके खेतोंको क्या मिल रहा है ? विदेश जानेवाली लाखों टन चीजें, जैसे अंडी, सरसो, अलसी, चमड़ा, हड्डियां, मूग, गेहूं आदि वस्तुएं यदि अपने देशमें ही खपती तो उनसे किसी-न-किसी रूपमें जमीनको ताकत भिलती जाती। परन्तु सैकड़ो वर्षोंसे हम खेतोंसे पौष्टिक चीजें लेते रहे और उनके बदलेमें उन्हे पूरी चीज लौटाते नहीं। जमीनसे फूल-फल, फसल, नमक आदिके रूपमें जितनी चीजें हमे मिलती हैं, उन्हे मनुष्य या पशु खाते पीते हैं। इससे उनका अंग बनता और बढ़ता है। इस बीचमें मल-मूत्रके रूपमें वे जो तत्त्व बाहर निकालते हैं वे खेतोमें या तो सीधे पहुँचते हैं या घूम फिर-कर कुछ दिनोमे पहुँचते हैं। परन्तु उन चीजोका जो तत्त्व मांस और हड्डियाँ बननेमे लग जाता है, वह तत्त्व प्राणीके मरनेपर इन दोनों चीजोके मिट्टीमे मिल जानेके बाद जमीनको प्राप्त होता है। कुछ तो जलकर, कुछ कब्रमें सड़-गलकर और कुछ जलमें घुलकर या खेतोमें पड़े पड़े मिट्टीमें मिल जाता है। इस प्रकार खेतोका निकला हुआ तत्त्व पुनः उसे प्राप्त हो जाया करता है, जिससे

खेत उपजाऊ बने रहते हैं। किन्तु कच्चा माल विदेश भेजकर हम अपने खेतोंकी उपजाऊ शक्ति भी देशसे बाहर भेजते जा रहे हैं। हड्डीकी खाद बड़ी जोरदार होती है। हड्डीमें 'फास्फोरस' रहता है जो अन्नमें ओज लाता है। इसकी कमी होनेसे अधिक मात्रामें अन्नके खानेपर भी वह उतनी पुष्टि नहीं देता। पहले हमारे अन्नका फास्फोरस पूरा पूरा बना रहता था; किन्तु धीरे धीरे आस्ट्रेलिया, जावा आदिके खेतोंको उपजाऊ बनानेके लिए यहांसे हड्डियां भी बाहर भेजी जाने लगीं। गाँवोंमें गरीबलोग जगह जगहसे हड्डियां बीनकर सिर्फ अपनी मजदूरीके दामपर ठीकेदारोंके हाथ बेच देते हैं। वे हड्डियां स्टेशनोंपर जमा की जाती हैं और रेलें हर प्रान्तसे हजारों टन रोजाना लाद लादकर बन्दरगाहोंपर जहाजोंके हवाले कर आती हैं। इस रफ्तारसे यहांकी खेतीकी उपजाऊ शक्ति दिनपर दिन कम होने लगी और आज पैदावार इस दशाको पहुँच गयी है कि पहलेकी पैदावारसे अबकी पैदावारका मिलान करके किसान हताश हो जाते हैं।

रेलोंकी धमकसे भी खेतोंकी उपज-शक्ति कम हो गयी है। इन बातोंको यदि अच्छी तरह समझानेका प्रयत्न किया जायगा तो पुस्तक बहुत बढ़ जायगी। इसलिए थोड़ेमें हम इतना कहना चाहते हैं कि रेलवे लाइनके समीपवाले गाँवोंके लोग बतलावें कि यह बात सही है या गलत ?

**कच्चे मालकी रफ्तनी और पक्के मालकी आमदनी**

इससे देशका तो नुकसान हुआ ही है, पर अधिक नुकसान किसानोंका हुआ है। थोड़ेमें इसे यों समझाया जा सकता है कि भारतीय किसान

रुपयेकी चार सेर रुई बाहर भेजता है। यही उसका कच्चा माल हुआ। विदेशवाले उस एक रुपयेकी चार सेर रुई जहाज और रेलद्वारा अपने देशमे ले जाकर कपड़ा बनाते हैं और फिर उसे भारतमें भेज देते हैं। यही विदेशका पक्का माल कहलाता है। परिणाम यह होता है कि यहांका किसान एक रुपयेकी दी हुई रूईका कपड़ा विदेशसे सात रुपयेमे खरीदता है। यदि वह कपड़ा यहीं तैयार किया जाता तो भारतको एक रुपयेका माल बेचकर उसे ही सात रुपयेमें न खरीदना पड़ता।

इस आयात और निर्यातसे किसानोका दूसरा नुकसान यह भी हो रहा है कि बेचनेमें उसे पूरा दाम नही मिलता और खरीदनेमे उसे अधिक दाम देना पड़ता है। क्योंकि शहरोंके बड़े बड़े-व्यवसायी बीचमें दलाल हैं। वे ही किसानोंका माल खररीदकर विदेश पहुँचाते हैं और विदेशका माल लाकर किसानोंतक पहुँचाते हैं। इस प्रकार दोनो सूरतमें वे बैठे-बिठाये अपनी गहरी दलाली वसूल किया करते हैं। यदि सरकार यहांके उद्योग-धन्धेका सर्वनाश न किये होती तो ये व्यवसायी दलालीके काममे लगकर अपनी सारी प्रतिभा किसी ठोस और देशको उन्नत बनानेवाले काममें लगाते। परिणाम यह होता कि कच्चा माल थोड़े दामोंमें देकर जो हमें पक्का माल अधिक दामोंमें खरीदना पड़ रहा है, उसकी आवश्यकता ही न रहती और हमारी खरीद-बिक्री अपने देशके ही लोगोंमें हुआ करती। इस प्रकार देशका सब पैसा देशहीमें रह जाता।

---

एक्सचेंज या विनिमय नीति*

'सौ महामाई न एक महाबप्पा'। यह वह जहरीली सुई है कि बदनको छूते ही प्राण ले लेती है। अङ्गरेजोंने एक्सचेंजकी कुंजी घुमाकर देशका—खासकर किसानोंका जितना सर्वनाश किया है, उसकी याद करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तारीफ तो यह है कि इस नीतिसे काम लेकर सरकार न्यायी भी बनी रहती है और बिना हाथ हिलाये देशका धन रूपी प्राण भी बड़ी आसानीसे खींच लेती है। एक्सचेंज कहते हैं विनिमयको। सरल शब्दोंमें यों कहना चाहिए कि संसारमें रुपयेकी कीमत बाँधनेको एक्सचेंज कहते हैं। हर देशके सिक्के प्रायः अलग अलग होते हैं और वे दूसरे देशोंमें नहीं चलते। इसलिए उनकी दर बांध दी गयी है कि फलां देशके इतने सिक्के फलां देशके इतने सिक्कोंके बराबर माने जायँगे। यदि ऐसा न किया जाय तो किसी भी देशको दूसरे देशसे लेनदेन करनेमें बड़ी असुविधा हो। मान लीजिये कि हम अमेरिकासे मोटर मँगाना चाहते हैं। वहांका कारखानदार मोटर का दाम अपने यहांके सिक्केमें मांगेगा। अमेरिकाका सिक्का है डालर। उसने मोटरका दाम एक हजार डालर माँगा। यदि एक्सचेंजका प्रचलन न हो तो हम डालरका क्या अर्थ समझेंगे? और उसे देनेके लिए हम डालर कहां पावेंगे? क्योंकि हमारे यहाँका सिक्का तो रुपया है। इसी प्रकार यदि अमेरिका भी हमारे यहांसे कोई चीज मँगाना

---

* यह विषय बड़ा ही गंभीर है। इसका विस्तृत वर्णन 'देशकी बात' नामकी पुस्तकमें किया जा चुका है। —लेखक

चाहेगा तो उसे भी वही कठिनाई पड़ेगी जो हमें। न भारतका रुपया अमेरिकामें चल सकता है और न अमेरिकाका डालर भारतमें सिक्केका चलना तो दूर रहा, पहले हम किसी चीजकी कीमत ही कैसे समझ सकेंगे ? अमेरिकाका व्यवसायी अपनी चीजका मूल्य डालरमे बतलावेगा और हम अपनी चीजका मूल्य रुपयोंमें बतलावेंगे। ऐसी दशामे न तो डालरका अर्थ हम समझ सकेंगे और न रुपयेका अर्थ वहांके लोग।

यह बात सबलोगोको मालूम है कि भारतका सिक्का रुपया है और ब्रिटेनका पौंड। संसारके सब लेनदेन लन्दनके बाजारोंमे पौंडोमे चुकाये जाते हैं। इसलिये पौडके साथ रुपयेकी जो दर हो या अन्य देशके सिक्कोंकी जो दर हो वही उस देशके व्यापारको घटाती या बढ़ाती है। भारतके रुपयेकी कीमत विलायतके सिक्केमें एक शिलिंग चार पेंस है। एक शिलिंगमें बारह पेंस होते हैं, इस-लिए एक रुपया सोलह पेंसका हुआ। अर्थात् एक आना एक पेंस-का हुआ। एक शिलिंगमें बारह आनेका हुआ। एक पौंडमें बीस शिलिंग होते हैं। इसलिए पौंड पन्द्रह रुपयेका हुआ। सरकारने इस दरको कभी स्थिर नहीं रखा। वह मौका देखकर हमेशा इसकी दर बदलती रही। बहुत पहलेकी बात है, पौंड साढ़े सात रुपयेका था। सरकारने उसका भाव बढ़ाकर पन्द्रह रुपयेतक कर दिया। फल यह हुआ कि भारतको अरबों रुपयेका नुकसान हो गया। यदि शुरूसे अबतकका हिसाब लगाकर देखा जाय तो मालूम होगा कि सरकारने इसकी दर घटा बढ़ाकर भारतका अपार धन खींच लिया है। एक्सचेंजकी दर घटा बढ़ाकर सरकार किस प्रकार भारतका सर्वनाश किया करती है, इसे इस तरह समझिये;—

मान लीजिये कि भारतका पन्द्रह रुपयेका माल इङ्गलैंडमें गया। विदेशी सौदे सब पौंडके हिसाबसे होते हैं, इसलिए जिस मालका दाम एक पौंड होता है, उसका मूल्य भारतको पन्द्रह रुपया मिलनेवाला था। अचानक गवर्नमेंटने पौंडकी दर तेरह रुपयेकी कर दी। परिणाम यह हुआ कि जिस मालका दाम भारतको पन्द्रह रुपये मिलते उसका सिर्फ तेरह रुपये मिले। इस प्रकार एक्सचेंजकी कुँजी घुमाकर सरकार बराबर हमारे देशका धन लूटा करती है। एक्सचेंजको दोधारी तलवार समझना चाहिए। इसके द्वारा सरकार दोनों तरहसे भारतका ही गला काटा करती है। अर्थात् जब भारतपर इङ्गलैंडका पावना रहता है तब तो वह इसकी कुंजी घुमाकर भारतसे एककी जगह सवा रुपया ले लेती है और जब भारतका पावना इङ्गलैंडपर रहता है, तब भी वह इसकी कुंजी घुमाकर भारतको एक रुपयेकी जगह बारह आना देकर खाता डेवढ़ कर देती है। घूम-फिरकर इसका प्रभाव पड़ता है अभागे भारतीय किसानोंपर। क्योंकि देशकी असली सम्पत्ति तो किसान ही हैं।

यहां यह बात कही जा सकती है कि यदि ऐसी बात है तो भारत दूसरे देशवालोंके साथ व्यापार ही क्यों करता है? बात तो बिलकुल सही है; पर ऐसा करनेसे भारतका निर्वाह नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे देशको विदेशी सरकारने हर तरहसे निकम्मा और दूसरेका मुंह देखनेवाला बना दिया है। विलायती टाइपराइटर, मोटर, घड़ी, हवा, तरह तरहके औजार, शृंगारकी विभिन्न वस्तुएँ, खिलौने आदिके बिना हमारा काम नही चल सकता। इसके सिवा यहांके हाकिमोंकी भी तनख्वाह हमें चुकानी पड़ती है।

भारत-सरकारद्वारा लड़ाइयोंके लिए लिये गये कर्जोंका सूद भी हमें चुकाना पड़ता है। ऐसी दशामें हम अपनी गाढ़ी कमाई-का माल फूँककर अपना काम चलानेके लिए विवश हैं। इसलिए भारतके, किसानोंकी गरीबीका जबर्दस्त कारण सरकारकी एक्स-चेंज नीति है।

करोंका भार

देशमें भिन्न भिन्न तरहके हजारों व्यापार हैं। सबपर सरकारने भारी कर लगा रखा है। वह सब माल किसानोंमें ही खपता है। क्योंकि यहाँपर अधिक आबादी किसानोंकी है और खेतीसे ही पैदा की हुई चीजे देकर उसके मूल्यमें विदेशकी अनेक तरहकी भड़कीली चीजें हम खरीदा करते हैं। इसलिए देशका कोई भी आदमी कोई चीज खरीदे, उसके नफा-नुकसानका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमे किसानोंपर ही पड़ता है।

सरकारने नमकपर कर लगाकर सभ्यताकी हद कर दी। भारतको छोड़कर अन्य किसी भी देशमें नमक-कर न तो कभी था और न है। यह कर भारतमें एक बार तो ढाई रुपये मनतक कर दिया गया था। यह ऐसा कर है कि इससे देशका कोई भी आदमी पनाह नहीं पा सकता। इस करका असर भी किसानोंपर बहुत गहरा पड़ा। साधारण दृष्टिसे देखनेपर तो इस करका भार मामूली जँचेगा, किन्तु गम्भीर दृष्टिसे देखनेपर मालूम होगा कि "कन कन जोरे मन जुरै, खाते निबरै सोय। बूँद बूँद ते घट भरै टपकट रीतै सोय।" आमदनीका जरिया तो सिर्फ खेतीका है और खर्चके जरियोंकी गिनती नहीं है। ऐसी दशामें बेचारे किसान कैसे टिके रह सकते हैं?

गल्लेकी सस्ती

जर्मन-युद्धके समय गल्लेका भाव बहुत महँगा हो गया था। उस समय भारतीय किसानोंको अच्छे पैसे मिले; किन्तु पैसोंकी रक्षा नहीं की गयी बल्कि अज्ञानताके कारण उन्हें आँखें मूंदकर खर्च किया गया। परिणाम यह हुआ कि वे पैसे जिस तरह आये, उसी तरह निकल भी गये। भारतीय किसानोंका हाथ खालीका खाली रह गया। उसके बादही सस्तीकी मार पड़ी। अनाज बेच-कर किसानोंके लिए जमीनका लगान अदा करना कठिन हो गया। गल्लेकी सस्तीसे किसानोंमें हाहाकार मच गया। भारतके बहुतसे मूर्खोंने किसानोंको यह कहकर भड़कानेकी कोशिश की कि गल्लेको सस्ता कराया है गांधीजीने। विलायती कपड़ेका बहिस्कार करनेसे ऐसा हुआ है। किन्तु असली कारण कुछ और ही था दूसरे देश-की सरकारोंने तो अपने देशके किसानोंको इस भयंकर सस्तीकी मारसे बचा लिया, किन्तु हिन्दुस्तानकी विदेशी सरकार हाथपर हाथ धरे बैठी रही।

यहांपर सबसे पहले संक्षिप्तमें यह बतला देना आवश्यक है कि गल्लेकी सस्तीका असली कारण क्या है। बात यह है कि जर्मन-युद्धके बाद प्रत्येक देशके राजनीतिज्ञ यह अनुमान करने लगे कि आगे चलकर इससे भी भयंकर लड़ाई होगी। इस आशंकासे प्रत्येक देश अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने तथा खाने पीनेकी चीजें पर्याप्त मात्रामे तैयार करनेमे लग गया। संसारव्यापी आर्थिक संकटकी वजहसे तथा रूस, अर्जेंटाइना, आस्ट्रेलिया वगैरहमें काफी अनाज पैदा होनेके कारण सन् १९३० से संसारभरके किसानों-को सस्तीकी मारका शिकार होना पड़ा। किन्तु जिन देशोंकी

सरकारें अपनी थीं, उन देशोंके किसानोंको तो वहाँकी सरकारोंने मुसीबतसे बचा लिया, सिर्फ अभागे भारतीय किसान तड़पते रह गये। यहाँपर भारतीय किसानोंकी जानकारीके लिए यह लिख देना आवश्यक है कि अपने देशके किसानोंकी रक्षाके लिए किस देश-ने क्या किया।

**विभिन्न देशोंमें किसानोंकी सुविधा**

जर्मनी संसारके सबसे बड़े औद्योगिक देशोंमे है। वहां किसानोंकी संख्या बहुत कम है। जर्मन-युद्धके बादसे वहांकी माली हालत बहुत खराब हो गयी थी। हर हिटलरने अपनी पार्टीके कार्यक्रममे तारीख ६ मार्च सन् १९३० को यह कह दिया था कि, "जर्मनी गुलामीसे तभी बच सकता है जब अपने लिए जरूरी खानेकी चीजें वह अपने देशमें पैदा करने लग जाय। इसलिए जर्मनीकी खेतीकी पैदावारका बढ़ना जर्मनीके लिए जीने-मरनेका सवाल है। इसके सिवा किसानोंकी माली हालतका अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी वे मिलोंमे तैयार हुए मालको खरीद सकेंगे जिससे हमारे उद्योग-धन्धेको प्रोत्साहन मिल सकेगा। तभी हम भविष्यमें अपनी मिलोंका माल अपने मुल्कमे बेच भी सकेंगे। हम अपने देशके गाँववालोंको ही कौमकी जवानीका जरिया और कौमकी रक्षा करने वाली सेनाकी रीढ़ समझते हैं।"

उस कार्यक्रममे जर्मनीके किसानोंकी गरीबीके कारण इस प्रकार गिनाये गये थे :—

१—देशकी वर्त्तमान राजस्व सम्बन्धी नीति किसानोंपर करोंका बहुत गहरा बोझ लादे हुए है।

२—दूसरे मुल्कोंकी खेतीकी पैदावारसे हमारी जो चढ़ा-ऊपरी हो रही है उसमें दूसरे मुल्कके किसानोंको उनकी सरकारोंसे बहुत अनुकूल सहायता मिलती है। वहाँकी सरकारें किसानों-पर करका भारी बोझ नहीं लादतीं।

३—खेतीकी पैदावारमें थोक व्यापार करनेवाले अढ़तिये जो किसानों और अनाज खरीदकर खानेवालोंके बीचमें काम करते हैं बहुत अधिक मुनाफा हड़प जाते हैं।

४—बिजलीके लिए और कृत्रिम वैज्ञानिक खादोंके लिए किसानों-को बहुत अनुचित मूल्य देना पड़ता है।

५—जो लगान लिया जाता है, वह उस जमीनकी पैदावारसे नहीं निकल सकता। इससे किसानोंको कड़े सूदपर कर्ज लेना पड़ता है। इससे कुछ ही दिनोंमें किसानकी जमीन और घर-द्वार महाजन ले लेता है।

ऊपरकी कठिनाइयोंको दूर करनेके लिए हिटलरने कहा कि जर्मनीमें जमीनका सट्टा नहीं हो सकेगा और न बड़े बड़े ताल्लुके-दार किसानोंके बलपर गुलछर्रे ही उड़ा सकेंगे। जमीन उन्हींको मिलेगी जो उसे जोतनेको तैयार हों। किसानोंके लिए कर्जका प्रबन्ध या तो सरकार स्वयं करेगी या उन संस्थाओंसे करावेगी जिन्हें सरकार मंजूर कर ले। किसानोंसे जमीनकी हैसियतके मुताबिक मालगुजारीके सिवा और किसी किस्मका कर नहीं लिया जायगा।

जर्मन सरकारका कर्त्तव्य है कि वह किसानोंकी माली और इल्मी हालतकी तरक्की करे। किसानोंके लिए खास खास उपाय करके उनकी गरीबी दूर करे। कर्जसे उनका गला छुड़ावे। किसानों-

को हर तरहकी सुविधा रहे। बाहरसे आनेवाले गल्लेपर चुंगी लगाना, जर्मनीके किसानोंकी रक्षा करना, बड़े बड़े अढ़तियोंके थोक मुनाफेसे किसानोको बचाना, सट्टेबाजोके चंगुलसे गल्लेकी कीमतको गिरनेसे बचाना सरकारका पहला काम होगा। इसके लिए सरकारकी ओरसे किसानोकी सहयोग समितियोंद्वारा उनका माल बेचनेका प्रबन्ध किया जाना चाहिए। वे समितियां किसानो-को पैदावार बढ़ानेकी तरकीबें बतावेंगी और खेतीके लिए नये औजारों, खादों और बैलोका प्रबन्ध करेंगी। खेतोमे लगनेवाले रोगोंसे उनकी रक्षा करना भी समितियोंका ही काम होगा। उन समितियोंकी मदद सरकार करेगी। किसानोंकी शिक्षाके लिए हाई स्कूल वगैरह खोले जायँगे और उनके होनहार लड़कोकी शिक्षामें विशेष प्रबन्ध किया जायगा।

ऊपरकी बातोसे पाठकगण अन्दाजा लगा सकते हैं कि जर्मनी-को सरकारको किसानोंकी भलाईका कितना खयाल है। गल्लेकी कीमत बहुत न गिरने पावे, इस बातका वहांकी सरकारने पूरा प्रबन्ध किया। गल्लेकी कीमत बढ़ानेके लिए वहांकी सरकारने खुद बहुतसा सरसो वगैरह खरीदकर रख दिया और फिर उसे सस्ते भावमे जानवरोके खानेके लिए बेच दिया। गल्लेका भाव न गिरने देनेके लिए सरकारने 'मारकेट एसोसियेशन' बना दिया। सन् १९३२ में किसानोंका कर्ज अपने ऊपर लेकर अरबों रुपये महा-जनोंको दिये।

इसी प्रकार इटलीमें मुसोलिनीकी सरकारने भी किसानोंकी दिल खोलकर मदद की। अमेरिकाकी सरकारने अपने देशके किसानोके लिए जो कुछ किया वह हमारे लिए विशेष शिक्षाप्रद

है। क्योंकि हिन्दुस्तानकी तरह अमेरिका भी अपने खानेके लिए गल्ला पैदा कर लेता है। सस्तीकी मार सबसे अधिक अमेरिकाके किसानोंपर पड़ी। क्योंकि दूसरे सब मुल्कोंने तो अपने अपने यहां अमेरिकाका माल जाना रोक दिया, पर अमेरिका ऐसा न कर सका—क्योंकि उन सबपर अमेरिकाका कर्जा था और कर्जेको वे इस मालसे ही चुका सकते थे। अपने देशके किसानोंको इस संकटसे बचानेके लिए वहांकी सरकारने किसानोंका गल्ला, कपास खुद खरीदकर गरीबोंको उधार बांट दिया। बहुतसा गल्ला खरीद-कर अकाल पीड़ितोंके सहायतार्थ बांट दिया। वहांके प्रेसीडेंट रूजवेल्टने सन् १९३२ मे किसानोंके गल्लेकी कीमत बढ़ाने, मिलोंके मालकी कीमत घटाने तथा किसानोंको कर्जकी मारसे बचानेके लिए एक नयी, पूर्ण, व्यापक तथा सुव्यवस्थित योजना बनाकर उससे काम लेना शुरू किया। इस प्रकार वहांकी सरकारने अरबों रुपये खर्च करके किसानोंको सस्तीकी मारसे बचाया। १२ मई सन् १९३३ को किसानोंके हितके लिए एक कानून पास किया गया। वहांकी रेलोंने भी किसानोंकी मददके लिए जानवर वगैरह ले जानेके वास्ते किराया कम कर दिया।

और देशोंकी बात छोड़िये, स्वयं इङ्गलैंडकी सरकारने ही अपने देशके किसानोंको सस्तीकी मारसे बचानेके लिए जो कुछ किया वह हमारे लिए विशेष महत्त्व रखता है। वहांपर दूसरे देशोंके बहुतसे मालपर पचास फी सदीतक चुंगी लगा दी गयी। ओटावामे व्यापारिक समझौता करके किस तरह चालाक इङ्गलैंडने भारतको उल्लू बनाया और अपना मतलब सिद्ध किया इस बातको अब यहांकी राजनीतिका बच्चा-बच्चा जानता है। कांग्रेसी दलने

असेम्बलीमें पहुँचते ही ओटावा समझौतेकी घोर निन्दा की, उसके विरुद्ध प्रस्ताव पास किया, किन्तु ब्रिटिश सरकार अबतक उस समझौतेको चलाये जा रही है। अपने देशके किसानोकी रक्षा करनेके लिए उसने १२ मई सन् १९३२ को इस आशयका 'गेहूँ' कानून' पास किया कि अंग्रेज किसानोंका गेहूँ बिक सके और वह बहुत सस्ता न होने पावे। किन्तु भारतमे अंग्रेज हाकिम कहते हैं कि मालका भाव तय करना सरकारके लिए हिमाकतकी बात है। अपने देशमे इन लोगोने यह भी किया कि यदि वहांके किसानोका गेहूं सस्ते भावमे बिकता तो सरकार अपने पाससे किसानोको रुपये देकर उसकी कमी पूरी कर देती थी जिससे किसानोको पूरा रुपया मिल जाय। गौरांग महाप्रभुओने अपने देशके किसानोके घरमें गेहूँकी पूरी कीमत पहुँचानेके लिए सरकारी खजानेसे एक सालमें सात-सात आठ-आठ करोड़ रुपये दिये हैं। इस प्रकार वहांके किसानोको आधी कीमत तो मालसे मिलती रही और आधो सरकारसे। किन्तु भारतीय किसानोंके हितके लिए और कुछ करना तो दूर रहा, सरकारसे इतना भी नहीं हुआ कि वह आस्ट्रेलिया वगैरहसे आनेवाले गेहूँपर रुकावट डाल दे।

इन चन्द उदाहरणोंसे हमारे किसान भाई यह समझ सकेंगे कि किसानोंकी गरीबीका बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध सरकारकी दुर्नीतिसे है। सिर्फ लगान आधा कर देनेसे, या जमीनपर किसानोंको मालिकाना हक दे देनेसे ही यहांके किसानोंकी दरिद्रता दूर नहीं हो सकती। इसलिए जबतक हम स्वराज्य प्राप्त न करेंगे तबतक देशकी दरिद्रता दूर नहीं हो सकती, यह बात निश्चित है। अभी तो सारी कुंजी सरकारकी मुट्ठीमें है। मान लीजिये कि सूबेकी

कांग्रेसी सरकारें किसानोंका लगान आधा कर दें, लेकिन उधर हिन्दुस्तानकी सरकार रुपयेका मूल्य दूना कर दे तो आधा लगान हो जानेपर भी किसानोंका कोई फायदा नहीं होगा। यानी किसी किसानको पहले दो सौ रुपयेकी कुल पैदावारमेंसे सौ रुपये लगान देने पड़ते थे और काँग्रेसी सरकार सौके बजाय पचास कर दे तो किसानको साधारणतः पचास रुपयेका लाभ होगा। किन्तु यदि भारत सरकार रुपयेकी दर बढ़ा दे तो गल्लेका भाव आधा रह जाय यानी जितना गेहूँ पहले एक रुपयेमें आता था उतना गेहूं आठ आनेमें आने लगे तो किसानके मालकी कीमत दो सौ की जगह एक सौ रह जायगी। इसी विदेशी नीति सरकारने अपने हाथमें कर रखा है, जिसकी वजहसे यहांके किसान दरिद्रता भोग रहे हैं।

इससे यह बात अच्छी तरह समझमें आ सकती है कि किसानोंको सस्तीका शिकार क्यों होना पड़ रहा है। भिन्न भिन्न देशोंके साथ व्यापारिक सम्बन्ध होनेके कारण इस दुःखसे बचाना सरकारपर ही निर्भर करता है। यदि पहलेका समय होता और भारत दूसरे देशोंमें अपना माल अधिक भेजता और मँगाता कम, देशमें खेतीके अलावा उद्योग-धन्धोंकी भरमार रहती, तो इस सस्तीका कुछ भी प्रभाव किसानोंपर न पड़ता। भारतमें तो हमेशा ही इतनी सस्ती रही है कि उसके सामने आजकी सस्ती कुछ भी नहीं है। देखिये अकबरके समयमें कितना सस्ता भाव था :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| गेहूं | एक पैसे में | तेईस | छटाँक |
| जौ | ,, | पैंतीस | ,, |
| चावल बढ़िया | ,, | ढाई | ,, |

| | | |
|---|---|---|
| चावल मामूली | एक पैसेमें | चौदह छटाँक |
| मूँगकी दाल | ,, | साढ़े पन्द्रह ,, |
| चना | ,, | साढ़े सोलह ,, |
| ज्वार | ,, | अट्ठाइस ,, |
| सफेद चीनी | ,, | सवा दो ,, |
| शक्कर | ,, | पाँच ,, |
| घी | ,, | पौने तीन ,, |
| तिलका तेल | ,, | साढ़े तीन ,, |
| नमक | ,, | सत्तर ,, |
| दूध | ,, | ग्यारह ,, |

इसके पहले अलाउद्दीन खिलजीके शासनकालमें इन चीजोंका भाव और भी सस्ता था। तारीख फीरोजशाहीमें वरनीने उन भावोंका विवरण इस प्रकार दिया है :—

| | | |
|---|---|---|
| गेहूँ | एक पैसेमें | दो सेर |
| जौ | ,, | साढ़े तीन ,, |
| धान | ,, | तीन ,, |
| चनेकी दाल | ,, | ,, ,, |
| मोट | ,, | पांच ,, |
| खांड | ,, | साढ़े चार छटांक |
| गुड़ | ,, | अठारह ,, |
| मक्खन | ,, | साढ़े चौदह ,, |
| तिल्लीका तेल | ,, | साढ़े सत्रह ,, |
| नमक | ,, | नौ सेर |

यह भाव बादशाहके हुक्मसे दिल्लीके लिए मुकर्रर था। इससे

यह मालूम होता है कि उस समय खाने पीनेकी चीजें जितनी सस्ती थीं, उतनी आज नहीं हैं। फिर भी जो आज देशके किसान दुखी हैं उसका कारण यही है कि सरकार बुरी नीतिसे काम ले रही है और किसानोंपर करोंका भार बहुत अधिक लादे बैठी है। यदि यह बात न होती और देशमें आवश्यक चीजें तैयार होनेकी व्यवस्था होती तो सस्तीकी मार इतनी जबर्दस्त न पड़ती।

कर्ज

ऊपर बतलायी हुई सारी बातोंका फल यह हुआ कि देशके किसान कर्ज ले-लेकर काम चलाने लगे। कर्जका लेना उनके लिए भयंकर काल हो गया। जिस किसानने एकबार थोड़ासा रुपया कर्ज ले लिया उसकी जिन्दगी ही सूद-दर-सूद भरनेमें खतम हो गयो। महाजनोकी बन आयी। सूदखोर काबुलियोका बोलबाला हुआ। काबुली पठान किसानोंको थोड़ासा रुपया देकर हाथमें छुरा ले घूमने लगे। उनकी सख्ती और अमानुषिक व्यवहार तथा कड़े सूदसे सबलोग परिचित हैं। जब अङ्गरेजोंने हिन्दुस्तानके उद्योगोंको नष्ट करनेके लिए यहांके मालपर भारी कर लगा दिया, उसका विलायत जाना रोक दिया, विलायती मालपर नाममात्र की चुंगी लगा यहां बेचना शुरू किया, बड़े बड़े होशियार कारीगरोंके हाथ कटवा लिये, आँखें निकलवा लीं और उनको थोड़ीसी मजदूरी देकर शक्तिसे अधिक काम लेना शुरू किया, तब अभागे भारतवासी कारीगर उद्योग-धन्धा छोड़कर खेतिहर बन गये। हर तरहसे वे ऐसे कस दिये गये कि कर्ज लेकर अपनी इज्जत निभानेके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं रह गया। नतीजा यह हुआ कि समूचे देशके किसान कर्जके भारी बोझसे दब गये। सन् १९३० मे प्रान्तीय

साहूकारी जाँच कमेटियोंने जो रिपोर्ट दी थी, उसके आंकड़े इस प्रकार हैं :—

| प्रान्त | किसानोका कर्ज |
|---|---|
| बम्बई ( सिन्ध सहित ) | ८१ करोड़ रुपया |
| मद्रास | १५० ,, ,, |
| बंगाल | १०० ,, ,, |
| युक्तप्रान्त | १२४ ,, ,, |
| पंजाब | १३५ ,, ,, |
| मध्य प्रान्त | ३६॥ ,, ,, |
| बिहार-उड़ीसा | १५५ ,, ,, |
| आसाम | २२ ,, ,, |
| केन्द्रीय इलाके | १८ ,, ,, |
| कुर्ग | ३५-५५ लाख |
| वर्मा | ५०-६० लाख |

मुसलमानी राज्यमे एक रुपयेका सवा दो मनसे अधिक गेहूं मिलता था और घी साढ़े दस सेर पड़ता था। दूधका भाव रुपये का ४४ सेर था। नमक एक रुपयेमे सात मन मिलता था। इतना सस्ता भाव होनेपर भी भारतके किसान सुखी थे। कारण? यही कि उनपर लगानके सिवा किसी तरहके करका भार नही था। जरूरतकी सारी चीजे लोग अपने घरमे तैयार करते थे। जो चीज खरीदनी भी पड़ती थी वह इसी हिसाबसे बहुत सस्ती मिल जाती थी और वह अपने गॉव-देशकी बनी हुई होती थी। इससे हमारा सब पैसा देशमे ही रह जाता था और बराबर घूम-फिरकर सबके काम आता था। किन्तु आज तो गति ही बदल गयी है। रोजाना

काममें आनेवाला नमकपहले घर घर तैयार होता था; किन्तु आज रुपयेका दस-बारह सेर खरीदना पड़ता है। यह सब नुकसान कहाँ जायगा ? कर्जके मत्थे। उसीका यह भयंकर परिणाम है कि भारतके किसान कर्जमें डूबे हुए हैं।

केन्द्रीय कमेटीने हिसाब लगाया था कि कुल ब्रिटिश भारतके देहातवाले ( देशी रियासतें शामिल नहीं हैं ) लगभग नौ अरब रुपयेके कर्जदार हैं। सन् १९३०के बाद गल्लेकी सस्तीके कारण यह परिमाण बहुत बढ़ गया। अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीका अन्दाज है कि देहातका कर्ज १६ अरब रुपया हो गया है। डाक्टर-अहमदका भी कहना है कि "इस समस्यापर विचार करनेवाले विशेषज्ञोंके अनुमानसे १९२९ से १९३७ के बीच ब्रिटिश भारतकी देहाती कर्जदारी दूनीके लगभग हो गयी।"

गरीबीका कारण जन-संख्या-वृद्धि नही है।

विदेशी सरकारके पक्षवालोंका कहना है कि भारतकी दरिद्रताका कारण भारतकी आबादीका बढ़ना है। किसी किसीने इस बातपर विश्वास करके यह सलाह दी है कि भारतवर्षके बढ़े हुए लोग कहीं टापुओंमें जाकर बस जायँ। किन्तु यह सब भ्रम है। आबादीके बढ़नेसे भारतमें गरीबी नहीं आयी है। जबसे इस देशमें अंग्रेज आये हैं तबसे यहाँकी आबादी सब देशोंकी अपेक्षा कम बढ़ी है। अर्थ-शास्त्रियोंको मालूम है कि फ्रान्स एक ऐसा देश है जहाँकी आबादी ठहर-सी गयी है। जे० सी० कुमारप्पाजीने इस भ्रमका निवारण करते हुए 'यंग इंडिया'में यह सिद्ध किया था कि गत पचास वर्षोंमें भारतवर्षकी आबादीमें जो वृद्धि हुई है वह फ्रांस देशकी वृद्धिसे भी कम है। उन्होंने एक

तालिका भी दी थी जिसे देखकर प्रत्येक मनुष्य आसानीसे सत्य बातका निर्णय कर सकता है। यदि फ्रांसके भी हिसाबसे भी (जहांकी आबादी ठहर-सी गयी है ) भारतकी आबादी बढ़ी होती तो आज आबादी अड़तीस करोड़से कम न होती। इससे यह मानना पड़ेगा कि आबादीका बढ़ना दरिद्रताका कारण नहीं है, यह तो सिर्फ भ्रममें डालनेके लिए कहा जाता है। यदि आबादी का बढ़ना देशकी दरिद्रताका कारण होता तो और देशोंको भी तो दरिद्र होना चाहिये था। माना कि अन्य देशोंमें उद्योग धन्धा है; किन्तु उन देशोंकी आबादी भी तो भारतकी अपेक्षा अधिक बढ़ी है। क्या यह कारण सिर्फ भारतके ही लिए है ?

सरकारी खर्चकी अधिकता

किसानोंकी गरीबीका एक कारण सरकारी खर्चकी अधिकता है। सरकार सैकड़ों तरहका कर वसूल करती है, जैसे भूमिकर, इनकमटैक्स, माल जाने-आनेका कर, नशीली चीजोंका कर, नमक-कर आदि, किन्तु उसका बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर डालती है फौज और हाकिमोंकी तनख्वाहे चुकानेमें। इसके सिवा एक बहुत बड़ी रकम 'होम चार्जेज'की शकलमें देशसे बाहर भेज दी जाती है। सरकारी खजानेका रुपया मनमाने ढंगसे खर्च करनेका जितना अन्धेर यहां है, उतना और किसी देशमे नहीं; हाकिरोंको जितना वेतन और भत्ता यहां दिया जाता है, उतना और देशोंकी तो बात ही जाने दीजिये खास इंगलैंडमें भी नहीं दिया जाता। जो सरकारी खजाना वास्तवमें प्रजाका खजाना है और जिसका पैसा-पैसा प्रजाकी रक्षा और हितके कामोंमें खर्च होना चाहिए, उसका ऐसा दुरुपयोग किया जाता है कि प्रजाके हितमें खर्च करनेके

लिए खजानेमें एक पैसा भी नहीं रहता। उचित कामोंमें खर्च करनेके लिए सरकार हर समय दिवालिया बनी रहती है। यह बात याद रखने योग्य है कि भारत सरकार १५ फीसदीसे कुछ ही अधिक खर्च राष्ट्र निर्माणपर करती है। सन् १८७६ से अब-तक फौज, शान्ति व कानूनकी रक्षा आदि कामों और सार्वजनिक हितके कामोंमे कितना-कितना खर्च हुआ है, यह नीचेकी तालिका-से अच्छी तरह मालूम हो जाता है :—

प्रति हजार आदमियोपर खर्च रुपयोमें

| सन् | फौज पुलिस आदि | सार्वजनिक हितके मद |
|---|---|---|
| १८७६ | १८१० | १५९ |
| १८८६ | २१०८ | १६६ |
| १८९६ | २१४२ | २०१ |
| १९०६ | २४६२ | २७७ |
| १९१२ | २५१४ | ३०२ |
| १९२१ | ४५११ | ५८८ |
| १९२९ | ४२१० | ८७६ |

यहां शिक्षापर इतना कम खर्च किया जाता है कि देखकर आश्चर्य होता है। सन् १९३०-३१ में यहां शिक्षापर हर आदमी पीछे १) खर्च किया गया था जब कि उसी साल जापानमें ११) ग्रेट ब्रिटेनमे ३२) रुपया कनाडामें ४६) और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ६५) खर्च हुआ। सोवियट रूसने पहली पंचवार्षिक योजनामें ११ अरब २९ करोड़ रूबल खर्च किये अर्थात् प्रत्येक विद्यार्थी १५८ रुपये। तभी तो भारतमें ८ फीसदीसे अधिक साक्षर नहीं हैं।

भारत सरकारका सबसे बड़ा खर्च सरकारी कर्जेका सूद है।

३१ मार्च सन् १९३४ को भारतपर कुल कर्ज बारह अरब १० करोड़ रुपये था जिसमेसे ५ अरब इङ्गलैंडसे उधार लिया गया था और शेष ७ अरब भारतसे। १९३४-३५मे भारत-सरकारके साधारण कर्जपर ३९ करोड़ रुपयेसे ऊपर सूद था।

यहांके शासनका यही सब अन्धेरखाता है जिसके कारण भारतीय-किसानोकी दरिद्रता हदपर पहुँच गयी है और उसके उद्धारका कोई जरिया नजर नही आ रहा है। इधर दिखानेके लिए यदि प्रान्तीय स्वतंत्रता दी भी गयी है, तो उसमे खर्चका अधिकार इतना कम दिया गया है कि देशके प्रतिनिधि प्रान्तीय एसेम्बलियोंमें प्रजाके हितके लिए विशेष कुछ कर ही नही सकते।

किसानोकी अनभिज्ञता

किसानोकी अनभिज्ञता भी उनकी गरीबी-के कारणोमें ही कही जा सकती है। किन किन बातोकी जानकारी न होनेसे उनकी दरिद्रता बढ़ती गयी और बढ़ती जा रही है, इसका उल्लेख तो स्थल स्थलपर प्रसंगके अनुसार आगे चलकर किया जायगा, यहां सिर्फ इतना ही बतला देना काफी है कि उनकी पर्याप्त जानकारी न होनेसे खेतीके काममे गहरा नुकसान हो रहा है। वे अपनी मूर्खतासे अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं और उन्हे इस बातकी कुछ भी खबर नहीं है कि उन्हीके कामोंसे या उन्हींकी बेखबरीसे उनका किस प्रकार तेजीसे सर्वनाश हो रहा है।

हम मानते हैं कि हृदयके उत्साहहीन हो जानेपर, मिहनतकी पूरी मजदूरी न मिलनेपर, मनुष्यमे इस दोषका आना अनिवार्य हो जाता है। जब बेचारे भारतीय किसान जी-तोड़ मिहनत करके

पेटभर अन्नतक नहीं पाते, तब उनकी बुद्धिका विकास कैसे हो सकता है ? उनका उत्साह कैसे बढ़ सकता है ? विदेशी सरकारने किसानोंकी कमर तोड़ दी है। उनमें अब यह उत्साह नहीं रह गया है कि वे खेतीमें नयी नयी तरकीबोंसे काम लें, नयी नयी चीजें पैदा करें और अपनी आमदनी बढ़ानेके जरिये सोचें एवं उसके मुताबिक काम करें।

हमारे देशके किसान एक ओर तो अमदनी बढ़ानेका उपाय नहीं कर रहे हैं और दूसरी ओर अपना खर्च बढ़ाये हुए हैं। घरमें खानेका ठिकाना नहीं है, पर यदि पांच-सात मीलकी दूरी पर भी कहीं जाना होगा और सवारीका रास्ता रहेगा तो वे कर्ज लेकर रेलसे जाना पसन्द करते हैं, पैदल जानेका कष्ट नही उठाते फसल चाहे जितनी कम हो, पर खर्च कम करनेकी बात नहीं सूझती। अलस्य इतना अधिक आ गया है कि वे पैदावार बढ़ानेके लिए न तो कोई उपाय सोचते हैं और न वैसा कोई काम ही करते हैं। महाजनोंको चाहिए कि वे रुपये लगाकर उद्योग धन्धेका काम खोलें, असामियोंकी रक्षा करके उनकी शक्ति बढ़ावें और इस प्रकार पैदावारकी वृद्धि करें। लेकिन वे ऐसा न करके असामियोंको चूसकर लाभ उठानेकी नीयत रखते हैं। महाभारतमें कहा गया है कि प्रजाके साथ व्यवहारमें मालीकी तरह नफ़ा उठाना चाहिए, कोयला बेचनेवालेकी तरह नहीं। उस शिक्षाको आज लोग बिल्कुल भूल गये हैं।

अपनी दरिद्रता दूर करनेके लिए किसानोंको चाहिए कि वे फिजूल खर्ची बन्द कर दें, मुकदमेबाजी छोड़ दें, एक क्षणका समय भी बेकार न जाने दें, अपनी आमदनीके अनुसार खर्च करें।

किसानोंमे जागृति

इतिहास हमें बतलाता है कि जब मनुष्य-पर अधिक अत्याचार होते हैं, या उसका कष्ट बहुत बढ़ जाता है, तब वह उससे बचनेकी कोशिश करने लगता है। उसीको क्रान्ति कहते हैं। देशमे अधिक अशान्ति फैलनेपर क्रान्ति पैदा होती है और शान्तिकी स्थापना करनेके बाद ही वह शान्त होती है। किसान आन्दोलनके सम्बन्धमें भी यही बात कही जा सकती है। प्रोफेसर एन. जी. रंगा एम. एल. ए (सेंट्रल) का कहना है कि किसान आन्दोलन ब्रिटिश राज्यके स्थापित होनेसे एक सौ बीस वर्ष पहले शुरू हुआ है। उन्नीसवीं सदीके आरम्भमें निजामने कड़ापा, कर्नोल, अनन्तपुर और विलारीके जिले ब्रिटिश सरकारको दे दिये। ब्रिटिश सरकार ने वहांके किसानोंसे अतिरिक्त लगान, महसूल और तरह तरहका अन्य कर वसूल करना शुरू किया। किसानोने अपना दुःख दूर करनेके लिए बहुतेरी प्रार्थनाएँ की पर ब्रिटिश सरकारने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। हताश होकर वहांके बहुतसे किसान लगान और करोंके बोझसे छुटकारा पानेके लिए आसपासके जङ्गलोमें और मैसूरमें चले गये। उन्होंने अपनी मिहनतकी कमायी हुई जमीन, घर और प्यारे पड़ोस की भी तनिक भी परवाह नहीं की। पीछे सरकारकी आँखें खुल गयी। उसने देखा कि सैकड़ों गाँव उजड़ गये और लाखो एकड़ जमीन बेकार हो गयी। सरकार घबरा गयी और फौरन झुक गयी।

उसके बाद बंगाल प्रान्तके किसानोमें जागृति पैदा हुई। सरकारने किसानोंकी उस जागृतिको तो दबा दिया, पर उसे अच्छा सबक मिल गया। उसने किसानोंकी हालतकी जाँच करनेके लिए

एक कमेटी बिठा दी। पश्चात् पहला बंगाल किसान कानून पास किया गया जिससे कुछ किसानोंको जमीनपर स्थायी अधिकार मिल गया।

सन् १८७५ मे महाराष्ट्रके किसान उभड़े। जब उन्हे यह मालूम हुआ कि कर्ज न अदा करनेपर ब्रिटिश कानूनके अनुसार महाजन उन्हे जेल भेज सकता है, तो उनमे एक हलचल मच गयी। अमरीकाके गृह युद्धके बाद कपासका भाव गिर जानेके कारण वे बड़ी कठिनाईमे पड़ गये और कर्ज चुकाना उनके लिए मुश्किल हो गया। किसानोंके उस आपत्तिकालमे साहूकारोंने सिविल कानून-से फायदा उठाना शुरू किया। वे किसानोंको उनके पुस्तैनी घरोंसे बेदखल करने लगे। कर्ज न दे सकनेके कारण उन्हे जेलोमें भी भेजा गया। किसान ऊब गये और जोशमे आकर हजारोंकी संख्यामें महाजनोंके खिलाफ खड़े हो गये। उन्होंने साहूकारोंके घरोंपर हमले किये, और कर्जसे सम्बन्ध रखनेवाले कागजातोंको फाड़ डाला। कई जगह उन्होंने हिंसात्मक साधनोंसे भी काम लिया। बहुतसे साहूकार और उनके सहायक बुरी तरहसे पिटे और जान-से मारे गये। पुलिसने भी जब जब साहूकारोंको बचाने और किसानोंको तंग करनेका प्रयत्न किया, तब तब उसके साथ भी उत्तेजित किसान इसी तरह पेश आये। उस समय ऐसा मालूम हुआ मानो महाराष्ट्रके सब गाँव ब्रिटिश राजके खिलाफ उठ खड़े हुए हों। फिर क्या था, सरकारकी आँखें खुली और उसने जल्दीसे दक्षिण कृषक सहायक कानून बना डाला, जिसके आधारपर दीवानीकी डिग्रीमे किसानोंको जेल नहीं भेजा जा सकता।

इसके बाद किसान आन्दोलन पंजाबकी तरफ बढ़ा। वहाँ

भी साहूकारोंके ही विरुद्ध आन्दोलन उठा। ब्रिटिश सरकारने अपनी स्थिति ठीक रखनेके लिए वहाँ भी जल्दीसे सन् १९०२-३ मे पंजाब भूमि अधिकार परिवर्त्तन कानून बना दिया।

इन लड़ाइयों से जाहिर होता है कि किसान जब जब उभड़े हैं तब तब सरकारको काफी रियायतें देनी पड़ी। इसके बाद महात्मा गान्धीने चम्पारनमें आन्दोलत शुरू किया। वहाँ नीलकी खेती करनेवालोके खिलाफ आन्दोलन किया गया था। ये लोग, जिनमें अधिकांश अङ्गरेज थे, बिहारके स्थानीय किसानोंको उनकी इच्छा के विरुद्ध नीलकी खेती करनेके लिए मजबूर करने थे और उनसे कड़ा लगान तथा नाजायज़ नजराना वसूल करते थे। उस आन्दोलनमें महात्माजीके साथ विहारके नेता श्री राजेन्द्रप्रसाद जी भो थे। परिणाम यह हुआ कि एक बार तो महात्माजी गिरफ्तार कर लिये गये, किन्तु थोड़े दिनोंके बाद छोड़ दिये गये और जाँचके लिए एक कमेटी बना दी गयी जिसके सदस्य महात्मा गान्धी भी थे। अन्तमें जाँच कमेटीने जो रिपोर्ट दी, उसकी सब सिफारिशोंको बिहार सरकारने बिना हाथ-पैर हिलाये स्वीकार कर लिया। उस रिपोर्टके अनुसार कानून बनजानेसे वहांके किसानोंको थोड़ीसी राहत मिली। इस प्रकार महात्माजीके उद्योगने चम्पारनके किसानोको निलहे साहबोके अत्याचारोंसे बचा लिया।

कुछ दिनोके बाद भारतीय महासभा कांग्रेसने इस आन्दोलनको अपने हाथमें ले लिया। उसने यह समझा कि देशकी असली शक्ति गाँवोमें बसती है। जबतक गाँववालोंका दुःख दूर नहीं किया जायगा, तबतक देशका असली सुधार नहीं होगा। राय बरेली किसान-हत्याकांडवाले मुकद्मेतक कांग्रेसके कर्णाधारोको

किसानोंकी कोई विशेष चिन्ता नहीं थी। और यदि रही भी हो तो वह कार्य रूपमें दिखायी नही पड़ती थी, स्पष्ट रूपसे तो किसानों-की तरफ़ कांग्रेसका ध्यान उस समयमें गया जब सरदार बल्लभ भाई पटेलके नेतृत्वमें बारडोलीके किसानोंने सत्याग्रहकी लड़ाई लड़ी। सन् १९३०में वायसरायको चुनौती देते हुए महात्मा गान्धीने किसानोंके लगानका सवाल उठाया और उसे राष्ट्रीय सवाल बना दिया। महात्मागान्धीने दो मार्च सन् १९३० में लार्ड इरविनको जो चुनौती दी थी उसका किसानोंसे सम्बन्ध रखनेवाला हिस्सा इस प्रकार था :—

लार्ड इरविनको चुनौती

"राष्ट्रके नामपर काम करनेवालोंको खुद भी समझ लेना चाहिये और दूसरोंको भी यह बात समझाते रहना चाहिए कि स्वाधी-नताकी इस तड़पके पीछे असली हेतु क्या है। इस हेतुको न समझनेसे स्वाधीनता अत्यन्त विकृत रूपमें आ सकती है और यह खतरा हमेशा होगा कि जिन करोड़ों मूक किसानों और मजदूरोंके लिए स्वाधीनताकी प्राप्तिका प्रयत्न किया जा रहा है और किया जाना चाहिए उनके लिए वह स्वा-धीनता कदाचित् निकम्मी सिद्ध हो। यही कारण है कि मैं कुछ अर्सेसे जनताको वांच्छित स्वाधीनताका सच्चा अर्थ समझा रहा हूं।

"मुख्य मुख्य बातें आपके सामने भी रख देता हूँ।

"सरकारी आमदनीका मुख्य भाग जमीनका लगान है। इसका बोझा इतना अधिक है कि स्वाधीन भारतको उसमें काफी कमी करनी पड़ेगी। स्थायी बन्दोबस्त अच्छी चीज है, परन्तु इससे भी मुट्ठीभर अमीर जमींदारोंको लाभ है, गरीब किसानोंको कोई लाभ

नहीं। वे तो सदासे बेबसीमें रहे हैं। उन्हें चाहे जब बेदखल किया जा सकता है।

"भूमिकर को घटा देनेसे काम नहीं चलेगा। सारी कर-व्यवस्था ही फिरसे इस प्रकार बदलनी पड़ेगी कि रैयतकी भलाई ही उसका मुख्य उद्योग रहे। परन्तु मालूम होता है कि सरकारने जो तरीका जारी किया है वह रैयतकी जान निकाल लेनेको ही किया है। नमक तो उसके जीवनके लिए भी आवश्यक है, परन्तु उसपर भी इस तरह कर लगाया गया है कि यो देखनेमें तो वह सबपर बराबर पड़ता है, परन्तु इस हृदय-हीन निष्पक्षताका भार और सबसे अधिक गरीबोंपर ही पड़ता है। याद रहे कि नमक ही ऐसा पदार्थ है जिसको अलग अलग भी और मिलकर भी अमीरोंसे गरीबलोग अधिक मात्रामें खाते है। इस कारण नमक-करका बोझा गरीबोंपर और भी ज्यादा पड़ता है। नशेकी चीजोंका महसूल भी गरीबोंसे ही अधिक वसूल होता है। इस करके पक्षमें व्यक्तिगत स्वतंत्रताकी झूठी दलील दी जाती है, परन्तु दरअसल यह लगाया जाता है आमदनीके लिए। १९१९ की सुधार योजनाके जन्मदाताओंने बड़ी होशियारीसे उस आयको द्वैध शासनके जिम्मेवार कहलानेवाले विभागके सुपुर्द कर दिया। इस प्रकार मदिरा-निषेध-का भार मंत्रीपर आ गया और वह बेचारा भलाई करनेके लिए शुरूसे ही निकम्मा हो गया। यदि अभागा मंत्री इस आमदनीको बन्द कर देता है तो उसे शिक्षा-विभागका खर्च बिलकुल कम कर देना पड़ता है, क्योंकि वर्त्तमान स्थितिमें आबकारीके सिवा उसके पास और कोई आमदनीका साधन ही नहीं है। इधर ऊपरसे करका भार लाद-लादकर गरीबोंकी कमर तोड़ दी

गयी है, उधर हाथ-कताईके मुख्य सहायक धन्धेको नष्ट करके उनकी उत्पादक शक्ति बर्बाद कर दी गयी है।

"भारतवर्षके विनाशकी दुःखद कहानी उसके नामपर लिये गये कर्जेका उल्लेख किये बिना पूरी नहीं हो सकती। हालमें इसपर समाचारपत्रोंमें काफी लिखा जा चुका है। इस ऋणकी स्वतंत्र न्यायालयद्वारा पूरी जांच करना और जो रकम अन्यायपूर्ण सिद्ध हो उसे इन्कार करना स्वाधीन भारतका कर्त्तव्य होगा। उपर्युक्त अन्याय संसारके सबसे महँगे विदेशी शासनको कायम रखनेके लिए किये जाते हैं।"

इस प्रकार गान्धी-इरविन समझौतेमें किसानोंका संकट काटनेका सवाल एक मुख्य सवाल था। कांग्रेसके कराचीके अधिवेशनमें उसे कांग्रेसके मौलिक अधिकारोंमें प्रमुख स्थान मिला। सन् तीस और बत्तीसकी सत्याग्रहकी लड़ाइयां मुख्यतः किसानोकी लड़ाइयाँ थीं। फिर तो नौकरशाही भी किसानोंको कांग्रेसमें जानेसे रोकनेकी पूरी कोशिश करने लगी। यही कारण है कि जब सन् १९३४ में बम्बईकी कांग्रेसमें महात्मा गान्धीने ग्रामोद्योग-संघकी स्थापना की तब सन् १९३५ के मार्चमें भारत-सरकारने भी ग्रामसुधारके लिए एक करोड़ रुपया देनेका ऐलान कर दिया। इस प्रकार जिन किसानोको कोई पूछता नहीं था वे हिन्दुस्तानकी राजनीतिके सर्वेसर्वा बन गये। जिस कांग्रेस और स्वराज पार्टीका आन्दोलन १९३० तक केवल व्यवसायियों और पूंजीपतियोंमे सीमित था, उसका रुख पूर्णरूपसे किसानोंकी ओर हो गया।

आगामी स्वातन्त्र्य युद्ध

किसानोंको यह बात समझ लेनी चाहिए कि उनका दुःख तबतक दूर न होगा, जबतक वे किसान राज्य स्थापित न करेंगे। इसलिए उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करनेके लिए तैयार हो जाना चाहिए। रणभेरी बज उठी है। पं० जवाहरलालजीने हमें सचेत कर दिया है कि कूचका समय आ गया है। महात्मा गान्धीने यह स्पष्ट कर दिया था कि देशी रियासतोंमें चलनेवाली उत्तरदायित्त्वपूर्ण शासनकी लड़ाई देशी नरेशों और रियासती प्रजाकी घरेलू लड़ाई नहीं है, बल्कि वह ब्रिटिश साम्राज्यशाही और कांग्रेसकी लड़ाई है। बम्बई और उड़ीसाके कांग्रेसी मंत्रिमंडल त्यागपत्र देकर सत्याग्रह संग्राममें कूद पड़नेके लिए तैयार हैं। पूजनीया माता कस्तूरबा राजकोटमें जेलके सीकचोंके भीतर बन्द थीं और कांग्रेसके कोषाध्यक्ष सेठ जमनालाल बजाज जयपुरके मोर्चेपर बन्दी बनाये जा चुके थे। अभी हालहीमें महात्मा गान्धीने देशी राज्योमें सत्याग्रह स्थगित करनेकी आज्ञा दी है। इसके तीन कारण आपने बताये हैं। (१) महात्माजी सत्याग्रहको नया रूप देनेका विचार कर रहे हैं, जिसके लिये शान्त वातावरणकी आवश्यकता है। (२) वायसराय लार्ड लिनलिथगोने देशी राज्योके रेजिडेंटोंको वहांके शासन-सुधारकी आवश्यकताके सम्बन्धमें एक पत्र लिखा है, जिसका फल क्या होता है यह देख लेना चाहिए। (३) नव चैतन्यको देखकर राजा भी बहुत उत्तेजित हो गये हैं अतः उन्हें विचार करनेका समय देना चाहिए। ये तीनो कारण प्रबल हैं। इससे मालूम होता है कि हमारी लड़ाई छिड़ गयी है।

स्वाधीनताकी इस आखिरी लड़ाईमें हमारी नीति केवल नमक बनाने या मादक-द्रव्योंपर धरनातक ही सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि इनके जरिये हम सरकारी ताकतके केवल एक अंशको ही कमजोर कर सकते हैं। इस बार हमें किसानोकी देशव्यापी लगानबन्दो और मजदूरोंकी देशव्यापी आम हड़तालके हथियारोंका प्रयोग करना होगा। इन अस्त्रोका प्रयोग करके ही हम साम्राज्यशाही हुकूमतके समूचे व्यापक यंत्रको शक्तिहीन और निकम्मा करके राज्यशक्तिपर अपना अधिकार कर सकेंगे। इस लड़ाईमें विजय प्राप्त करना सिर्फ किसानोंपर ही निर्भर रहेगा। इसलिए किसानों-का कर्त्तव्य है कि वे जिस प्रकार अबतक अनेक तरहकी मुसीबतें झेलकर अपनी गाढ़ी क्रमाईसे देशकी लाज रखते आये हैं उसी प्रकार इस आखिरी लड़ाईमें बहादुरीके साथ विजय प्राप्त करके संसारके भावी इतिहासमें अपनी अमर कीर्ति लिखानेका काम कर दिखावें। युद्धमें हमें यह न भूलना चाहिए कि त्याग, अहिंसा और सत्यके बलपर ही हम विजयी हो सकेंगे और संसारके सामने अपनी आजादीकी लड़ाईका अनूठा इतिहास रख सकेंगे। हमें अपनी सहनशक्तिका आश्चर्यजनक परिचय देकर ईश्वरके सिंहासनको भी हिला देना चाहिए।

# दूसरा अध्याय

## सफाई और स्वास्थ्य

स्वतंत्रता प्राप्त की जाती है जीवनको सुखी और स्वस्थ बनानेके लिए। वह सुख और स्वस्थता बहुत कुछ ऐसे कामोंपर भी निर्भर करती है जिन्हे हम शासनकी बागडोर अपने हाथमे लिये बिना भी कर सकते हैं। ऐसे कामोंमें पहला काम है सफाई और स्वास्थ्य-रक्षा। जीवनके लिए ये दोनो ही बहुत जरूरी चीजें हैं। इनकी ओर ध्यान देना प्रत्येक मनुष्यका कर्त्तव्य है।

**सफाई या स्वच्छता**

सफाईसे मतलब है, घर-द्वारकी सफाई, वस्त्रोंकी सफाई, स्वच्छ और पवित्र भोजन, शरीरकी सफाई। जिस हिन्दू जातिका स्वच्छता ही प्राण थी, उस जातिमें आज इतनी गन्दगी

आ घुसी है कि उसपर कुछ लिखनेकी आवश्यकता प्रतीत हो रही है। इस गन्दगीके कारण ही हमारी आयु दिनपर-दिन कम होती जा रही है, हमारे छोटे छोटे बच्चे असमयमें ही कालके मुँहमें चले जा रहे हैं और हम रातदिन रोगके शिकार बने रहते हैं। दूसरे देशोंसे मिलान करनेपर मालूम होता है कि जितने बच्चे भारतीय किसानोंके मरते हैं उतने और किसी देशमें नहीं। सालमें जितने आदमी यहां बीमार होते हैं उतने अन्यत्र किसी देशमें नहीं। आयुकी औसत भी यहांके लोगोंकी सब देशोंसे कम हो गयी है। इसका कारण यही है कि हम सफाई नहीं रखते और दरिद्रताकी मूर्ति बन गये हैं। इसलिए हमारा सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि हम गन्दगीको दूर करें और सफाईसे रहनेको आदत डालें। यह काम तो केवल शारीरिक मिहनतसे ही हो सकता है। इसमें पैसा खर्च करनेकी जरूरत नहीं है। जिस प्रकार हम खेतोंमें जाकर दिनभर कड़ी मिहनत करते हैं, उसी प्रकार यदि थोड़ासा समय प्रतिदिन सफाईके काममें लगा दिया करें तो गन्दगी हमारे पास फटक नहीं सकती। जब दिनभर काम करनेमें थकावट नहीं आती, या थकावट आनेपर भी विवश होकर खेतीके काममें मिहनत करनी ही पड़ती है, तो क्या सफाईमें थोड़ासा समय नहीं लगाया जा सकता?

इसके लिए हमें आलस्यको दूर करना होगा। आलस्य इतना बुरा रोग है कि एकबार जिसे यह पकड़ लेता है, उसका पिंड जल्द नहीं छोड़ता। यह दिन-ब-दिन बढ़नेवाला रोग है और मनुष्यका सर्वनाश करनेवाला है। देहातोंमें यह रोग बेतरह घुसा हुआ है। उसीका यह फल है कि हमारी गन्दगी संसारभरमें

मशहूर हो रही है। इसलिए इस बुरे रोग आलस्यको अपने शरीरमें हर्गिज घुसने नही देना चाहिए। क्योंकि यह रोग मनुष्यका नाश कर डालता है। यदि हम आलस्यको छोड़ दें और सफाईकी ओर ध्यान दें, तो बड़ी आसानीसे अपने जीवनको बहुत अंशोंमें सुखी बना सकते हैं, रोगोंसे बच सकते हैं, घरमे तथा स्नेहियोंके यहां होनेवाली मौतोंके शोकसे पनाह पा सकते हैं।

इसलिए सफाई रखना बहुत जरूरी है। छोटे बच्चो और अशक्य बूढ़ोंको छोड़कर घरके प्रत्येक आदमीको सफाईपर ध्यान रखना चाहिए। बच्चो और बूढ़ोंको इसलिए बरी कर दिया गया है कि असमर्थताके कारण वे अपनी सफाई अपने हाथसे नहीं कर सकते; इसलिए उनकी सफाईका भार घरवालोंपर निर्भर करता है। सालमे कमसे-कम दो बार दीवारोको पोत डालना जरूरी है। पोताई चाहे चूनेसे हो या साफ मिट्टीसे, यह अपनी सुविधाकी बात है। घर और द्वारकी सफाई दिनभरमे दो बार झाड़से करते रहना चाहिए। घरके भीतरकी सफाई स्त्रियां करें और बाहरकी पुरुष, नाबदान या पनालेको बहुत साफ रखना चाहिए; क्योंकि इसकी गन्दगीसे तरह तरहकी बीमारियाँ फैलनेकी सम्भावना रहती है। पनालेमें रोजाना पानी छोड़ते जानेसे उसमे गन्दगी पैदा नहीं हो सकती, बशर्त्ते कि सब पानी बह जाय। यदि पानी जमा रहेगा तो पानी छोड़नेसे कोई फायदा नही हो सकता बल्कि और पानी सड़कर गन्दगी बढ़ती है। इसलिए नाबदान ऐसा रहना चाहिए कि उसमे एक बूंद भी पानी न टिक सके। घरके भीतरकी जमीन हर आठवें दिन गायके गोबरसे लीपी जानी चाहिए। यह हमारे यहांकी बहुत पुरानी प्रथा है और बहुतसे घरोंमें

आज भी यह प्रथा मौजूद है। गायके गोबरसे जमीनसे पैदा होनेवाले कई तरहके कीड़े मर जाते हैं और उसके भीतरकी हवा शुद्ध रहती है। गोबरसे लीप देनेके बाद घरके भीतर धूल भी पैदा नहीं होती। इस काममें थोड़ासा परिश्रम तो जरूर करना पड़ता है, पर खर्च कुछ भी नहीं है।

यह सोचना गलत है कि सफाई तो पक्के मकानकी ही रक्खी जा सकती है, कच्चे मकानोंकी नहीं। सफाई एक ऐसी चीज है कि वह पक्के और कच्चे मकानपर निर्भर नहीं करती। बल्कि कच्चे मकानकी सफाई तो और भी अधिक आसानीसे की जा सकती है। मैंने सुना था, इलाहाबादमें एक गृहस्थका कच्चा मकान है, पर सफाईके लिए शहरभरमें मशहूर है। उसकी सफाई देखनेके लिए ही एक बार स्वर्गीय पं० मोतीलाल नेहरू गये थे। सुना जाता है कि उस मकानकी छज्जाके ऊपर मजाल क्या कि इमलीकी एक पत्ती भी पड़ी हुई कोई दिखा दे। इस एक बातसे उस गृहस्थकी सफाईका अन्दाजा लगाया जा सकता है।

घर-द्वारकी स्वच्छताके समान ही इस शरीर-रूपी गृहको भी स्वच्छ रखना चाहिए। जिस प्रकार मकानके भीतरी और बाहरी दो भाग हैं और दोनोंकी सफाई रखना जरूरी है, उसी प्रकार यह शरीर भी भीतर और बाहरके दो भागोंमें बँटा है। किन्तु यहां हम सिर्फ शरीरके बाहरकी सफाईपर प्रकाश डालेंगे। आगे चलकर यदि प्रसंग आया तो आन्तरिक स्वच्छतापर भी प्रकाश डाला जायगा। खूब मलमलकर साफ जलसे स्नान करने तथा गन्दगीसे यथाशक्ति दूर रहनेसे शरीर स्वच्छ रह सकता है। बहुधा लोग तालाबके गन्दे पानीमें भी नहा लिया करते हैं।

स्वास्थ्यके लिए यह बहुत बुरा है। किन्तु इसके साथ ही वस्त्रोंको साफ रखना आवश्यक है। बहुतसे लोग इतना गन्दा वस्त्र रखते हैं कि दूरसे ही बदबू करने लगते हैं। ऐसे आदमियोसे मिलने जुलनेमे स्वाभाविक ही लोग घृणा करते हैं और भरसक दूर रहना चाहते हैं। लोगोंको अपनेसे घृणा करते देखकर उस आदमीके दिलमें दुःख होना और घृणा करनेवालेके प्रति द्वेष पैदा होना मामूली बात है। इसका फल क्या हो सकता है ? दुःख।

इसलिए हर मनुष्यको चाहिए कि वह अपनेसे ही अपने लिए जानबूझकर दुःखका बीज ना बोये। यदि सफाईपसन्द आदमी हो तो उसके शरीरसे या वस्त्रसे बदबू नहीं आ सकती। उस अवस्थामें न तो कोई उससे घृणा करेगा और न उसे दुःख ही होगा। सबेरे उठकर मुँहको अच्छी तरह साफ करना चाहिए। बाद जब जब कोई चीज खायी जाय, बराबर मुँहको साफ करते रहना चाहिए। इससे दांत साफ रहते हैं, उनमें कोई रोग नहीं होता और मुँहसे दुर्गन्ध नही निकलती।

इसी प्रकार वस्त्रोंको भी साफ-सुथरा रखना जरूरी है। हम मानते हैं कि किसानोको हर वक्त खेतोमें या जमीनकी धूल-में काम करना पड़ता है, इसलिए वस्त्रोंका अधिक साफ रहना असम्भव है। किन्तु इसके माने यह नही है कि किसानोका वस्त्र गन्दा रह सकता है। यदि वस्त्र बराबर पानीमें धोकर धूपमे सुखा लिया जाया करे और कभी कभी अपनी सुविधाके अनुसार रेह, या सज्जी, साबुनसे साफ कर लिया जाय, तो वस्त्र साफ रहेगा, उसमे बदबू पैदा नहीं होगी और वस्त्रोंकी गन्दगीसे उत्पन्न होनेवाले रोगोंके पैदा होनेकी सम्भावना नहीं रहेगी। जाड़ेके रुईदार या ऊनी वस्त्र जो कि

रोजाना धोये नहीं जा सकते उन्हें कभी कभी धूपमें डालते रहना चाहिए। धूप लगनेसे भी वस्त्रोंकी गन्दगी दूर हो जाती है।

बहुधा देखा गया है कि सर्दी पड़नेसे भादों क्वारके महीनेमें और सर्दी खत्म होनेके बाद फागुन चैतके महीनेमें देहातके लोग खुले मैदानमें सोते हैं और सबेरे उठकर रातभरकी ओससे भीगा हुआ ओढ़ना-बिछौना उसी तरह लपेटकर रख देते हैं। इससे उन वस्त्रोंमें बहुत जल्द सड़ीसी बदबू पैदा हो जाती है। वे वस्त्र बहुत जल्द फट भी जाते हैं। इसलिए ऐसा करना बहुत बुरा है। मैदानमें सोना बुरा नहीं है, पर सबेरे उठकर ओससे भीगे हुए वस्त्रोको धूपमें फैला देना चाहिए और सूख जानेके बाद उन्हें समेटकर रखना चाहिए। इससे न तो उन वस्त्रोंमें बदबू ही पैदा होगी और न वे सड़कर जल्द फटेंगे ही। विद्वानोंकी राय है कि थोड़े वस्त्रोंसे काम चलाना बड़ा उत्तम होता है। ऐसे लोगोंको चर्म रोग कभी नही होता। किसानोकी गरीबीके कारण उनके पास स्वभाविक ही बहुत कम वस्त्र रहते है। इसलिए उन्हें चाहिए कि वे उन्हें साफ-सुथरा रखा करें।

जिस प्रकार घर-द्वारकी सफाई रखना, वस्त्रोंकी सफाई रखना, तथा शरीरकी सफाई रखना जरूरी है, उसी प्रकार मकानके नजदीक कूड़ा-करकट भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि इससे हवामें गन्दगी पैदा होती है। इसे हम आगे चलकर अच्छी तरह समझावेंगे, इसलिए यहां इस विषयपर विशेष कुछ लिखनेकी आवश्यकता नहीं है।

स्वास्थ्य ( तन्दुरुस्ती )

सफाई रखनेका खास मतलब यही है कि जिसमें तन्दुरुस्ती ठीक रहे। तन्दुरुस्त रहनेके लिये ही दुनियांभरके काम किये जाते हैं। संसारमे सबसे बड़ी चीज तन्दुरुस्ती है। जो आदमी अपनी तन्दुरुस्ती खो देता है, वह संसारमें कुछ नहीं कर सकता। उसे जिन्दगी भार-रूप हो जाती है। संसारकी सारी चीजें मौजूद हो, पर तन्दुरुस्ती न हो, शरीर अनेक तरहके रोगोंका घर बन गया हो तो समझ लेना चाहिये कि उसके लिए दुनियांकी सारी चीजें बेकार है। तन्दुरुस्त रहनेपर ही हमे दुनियांकी सारी चीजोंकी आवश्यकता है। जब तन्दुरुस्ती ही ठीक नही है तब हम संसारकी तरह तरहकी चीजे लेकर क्या करेंगे ? इस लिए जीवनका सार स्वस्थता है। स्वस्थता नही है तो कुछ नही है। स्वास्थ्यकी ओर पूरा पूरा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योकि स्वास्थ्य ही जीवनका सर्वस्व है।

स्वस्थ रहनेके लिए घर-द्वारकी सफाई रखना, शरीर और वस्त्रोंको शुद्ध रखना परम आवश्यक है। उसके बाद शुद्ध भोजन और नियमका नम्बर आता है। यदि हम शुद्ध भोजन न करें या नियमपूर्वक न रहे तो हमारा स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रह सकता। स्वास्थ्यके प्रेमियोंको ठीक समयपर भोजन करना, ठीक समयपर स्नान करना तथा आवश्यकतानुसार समय समयपर गृहस्थीका काम करना जरूरी है। आवश्यकतानुसार समय समयपर काम करनेके लिए इस अभिप्रायसे कहा गया है कि खेतीके काममें समयकी पाबन्दी रखनेसे काम नही चल सकता। मान लीजिये रातमें वर्षा हुई, उस समय किसी खेतका पानी बाँधना या खोलना

बहुत जरूरी है। ऐसी दशामें क्या हम समयकी प्रतीक्षा करेंगे? अथवा खलिहानमें जायदाद फैली हुई है और आधी रातके समय वर्षा होनेके लक्षण दिखायी पड़े। उस अवस्थामें, उसी समय उठकर बिखरी हुई जायदादको समेटना जरूरी होगा। किन्तु भोजन और स्नानके लिए यह बात नहीं है। उसे तो समय समयपर ही करना चाहिए। कभी दिनमें १० बजे नहाकर भोजन कर लिया और कभी दो बज गये, दाना-पानीसे भेंट नहीं; इसी प्रकार कभी रातमें आठ बजे भोजन कर लिया और कभी किसीके दरवाजेपर बैठकर बारह बजे राततक गप लड़ाते रह गये, यह आदत ठीक नहीं। इसका असर स्वास्थ्यपर बहुत बुरा पड़ता है। भले ही इसका असर तुरन्त न मालूम हो, पर यह निश्चय है कि इस अनियमितताका प्रभाव स्वास्थ्यपर बहुत बुरा पड़ता है। इसलिए ठीक समयपर स्नान करना और ठीक समयपर ही भोजन करना स्वास्थ्यके लिए बहुत जरूरी बात है। हां, यदि कभी कोई ऐसा काम आ जाय कि ठीक समयपर स्नान या भोजन करनेका मौका न मिले तो बात दूसरी है। पर ऐसा काम आ जानेपर भी यथाशक्ति ठीक समयपर भोजन और स्नान करनेके लिए समय निकालनेकी कोशिश जरूर करनी चाहिए।

निश्चित समयपर भोजन करना, निश्चित समयपर स्नान करना, सोना, सोकर उठना बड़ा ही लाभदायक है। इससे मनुष्यका स्वास्थ्य ठीक रहता है, शरीरमें आलस्य नहीं आता और हमेशा चित्त प्रसन्न रहता है। नियम बनाकर उसके अनुसार सब काम करनेमे हर तरहकी सुविधा होती है और आराम भी मिलता है। नियम न रहनेसे बड़ी कठिनाई पड़ती है। गावोंमें

अकसर देखा जाता है कि एक किसान जो कि आलस्य नहीं करता और अपना सब काम नियमसे करता है—दोपहर होनेसे पहले ही अपना सब काम कर लेता है और भोजन आदिसे निवृत्त होकर आराम करता तथा कथा-वार्त्तामें चित्त लगाता है; किन्तु दूसरा किसान आलसी होनेके कारण एक-दो बजेतक भी अपना काम पूरा नहीं कर पाता है। फल यह होता है कि न तो वह समय-से भोजन करता है और न उसे आराम ही करनेका मौका मिलता है। वह अपना काम पूरा क्यो नही कर पाता, इसका पता लगाने-पर मालूम होता है कि वह दिल लगाकर अपना काम नहीं करता। कभी काम करता है और कभी बैठकर बिना थके ही समय बिताता या किसीके आ जानेपर उसके साथ व्यर्थकी बातें करने लगता है। इन्हीं कारणोंसे उसका काम पूरा नहीं होता और वह दो बजेतक अपने काममे ही लटका रहता है। स्वास्थ्यके लिए स्वच्छताके बाद भोजनका ध्यान रखना चाहिए।

भोजन कैसा होना चाहिए, इसपर कुछ लिखनेकी विशेष आवश्यकता प्रतीत नही होती। क्योकि भोजनकी सामग्री जैसी होनी चाहिए, वैसी सामग्री जुटानेके लिए दुःखी किसानोकी स्थिति नही है। हां यह अवश्य है कि सादा भोजन प्रकृतिने उन्हें स्वयं प्रदान किया है। भोजन सादा ही होना भी चाहिए। किन्तु हो वह ताजा और स्वच्छ। बासी या अपवित्र भोजन करना हानि-कारक है। बिलकुल ठंडा भोजन भी नहीं करना चाहिए। अधिक खट्टी, तीती या चटपटी चीजोंका खाना बहुत बुरा है। ऐसी चीजें खानेसे शरीरमें नाना प्रकारके विकार पैदा होते हैं। ऐसी ही चीजें खानेका प्रभाव है कि शहरके लोग रुग्ण और कमजोर हो जाते

हैं। हम मानते हैं कि शहरवालोंके रोगी और कमजोर होनेका सिर्फ यही कारण नहीं है, और भी बहुतसे कारण हैं; किन्तु एक कारण चटपटी चीजोंका खाना भी है, इसमे सन्देह नहीं। यह ईश्वरकी कृपा है कि हमारे देशके किसान चटपटी चीजें खानेके आदी नहीं हैं।

व्यायाम

तन्दुरुस्तीके लिए व्यायाम या कसरत बहुत जरूरी चीज है। यों तो किसानोकी कसरत खेतीके कामोंमें ही होती जाती है और यही कारण है कि उनकी तन्दुरुस्ती कई अंशोंमें ठीक रहती है, पर उस कसरतके अलावा उन्हे कुछ ऐसा व्यायाम भी करना चाहिए जो केवल शरीर-गठनके लिए और स्वास्थ्य-रक्षाके लिए हो। जैसे, डँड़-बैठक करना, कुश्ती, मुद्गर या लोढ़ घुमाना इत्यादि। इसके लिए हर आदमीको समय निकालना चाहिए और प्रतिदिन इसके करना चाहिए। इससे कई लाभ होते हैं। एक तो खेतीके कामोंमें किये हुए परिश्रमकी थकावट दूर हो जाती है, दूसरे शरीरमें फुर्ती आती है, तीसरे बल बढ़ता है, चौथे साहसकी वृद्धि होती है, पांचवें शरीरका गठन सुन्दर और सुडौल होता है यानी बदन गठीला होता है और छठे खेतीके कामोंमें खूब जी लगता है। दुःख है कि आजकल देहातोंमें व्यायामकी चाल उठी जा रही है। आजसे पचीस वर्ष पहले जिस गांवमें चार अखाड़े थे, वहां अब मुश्किलसे एक अखाड़ा रह गया है। पहले चार अखाड़ा रहनेपर भी प्रत्येक अखाड़ेपर पचीस-पचीस तीस-तीस आदमी जुटते थे, पर अब चारकी जगह एक अखाड़ा हो जानेपर भी कठिनाईसे दस आदमी दिखायी पड़ते हैं। हमारे यहां जो इसकी चाल

उठती जा रही है, उसे हमें अपने पतनका कारण समझना चाहिए।

देहातोंमे पहले कबड्डी, आँवा-भावाँ आदि बीसो तरहके खेल होते थे, लोग फुरसतके समय बड़े शौकसे खेलते थे, पर आज उन्हे खेलना तो दूर रहा, उनका नाम भी लोग भूले जा रहे हैं और भूल गये हैं। दौड़ धूपके खेल, तैराकीके खेल, फरी, पेड़ोंकी डालियोंके ऊपरके खेल चन्द दिनोंमे ही बन्द हो गये। इन खेलोंको फिरसे जारी करना चाहिए और पूरा लाभ उठाना चाहिए। कुछ ही दिन पहलेकी बात है, कबड्डी, बदी आदि खेलोमें पचास-पचपन वर्षकी उम्रके लोग शामिल होकर शौकसे खेलते थे। यही कारण था कि वे ७०-८० वर्षकी अवस्थामें भी हट्टे-कट्टे और गृहस्थीका काम-धन्धा करनेके लायक बने रहते थे। किन्तु अब अव्वल तो उतना जीना ही दुरूह है और यदि कोई जीवित भी रह जायगा तो उसके लिए उठना-बैठना कठिन हो जायगा—काम-धन्धा करना तो दूरको बात है। इसका कारण यही है कि अब व्यायामका शौक नहीं रहा। सौमें दस-पांच आदमी यदि व्यायामसे शौक भी रखते हैं तो वे पचीस-तीस वर्षकी उम्रमें ही अपनेको बुजुर्ग समझकर उसे छोड़ देते हैं।

व्यायामकी चाल कम हो जानेसे आपसका मेल भी घटता जा रहा है। पहले दस आदमी इसी बहाने इकट्ठे होते थे, हँसते-बोलते थे, कुश्ती लड़ते थे, सबमें प्रेम रहता था। यदि कुश्तीके मामलेमें किसीसे मनमुटाव भी हो जाता था तो वह कुछ दिनोंके लिए। क्योंकि जिस मनमुटावमें किसी तरहके स्वार्थकी हानि नहीं होती, वह मन-मुटाव टिकाऊ नहीं होता। इसलिए दो आदमियोंमे यदि कभी झगड़ा भी हो जाता था तो दस दिनके बाद ही फिर मेल हो जाता था।

एक अखाड़ेके लोग अपनेको एक परिवारका आदमी समझते थे। किन्तु अब वह प्रथा बन्द हो जानेसे आपसके मेलका एक बहुत बड़ा जरिया टूट गया। उसके स्थानपर अब पारस्पारिक द्वेष बढ़ता जा रहा है।

इसलिए देहातके बड़े बूढ़ोंका कर्त्तव्य है कि वे अपने बच्चोंको इसके लिए प्रोत्साहन दें और उन्हें हर तरहसे साहसी, निर्भीक और बहादुर बनानेकी कोशिशें करें। स्कूलके अध्यापकों तथा गांवके पढ़े-लिखे लोगोंका भी इस ओर ध्यान जाना आवश्यक है। जबतक जगह जगहसे बहुतसे आदमी किसी कामके लिए तैयार नहीं हो जाते, तबतक कोई भी काम हो, पूरा नहीं होता।

इन व्यायामोके अतिरिक्त बच्चोंके कुछ स्वतंत्र व्यायाम भी थे। जैसे गुल्ली-डंडा, चिग्गी-डांड़ी, गोली आदिके खेल। जो खेल प्रचलित हैं, उनके लिए तो कोई बात नहीं, किन्तु जो खेल बन्द हो गये हैं, उन्हें फिरसे चालू करनेकी जरूरत है। खेलसे बच्चोंकी तन्दुरुस्ती ठीक रहती है, बदनमें ताकत आती है, दिमाग ताजा होता है और बुरे कामोंकी ओर ध्यान नहीं जाता।

**वीर्य-रक्षा**

तन्दुरुस्त रहनेके लिए वीर्यकी रक्षा करना या ब्रह्मचर्यका पालन करना परम आवश्यक है। क्योंकि वीर्य ही शरीरका राजा है। इसीके बलपर मनुष्य जीवित रहता, बड़े बड़े आश्चर्यजनक काम करता तथा लम्बी आयुवाला होता है। मनुष्य जो कुछ खाता है, उसका सार पदार्थ यही वीर्य है। वीर्यको मणिकी तरह जुगोकर रखना चाहिए। यह पानीकी तरह बहानेकी वस्तु नहीं है। संसारमें जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं, हो रहे हैं, और हैं, चाहे वे पहलवान हों,

तपस्वी हों, विद्वान् हों, या और कुछ हों—सब इसी वीर्यरक्षाके प्रतापसे। भारतवर्षमे सदासे वीर्यरक्षाका बड़ा भारी महत्व रहा है। जो आदमी वीर्यरक्षा नहीं करता, वह कितने ही अन्य उपाय क्यों न करे, कभी तन्दुरुस्त नहीं रह सकता और न दीर्घायु हो सकता है।

यहां वीर्यरक्षा या ब्रह्मचर्यका यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य अविवाहित रहे, संसार-धर्मसे उदासीन रहे। इसका अर्थ सिर्फ यह है कि वैवाहिक जीवनमें मनुष्य-मर्यादाके भीतर स्त्री-सहवास करे, अधिक नहीं। उसे इसका ध्यान रखना चाहिये कि वीर्य तो केवल सन्तानोत्पत्तिके लिए ही शरीरसे बाहर निकालना उचित है। जब मनुष्यके दिलमें यह बात ठीक ठीक बैठ जायगी, तब वह स्वाभाविक ही इसकी रक्षामें सचेष्ट रहेगा। यो तो अधिक वीर्यपात करना सबके लिये समान घातक है, पर किसानोंके लिए और भी अधिक। क्योंकि अन्य लोग यदि अधिक वीर्यपात करते हैं तो घी-दूध आदि पौष्टिक चीजें खाकर क्षीण किये हुए पदार्थका कुछ अंश शरीरको दे देते हैं; किन्तु भारतके अभागे किसानोंको तो पौष्टिक चीजोंके लिए कौन कहे भरपेट रूखा-सूखा अन्न भी नहीं मिलता। ऐसी दशामें उनके शरीरको नष्ट की हुई वस्तुका थोड़ा भी अंश कहांसे पूरा होगा? इसका फल यह होता है कि एक ओर वीर्य-क्षय होनेसे और दूसरी ओर खेतीके काममे जी-तोड़ मिहनत करनेसे उनका शरीर सूखकर कांटा हो जाता है, शरीरका तेज नष्ट हो जाता है, चेहरेपर हवाइयां उड़ने लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, क्रोधकी मात्रा बढ़ जाती है, किसी काममें जी नहीं लगता, आयु कम हो जाती है और जिन्दगी भार-स्वरूप हो जाती है।

इसलिए यदि मनुष्यको सुख भोगनेकी इच्छा हो, संसारमें उद्योगी और साहसी कहलानेकी अभिलाषा हो तो उसे वीर्यकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए। वीर्यकी रक्षा करनेपर ही संसारका बड़ासे बड़ा कार्य किया जा सकता है। वीर्यकी रक्षाके द्वारा ही मनुष्य अपना इहलोक और परलोक सुधार सकता है।

इसकी रक्षा करनेके लिए साधारण उपाय ये हैं:—

१—सादगीसे रहना और शुद्ध तथा सात्विक भोजन करना।

२—अश्लील बातें न करना।

३—गन्दी बातें करनेवालोंसे हमेशा दूर रहना।

४—शिक्षाप्रद और उत्तम ग्रंथोंका अध्ययन करना। अच्छी अच्छी बातें करना।

५—स्त्रियोंके सम्पर्कमें अधिक न बैठना तथा उनका चिन्तन न करना।

६—एक भी क्षण बेकार न रहना (क्योंकि बेकारीमें मन बुरी बातोंका चिन्तन करने लगता है)।

७—हमेशा अपने विचारोंको ऊंचा रखना और अपने आदर्शको किसी भी अवस्थामें न डिगने देना।

८—बुरे कामोंसे सदा दूर रहना और अच्छे तथा लोकोपकारी कामोमें मन लगाना।

९—आहार और विहारमें पूरा संयम रखना।

१०—नशीली, गर्म, मद्य-मांस तथा विशेष खट्टी और तिक्त चीजें न खाना।

११—व्यसनोंसे दूर रहकर व्यायामसे प्रेम करना।

१२—सदा सत्य बोलना और हिंसा न करना।

हर्षकी बात है कि नगरोकी अपेक्षा देहातोंमें आज भी सदाचार अधिक है। किन्तु यह बात बड़े दुःखकी है अब धीरे धीरे देहातोमे शहरकी हवा लगती जा रही है। यदि इससे रोकनेके लिए लोग सचेष्ट न हुए तो वह दिन दूर नहीं जब इसका नाम निशान भी मिट जायगा और नैतिक पतन और भी अधिक होकर लोगोंका जीवन ही निकम्मा हो जायगा।

जल-वायु

प्रकृतिने जल और वायु ये दो ऐसी चीजें दी हैं, जिनसे मनुष्य स्वस्थ रहता है। किन्तु यह गुण शुद्ध जल वायुमे ही है। दूषित जल-वायुसे मनुष्यका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए देहातवालोंको चाहिए कि वे अपने यहांके पानी और हवामें किसी तरह भी गन्दगी पैदा न होने दें। जिस प्रकार परमात्माने इन दोनों चीजोंको मनुष्यमात्रके लिए बनाया है, उसी प्रकार मनुष्यमात्रको इन्हे शुद्ध रखनेपर पूरा ध्यान रखना चाहिए। गांवोमें प्रकृतिकी दी हुई ये दोनो उपयोगी चीजें बड़ी आसानीसे शुद्ध रखी जा सकती हैं। शहरवाले तो चेष्टा करनेपर भी इन्हें शुद्ध नहीं रख सकते। शहरोंमें जो जल नलोंद्वारा पीनेको मिलता है, उसमें न तो जीवन-वर्द्धक तत्त्व रहता है और न जीवन-नाशक। इसी प्रकार अधिक जन-समूहके कारण शहरोकी हवा भी गन्दी रहती है। किन्तु देहातोमें यह दोष नहीं है। वहा कुएँका शुद्ध और पुष्टिकारक पानी पीनेको मिलता है। उसमें जीवन-वर्द्धक तत्त्व पर्याप्त मात्रामे रहता है। किन्तु कुएँका पानो बराबर निकालते रहना जरूरी है। जिस कुएँका पानी काफी मात्रामे नहीं निकलता, उसका पानी दूषित हो जाता है। उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और

बदबू पैदा हो जाती है। कुएँके पानीको शुद्ध रखनेके लिए नीचे लिखी बातोंका ध्यान रखना उचित है :—

१—कुएँके आसपास किसी तरहकी गन्दगी न रहने देना चाहिए। उसके नजदीककी जमीन साफ सुथरी रहे।

२—उसके भीतर पेड़के पत्ते तथा अन्य ऐसी चीजें जो पानीमें सड़कर बदबू पैदा करनेवाली हों न गिरने पावें।

३—सालमें कमसे कम तीन चार बार पुरवट चलाकर या घरेंसे कुएँका पानी निकाल देना चाहिए।

४—कुएँके ऊपर ऐसी छज्जा होनी चाहिए जिसमें उसके भीतर कोई जीव-जन्तु न गिर सके।

५—यदि कभी पानीमें बदबू पैदा हो जाय या कीड़े पड़ जायँ तो कुएँका सब पानी निकाल डालना चाहिए। यदि ऐसा करना सुविधाजनक न हो तो एक बाल्टीमें लाल बुकनी जिसे देहातमें पोटास कहते हैं, घोलकर छोड़ देना चाहिए। उसके छोड़नेकी विधि सबलोग जानते हैं, इसलिए यहां लिखना बेकार है।

६—कुएँके पास नाबदानकी कच्ची नाली या घूरका होना बड़ा हानिकारक है। इसलिए इन्हे दूर रखना चाहिए।

इसीप्रकार वायुकी शुद्धतापर भी ध्यान रखना सबका कर्त्तव्य है। बस्तीमें गन्दगी न होने देना, बस्तीसे दूर जाकर मल-मूत्र त्याग करना, बस्तीमें कोई ऐसा गढ़ा न हो जिसमें वर्षाका पानी तथा तृण आदि सड़कर दुर्गन्ध पैदा होनेकी आशंका हो, घूरोंको बस्तीमें न रहने देना, हर चीजकी सफाईपर हर समय पूरा पूरा पूरा ध्यान रखना बस ये ही बातें वायुको शुद्ध रखनेके लिए काफी हैं।

यदि मनुष्य-जीवनमें शुद्ध जल-वायु और पवित्र भोजन

मिलता जाय तो स्वस्थताके लिए और किसी चीजकी जरूरत नहीं पड़ सकती।

स्वस्थ रहनेके लिए मनोबलकी भी नितान्त आवश्यकता है। यह मनोभाव मनुष्यको ऊँचसे ऊँच और नीचसे नीच बना सकता है। मनोभावसे ही हम किसी कामको बुरा और अच्छा बना सकते हैं। एक खेतीके ही कामको ले लीजिये, यदि खेतीका कोई धन्धा करते समय हमारा यह भाव हो कि यह धन्धा हमें शक्तिहीन बना देगा, तो वास्तवमे हम शक्तिहीन हो जायँगे; किन्तु यदि हमारा यह भाव हो कि इस धन्धेसे खासा व्यायाम हो रहा है, इससे हमारे शरीरमे बल बढ़ेगा, तो सचमुच ही उस कामके करनेसे हममें बल बढ़ेगा। दिल छोटा कर लेना या समय समय[illegible] हताश हो जाना तन्दुरुस्तीके लिए बड़ा घातक है। इसलिए मनुष्यको हर काममें मनोभावका ध्यान रखना चाहिए। किसी भी हालतमें मनोबलकी कमी न होने देना चाहिए। मोटासे मोटा अन्न तुम्हे खानेको मिले, पर यह कभी न सोचो कि इस भोजनसे तो हमारे शरीरकी शक्ति ही क्षीण हो जायगी, हम दुबले हो जायँगे; बल्कि यह सोचो कि इस भोजनसे हमारे शरीरमें बल पैदा होगा और हम हट्टे, कट्टे होंगे। इसी प्रकार गृहस्थीका कोई भी काम हो, ऐसे उत्साहसे करना चाहिये कि उस कामके करनेसे हमारी कसरत हो जायगी। मनकी भावनाके अनुसार ही मनुष्यको फल मिलता है। देखिये, गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं:—

जाकी रही भावना जैसी।
प्रभु-मूरति देखी तिन तैसी॥

विश्वास ही फल देनेवाला है। मनोबलके द्वारा मनुष्य बहुत

बड़े कामोंको आसानीसे कर सकता है। मनोबलमें वह अद्भुत चमत्कार है जो दुनियाकी किसीभी वस्तुमें नहीं है।

इसलिए अपने मनके भावको हमेशा शुद्ध, पवित्र और ऊँचा रखना चाहिए। इसे शुद्ध रखना भी तन्दुरुस्तीके लिए बहुत जरूरी बात है। कभी क्रोध न करना, हमेशा शान्त और प्रसन्न चित्त रहना, दुःख और सुखमे उद्विग्न न होना, योगी पुरुषोंके लक्षण हैं। इन गुणोंसे मनुष्यको स्वाभाविक ही बड़ा सुख मिलता है। इन गुणोंके बिना वास्तविक शान्ति सदा दुर्लभ रहती है।

# तीसरा अध्याय

## आमदनीके उपाय

हमारी आवश्यकता

संसारमें रुपयेकी महत्ता सबसे बड़ी है। रुपयेके बिना मनुष्यका गृहस्थीमें निर्वाह नहीं हो सकता। हर कामके लिए मनुष्यको रुपयोंकी ही जरूरत दिखायी पड़ती है। इसलिए जीवनको सुखी बनानेके लिए और चीजोंके साथ साथ रुपयेकी भी बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है। लज्जा-निवारणके लिए या सर्दीसे बचनेके लिए कपड़ेकी आवश्यकता पड़ती है। उसे खरीदनेके लिए रुपया होना चाहिए। दियासलाई, कंघी, शीशा, कागज, श्याही, दावात, कलम, चाकू आदि सैकड़ों ऐसी चीजें हैं, जिनके बिना काम नही चल सकता और उन्हे खरीदनेके लिए पैसेकी

आवश्कता पड़ती है। समयके प्रभावसे आज हम बहुत-सी ऐसी चीजें काममें लाने लगे हैं जिन्हे हम पहले बहुत कम मिहनतमें या तो अपने हाथसे तैयार कर लेते थे और या खरीदते भी थे तो नहींके समान मूल्य देकर; किन्तु आज उन चीजोंके लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। एक छोटीसी चीजका उदाहरण लीजिये, पहले हम किरिच, नरकट साहीके काँटे तथा सरईकी बढ़िया कलम अपने हाथसे बनाकर काम चलाते थे; किन्तु आज हमें कलम खरीदनेमें पैसा खर्च करना पड़ता है। पहले कलमका क़त खराब हो जानेपर चाकूसे बना लिया जायगा; किन्तु अब बिना पैसा खर्च किये निब नहीं बदली जा सकती। पहले हर गांवमें बढ़ई कंघियां बनाया करते थे और उन्हें गांवके लोग टुकड़े-छदाम का अनाज देकर ले लिया करते थे; किन्तु अब सिर्फ एक कंघी खरीदनेमें चार-चार आना एक एक रुपया गांठसे निकालकर देना पड़ता है। इसी तरहकी और भी बहुतसी चीजें हैं जिनके लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। यदि विदेशसे आनेवाली सब चीजोंके आंकड़े देखे जायँ तो मालूम होगा कि हमारे देशका अपार धन विदेशवाले हर साल इन्हीं चीजोंके बदलेमें खींच रहे हैं। किन्तु इस प्रकार हम कबतक विदेशी चीजें खरीदते रहेंगे और उनकी कीमत चुकाते रहेंगे? उन चीजोंके लिए हमारे पास रुपया कहाँसे हमेशा आता रहेगा? यह बात विचार करने योग्य है।

गम्भीरताके साथ विचार करनेपर मालूम होता है कि अब हममें उन चीजोंके खरीदनेकी शक्ति बहुत कम शेष रह गयी है और वह दिन दूर नहीं जब हम बिलकुल शक्तिहीन हो जायँगे। ऐसी

दशामें हमारा कर्त्तव्य है कि हम पहलेहीसे सावधान हो जायँ क्योकि यह तो तय बात है कि संसारमें रुपयोके बिना काम नही चल सकता। इसलिये हर मनुष्यके पास रुपयेका रहना जरूरी है, चाहे वह एकत्र पूँजीके रूपमें हो या बराबर होनेवाली आमदनी हो। किन्तु हमारे देशके किसानोंके पास रुपये तभी आ सकते हैं, टिक सकते हैं जब वे दो तीन बातोंपर ध्यान देंगे। पहली बात तो यह है कि वे अपनी आवश्यकताएँ कम करें और दूसरी बात यह है कि वे पैसा देकर वे ही चीजें खरीदें जिनके बिना किसी प्रकार भी काम न चल सके। तीसरी बात बड़े महत्त्वकी यह है कि वे स्वावलम्बी बनें। अर्थात् जहाँतक हो सके वे अपने लिए जरूरी चीजोको अपने हाथसे तैयार करें।

साधारण रीतिसे मनुष्यकी दो आवश्यकताएँ सबसे बड़ी हैं जिनके विना काम नही चल सकता। एक है अन्न और दूसरा है वस्त्र। बस, ये ही दो चीजें प्रधान हैं। इन दोनों चीजोका सवाल यदि हल हो जाय तो हमारी चिन्ता बहुत कुछ दूर हो सकती है। हम मानते हैं कि इन दोनो चीजोंके अलावा बहुतसी ऐसी छोटी-मोटी चीजें हैं जिनके बिना काम चलना कठिन है। किन्तु उनकी चर्चा यहां इसलिए नही की जा रही है कि मनुष्य उनके खर्चमें अपनी स्थितिके अनुसार काट-छांट करके कमी कर सकता है। इसलिए प्रधान बातें दो ही रह जाती हैं।

यदि हम सालभरमें इतनी आमदनी कर लें कि हमारे परिवारके खानेपीनेका काम बखूबी चल जाय—और जमीनका कर चुका दें चाहे वह आमदनी अन्न पैदा करनेसे हो, चाहे फल-फूलसे या और किसी छोटेमोटे उद्योग-धन्धेसे, तो वस्त्रका सवाल हम

अपने पुरुषार्थसे हल कर सकते हैं। इसलिए इस अध्यायमें ऐसी ही बातोंका उल्लेख किया जायगा जिनसे किसान आसानीसे अपनी आमदनी बढ़ा सकें।

अन्नकी उपज

इधर कुछ दिनोंसे जो बराबर खेतीकी पैदावार घटती जा रही है, उसके दो कारण हैं; एक तो यह कि प्रकृति हमारे अनुकूल नहीं है, इसलिए कभी तो समयपर वर्षा न होनेके कारण नुकसान हो जाता है, कभी अधिक वर्षा होनेके कारण फसलें खराब हो जाती हैं और कभी कुसमयमें पानी बरसकर फसलोंको चौपट कर देता है; और दूसरा कारण यह है कि जमीनकी उपजाऊ शक्ति बहुत कम हो गयी है और दिनपर दिन कम होती जा रही है। पहले कारणपर हमारा कोई वश नहीं। क्योंकि जिन वैज्ञानिक क्रियाओंसे उक्त कठिनाईमें लाभ उठाया जा सकता है, उनके लिए न तो हमारे पास धन है, न साधना है और न वैसी विद्या ही। है किन्तु दूसरे कारणको हम अपने परिश्रमसे दूर कर सकते हैं।

प्रकृतिके नियमके सम्बन्धमें हम पहले ही कह आये हैं कि जमीनसे जितना लिया जाय उतना ही उसे किसी न किसी रूपमें देना भी चाहिए। किन्तु हम जमीनसे लेते तो जा रहे हैं, देते कुछ नहीं। जो कुछ देते भी हैं वह नहींके समान। इसीसे जमीनकी उपज शक्ति कम हो गयी है। दूसरा कारण उपजके कम होनेका यह है कि एक ही चीज बराबर पैदा करते करते जमीनकी उर्वरा शक्ति कम हो गयी है। यदि हमें एक ही चीज नित्यप्रति खानेको मिले तो हमारी क्या दशा होगी? दूसरी चीज खानेकी इच्छा होगी। यदि दूसरी चीज खानेको न मिलेगी तो उसका फल यह होगा कि हमारी

भोजन करनेकी ओरसे रुचि हट जायगी और हम बिलकुल दुबले हो जायँगे। ठीक यही हाल जमीनका है। बराबर सिर्फ अन्न ही पैदा करते करते उसकी उपज-शक्तिमें शिथिलता आ गयी है। केवल मटरके बाद जौ और जौके बाद उर्द-अरहर बो देनेसे ही हमेशा काम नहीं चल सकता। जिसप्रकार गेहूँके खेतमें फिर गेहूं बो देनेसे जोरदार नहीं होता, इसलिए उसमें गेहूं न बोकर दूसरा अन्न बोनेकी जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार सैकड़ों-हजारों वर्षतक खेतोमे केवल अन्न ही बोते रहनेसे भी फसल जोरदार नहीं होती। इसलिए अब जरूरत इस बातकी है कि जिन खेतोंमें मुद्दतसे केवल अन्नकी ही खेती होती आयी है, उनमें फल-फूल, साग-तरकारी आदिकी खेती की जाय। इससे लाभ भी अच्छा होगा और कुछ ही दिनोमे जमीनका गुण भी बदल जायगा। उसके बाद फिर उनमे अन्नकी अच्छी पैदावार होने लगेगी। अब हम सबसे पहले इस बातपर प्रकाश डालेंगे कि खेतोकी उपज-शक्ति बढ़ानेके कौन कौनसे उपाय हैं और उनके साधन क्या हैं।

## उपज बढ़ानेके सरल उपाय

**विदेशी खाद**

खेतोकी उपज बढ़ानेके लिए खाद ही मुख्य चीज है। खाद जितनी ही अच्छी और जोशीली होगी, खेतकी पैदावार उतनी ही अधिक बढ़ेगी। किन्तु खादके सम्बन्धमें भी हमें अपने नफे-नुकसानका हमेशा ध्यान रखना उचित है। अर्थात् यह देखना चाहिए कि खाद छोड़नेमे तथा जोताई, बीज और सिंचाईमे हमारी जो लागत बैठी, उसके अनुसार पैदावारसे लाभ हुआ या नहीं। यदि लाभ हुआ तो खेतकी मालगुजारी चुकानेके बाद हमें कुछ बचत हुई या

नहीं और बचत हुई तो वह काफी है या नहीं। खादके लिए दो बातोंका खयाल रखना चाहिए—एक तो यह कि खाद देशी और सस्ती हो तथा जोशीली भी हो, दूसरे वह अपने हाथकी तैयार की हुई हो। आजकल विदेशोंसे आनेवाली खादका उपयोग देहातोंमें होने लगा है और दिनपर दिन उसका प्रचार बढ़ता जा रहा है। देहातके लोग यह समझ रहे हैं कि एक बीघेमें दो-ढाई रुपयेकी विलायती खाद डाल देनेसे पैदावार बढ़ जाती है। इसी लोभमें पड़कर वे विदेशी खाद विशेषरूपसे काममें ला रहे है। किन्तु यह बात बहुत बुरी है। किसानोंको यह समझना चाहिए कि जब दो-चार रुपया बीघा लगान देनेके लिए नहीं अँटता और बकाया लगान सिरपर चढ़ा रहता है, तब विदेशी खाद खरीदनेके लिए दो-ढाई रुपया बीघा हरसाल कहांसे आवेगा? मान लीजिये कि एक किसानके पास पचीस बीघा खेत है। यदि वह ढाई रुपयेकी विदेशी खाद खरीदकर हरसाल हर बीघेमें डालने लगेगा तो बैठे बिठाये साढ़े बासठ रुपये सालका खर्च बढ़ जायगा। इसका फल क्या होगा, जानते हैं? फल बड़ा भयंकर होगा। जिस प्रकार हम अनेक तरहकी विदेशी चीजोंके आदी होकर उन्हें खरीदने लगे और अपने उद्योग-धन्धेसे हाथ धो बैठे उसी तरह हम इस कामसे भी अपना सर्वनाश कर देंगे। फिर तो बस हमें खादके लिए भी सिर्फ विदेशियोंका ही मुँह देखना पड़ेगा। हर तरहसे हम पंगु हो जायँगे, खाद बनानेमें आलस्य करने लगेंगे और यदि विदेशी खादका दाम बहुत बढ़ भी जायगा तब भी हम अपना सर्वस्व बेचकर उसे खरीदनेके लिए लालायित रहने लगेंगे। विदेशकी प्रत्येक चीजसे हमें खूब सतर्क रहना चाहिए। अपने

देशकी महँगीसे महँगी चीज खरीदनेमें भी नुकसान नहीं है, पर विदेशकी सस्तीसे सस्ती चीज खरीदनेमें भी हमारा सर्वनाश है। यह हमेशा याद रहे कि विदेशी चीजोने ही हमें बर्बाद किया है। इसलिए विदेशी चीजोको जहरीले पहाड़ी विच्छूका डंक समझना चाहिए। उसे छूते ही हमारा प्राण निकल जायगा। इसलिए अब हमें अपने बलपर खड़े रहनेकी जरूरत है। जिन चीजोंकी जरूरत हो, उन्हे अपने हाथसे तैयार करनेकी कोशिश करनी चाहिए और जो चीज अपने हाथसे तैयार न की जासके उसे अपने देशकी बनी हुई खरीदना उचित है।

खेतोकी ताकत बढ़ानेके लिए हमें अपने हाथसे भिन्न भिन्न तरहकी खाद तैयार करनी चाहिए। पैदावार बढ़ानेके लिए खेतोमें काफी तादादमे खाद डालना, खूब जोताई करना तथा खेतोकी मेड़ें ऊँची रखना जिसमे खेतका पानी बहकर बाहर न निकल जाय, समयपर सिचाई करना, बहुत जरूरी है। बस ये ही चारो बातें काममें लानेसे पैदावार बढ़ायी जा सकती है। हां, एक बात और; अच्छी पैदाबारके लिए अच्छा बीज भी होना चाहिए। ये पांच बाते ऐसी है जिन्हे हमारे देशके किसान बखूबी कर सकते हैं। और उचित लाभ उठा सकते हैं।

किसानोको इस बातकी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे देशमे या अन्य देशोमें कहां कहां कौन कौनसी चीजें पैदा होती हैं। उन्हे हमेशा इस बातका उद्योग करते रहना चाहिए कि कोई नफेवाली नयी चीज उनके खेतमें हो सकती है या नही। यदि होनेकी सम्भावना दिखायी पड़े तो पहले उसे थोड़ीसी जमीनमें बोकर अनुभव करना चाहिए, और यदि मुनाफा हो तो बाद उसकी अधिक खेती करके लाभ उठाना चाहिए।

अपने देशकी प्रकृतिके कार्यका गम्भीरताके साथ अध्ययन करना किसानोंके लिए जरूरी है। यों तो हमारे देशके किसानोंको उसका साधारण ज्ञान है, पर उतनेसे काम नहीं चल सकता। उसकी विशेष जानकारी प्राप्त करनेके लिए कोशिश करनी चाहिए। बहुधा ऐसा हुआ करता है कि जब एक साल अधिक वर्षा होती है, तो लगातार कई साल (कमसे कम तीन साल) तक उसी तरह-की वर्षा होती है। यही गति अल्प वृष्टिमें भी रहती है। इसी प्रकार किसी समय कोई अन्न विशेष तादादमें प्रकृति प्रदान करती है और किसी समय कोई चीज कम। जैसे, यदि एक साल धानकी फसल अच्छी होती है तो कमसे कम तीन सालतक वह फसल होती जाती है। यदि एक साल धानकी फसलमें रोग लग जाता है तो तीन सालका न्यूनाधिक रूपमें उस रोगकी शिकायत बनी रहती है। इसी प्रकार यदि एक साल वर्षाकी कमीसे फसलको नुकसान पहुँचाता है तो तीन सालतक उस फसलकी दुर्गति ही होती जाती है। किसानोंको इन बातोंका अनुभव करते रहना चाहिए और इससे पूरा लाभ उठाना चाहिए। जिस साल जिस चीजके अधिक होनेकी उम्मीद दिखायी पड़े उस साल उस चीजकी खेती अधिक और जिस साल जिस चीजकी कम होती दिखायी पड़े उस साल उस चीजकी कम खेती करना बुद्धीमानीका काम है।

**खादका दुरुपयोग**

सब लोगोंको यह बात मालूम है कि खेतीके लिए या जमीनकी ताकत बढ़ानेके लिए खाद कितनी जरूरी चीज है। बड़े ही दुःखकी बात है कि खादका महत्व जानकर भी हमारे देशके किसान उसकी बिलकुल परवाह नहीं करते। सभी किसान अपनी

आवश्यकता और शक्तिके अनुसार गाय, बैल, भैंस और उनके बच्चोको पालते हैं। यदि उनके मूत और गोबरका ठीक ठीक उपयोग किया जाय तो खेतीके लिए काफी खाद तैयार हो सकती है। किन्तु बहुधा देखा जाता है कि पशुओका रातभरका ( सो भी सिर्फ जाड़ेके दिनोंमें) मूत तो काममे आता है, क्योंकि जाड़ेमें या अधिक बरसातमे सब पशु घरके भीतर बांधे जाते हैं और उनके नीचे राखी बिछाकर मुतारी तैयार की जाती है; किन्तु दिन-भर का—गर्मीके दिनोमे रातका भी—मूत खूंटेके पास ही नष्ट होता है। गोबरका भी यही हाल है। अधिकांश गोबर तो जलाने-के लिए कंडेके काममे लाया जाता है, जो कुछ गोबर खादके काममे लाया भी जाता है, वह खूंटेके पास ही सुखाकर या पानी-से भिगोकर घरमें डाला जाता है। सूखने और भीग जानेके कारण गोबरकी बहुत बड़ी शक्ति नष्ट हो जाती है, इसलिए भींगे हुए या सूखे हुए गोबरकी खादमे बहुत कम ताकत शेष रहती है।

पशुओंके नीचेका बटोरन भी बहुधा लोग इकट्ठा करके फूक दिया करते हैं और राख होनेपर रातमें बैलोके नीचे बिछाते हैं। किन्तु ऐसा करनेसे आधी खादका नुकसान हो जाता है। क्योंकि पशुओके नीचेके बटोरनेमे गोबर और मूतका अंश रहता है। उसे यदि उसी तरह घूरमे डाल दिया जाय और बैलोंके नीचे बिछानेके लिए फालतू तृण जलाकर राख तैयार की जाय तो दूनो खाद तैयार हो सकती है।

जो कुछ खाद तैयार भी होती है वह महीनो पहले ही खेतोमें ले जाकर उसके छोटे छोटे कूरे लगा दिये जाते हैं; इससे खादका रस सूख जाता है और वह पूरा फायदा नहीं करती।

खादकी किस्में

खाद कई चीजोंकी होती है। हड्डीकी खाद सबसे अधिक ताकतकी होती है। हड्डीको बारीक पीसकर बहुत कम मात्रामें यानी एक मनका बीघा खेतमें छोड़ा जाता है। लगातार चार-पांच सालतक खेतमें छोड़ते रहनेसे इसकी ताकत आठ दस वर्षतक बनी रहती है। इस खादसे अन्न उपजता भी खूब है और दाने वजनदार तथा मीठे होते हैं। किन्तु हमारे यहां लोग हड्डीको काममे लाना नहीं जानते। इससे दूसरे देशोको लाभ पहुँच रहा है। किसानोंको चाहिए कि हड्डियोंको एकत्र कराकर लाभ उठावें। हड्डी पीसनेकी मशीन मिलती है, उससे हड्डियोको पिसवाकर खाद बना लें। यदि ऊँची कौमें इस कामसे घृणा करें तो उन्हे चाहिए कि चमारोंसे इकट्ठी कराकर पिसवा लिया करें। हमारे देशकी हड्डियां मुफ्तमें ठीकेदार लोग बिनवाकर बाहर भेज देते हैं। किसानोको इतनी मुफीद चीजका एक पैसा भी मूल्य नहीं मिलता। ठीकेदार लोग मजदूरोंको सिर्फ मजदूरी देते हैं, हड्डीका दाम कुछ भी नही देते।

इसके बाद भेंड़ोंकी खाद लाभदायक होती है। भेंड़की खादसे जायदाद विशेष तो नहीं उपजती, पर अनाज बहुत वजनदार होता है। भेंड़-बकरीकी खादमें कैसी ताकत है, इससे हमारे देशके किसान अच्छी तरह परिचित हैं। इसलिए इस विषयपर विशेष लिखना व्यर्थ है। किसानोको चाहिए कि अपने देशमें भेड़ोकी संख्या खूब बढ़ावें ताकि काफी खाद और ऊन तैयार हो। एक बीघेमे दो हजार भेंड़ोंका सिर्फ रातभर बैठ जाना काफी होता है।

गाय, बैल और भैंसके गोबरसे उनका मूत अधिक जोशीला

होता है। मुतारीको खेतमें धूलकी तरह छीट देनेसे पूरी ताक़त आ जाती है। इसकी ताकत सालभर तक खेतमें रहती है। इसके बाद गोबरकी खाद होती है। यह खाद बिस्वेमें पांच मन छोड़नेसे खेतमें ताकत आती है। अर्थात् एक बीघेमें नौ मन गोबरकी खाद डालना जरूरी होता है। गोबरकी खादमे उपजानेकी शक्ति बहुत होती है। कहावत है कि, 'कर्म टल जाता है पर गोबरका कूरा नहीं टलता।' कहावत बिलकुल सही है। खेतमें चाहे जायदादका एक भी अंकुर दिखायी न पड़े किन्तु जहां खाद रक्खी रहती है, वहांकी फसल देखने योग्य होती है। हाथी घोड़ेकी लीदकी भी ख़ाद होतो है, पर अधिक ताकतवाली नहीं होती।

पेड़ोंके पत्तोंकी भी खाद होती है। आम महुआ, शीशम, जामुन, कटहल, नीम आदि सब पेड़ोंके पत्तोकी अलग अलग या एकहीमें खाद बनायी जाती है और वह जायदादको अच्छा फ़ायदा पहुँचाती है। इनमें नीमके पत्ते और उसके फल ( नीम-कौड़ ) की खाद सबसे अच्छी होती है। किन्तु पेड़ोंकी पत्तियोंको यों ही खेतमें डाल देनेसे कोई लाभ नहीं होता। खाद बनानेकी रीति आगे ,चलकर लिखी जायगी, यहां तो सिर्फ इतना ही कहना पर्याप्त है कि पत्तोंको सड़ाकर खेतोंमें डालना लाभदायक होता है।

इन खादोंके अलावा कबूतरके बीटकी भी खाद होती है जो कि बहुत जोशीली होती है। किन्तु खाद बनानेके लिए कबूरका बीट मिलना बड़ा ही कठिन है। हां जहां कबूतर अधिकाधिक संख्यामें पाले हुए हों, वहां इनका बीट बटोरकर खादके काममें

लाया जा सकता है। जैसे कलकत्तेमें कबूतर बहुत हैं। वहां यदि कोई चाहे तो कबूतरका बीट बटोरकर खाद बना सकता है। कबूतरके बीटकी खाद पेड़ोंके लिए तो अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हो चुकी है। कबूतरके बीटकी खादसे हमारे देशवासी कम परिचित हैं, यही कारण है कि वे इस खादकी ओर जरा भी ध्यान नहीं देते। किन्तु जहां कबूतरोंकी अधिकता हो, वहां इसकी खाद तैयार करके लाभ उठाना किसानोंका कर्तव्य है।

ऊँट, गधे सूकरी आदिके मलमूत्र भी खादके काममें आते हैं और सबकी खाद लाभदायक होती है। किन्तु कौनसी खाद कितनी लाभदायक होती है, इसकी परीक्षा करके किसानोंको देखना चाहिए और लाभ उठाना चाहिए।

**खाद बनाने की रीति**

हर तरहकी खाद बनानेमें इस बातका ध्यान रहे कि घूर छज्जादार रहना चाहिए क्योंकि खादके ऊपर खुला रहनेसे धूपके कारण खादका रस सूख जाता है और बर्सातका पानी उसके तत्त्वोंको बहा ले जाता है। सबसे पहले हम गोबरकी खाद बनानेकी बिधि बतलाते हैं। गोबर उठाकर घूरमें फेंकनेके बाद उसके ऊपर थोड़ीसी मिट्टी डाल देनी चाहिए। ऐसा करनेसे गोबरका रस सूखने नहीं पाता और वह रस मिट्टीमें मिल जाता है। इससे खाद अधिक मात्रामें तैयार होती है। घूरमें हवा लगना, बाहरका पानी जाना तथा धूल लगना बहुत बुरा है। इससे खादका बहुतसा गुण निकल जाता है और वह निस्तत्त्व हो जाती है। जहांतक हो सके, ताजा गोबर उठाकर ही घूरमें डाल देना उचित है। ताजा गोबर उठाकर घूरमें डाल देनेसे

उसका रस सूखने नहीं पाता। अधिक मात्रामें खाद तैयार करनेके लिए किसानोंको चाहिए कि वे जिस तरह खेतीके और कामोंमें समय लगाया करते हैं, उसी तरह प्रतिदिन नियमित रूपसे थोड़ा समय खाद बनानेमें लगाया करें।

खाद रखनेके लिए यदि पक्का हौज बना लिया जाय तो बड़ा अच्छा हो। इससे खादके रसको जमीन नहीं सोखती। यदि पक्का हौज न बनाया जा सके तो गढ़ा खोदकर गोबर डालते जाना चाहिए और उस डाले हुए गोबरको प्रतिदिन मिट्टीसे ढॅकते जाना चाहिए।

नाँदके पास जहां बैल या गाय-भैंसे खड़ी होकर नाँदमें खाती हैं, थोड़ासा तृण डालकर उसके ऊपर चार अंगुल मिट्टी डाल देनी चाहिए। ऐसा करनेसे पशुओंका मूत उस मिट्टी और तृणमें ही रह जाता है। इसके सिवा गोबरके रसका जो अंश और टुकड़ा व्यर्थ नष्ट हो जाता है, वह उसी मिट्टीमें रह जाता है। तीन चार दिनके बाद तृण-सहित उस मिट्टीको चरनीके पाससे उठाकर छायादार गढ़ेमें रख देना चाहिए और उसे मिट्टीसे ढँक देना चाहिए। साथ ही चरनीपर पूर्ववत् तृण डालकर चार अंगुल मोटी मिट्टी डाल देनी चाहिए। इस प्रकार बराबर करते रहनेसे इफरात खाद तैयार हो जाती है ' यह खाद भी मुतारीकी तरह बड़ी ताकतवाली होती है। इस प्रकारकी खाद तीन महीनेमें पक-कर खेतमे डालने योग्य हो जाती है।

यदि इस तृण और मिट्टीको गोबरके गढ़ेमें ही रखा जाय तो कोई हानि नहीं। किन्तु गोबरके साथ रखनेमें खाद छः महीनेसे पहले नहीं पकती। खिलाने-पिलानेके बाद जिस जगह बैल आदि

हटाकर बांधे जाते हों, वह जगह भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें उनका मूत काम आ सके। यदि ऐसा करना सम्भव न हो तो वहां भी थोड़ीसी धूल बिछा देनी चाहिए। ताकि बैलोंको बैठनेमें भी किसी तरहकी तकलीफ न हो और उनका मूत भी खराब न जाय।

बसात या जाड़ेके दिनोंमें जिस घरमे गाय-बैल आदि बाधे जाते हों, उस घरमें राख बिछा देना चाहिए और प्रतिदिन इतनी राख फेकते जाना चाहिए जिसमें बैलोंके नीचे कीचड़ न हो। इससे एक तो मुतारीकी खाद अधिक मात्रामें तैयार होती है जो कि बहुत उपजाऊ होती है, दूसरे मवेशी आरामसे रहते हैं। इसके लिए राखका प्रबन्ध काफी रहना चाहिए। बहुधा देखा जाता है कि किसान लोग राखके लिए पहलेसे कोई प्रबन्ध नहीं करते ; इसलिए जाड़े और बसातके दिनोंमें जलाकर राख बनानेके लिए ईंधन नहीं मिलता। परिणाम यह होता है कि मवेशियोको कीचड़में ही बैठकर रात वितानी पड़ती है। इससे एक तो जानवरोको तकलीफ होती है जिससे उनकी तन्दुरुस्ती खराब हो जाती है, दूसरे खाद भी कम तैयार होती है। अतः किसानोंका कर्त्तव्य है कि वे गर्मीके दिनोंमें जब कि सब वृक्षोंकी पत्तियां झड़ती हैं तथा अन्यान्य तृणकी कमी नहीं रहती, आवश्यकतानुसार तृण एकत्र करके रखलें और बसात या जाड़ेके दिनोंमें उसे जलाकर राख तैयार कर लिया करें।

पेड़ोंकी पत्तियों और घास-फूसको भी सड़ाकर खाद तैयार की जाती है। पत्तियोंकी खाद बनानेके लिए जितनी खाद तैयार करनी हो, उसी हिसाबसे लम्बा चौड़ा गढ़ा खोदना चाहिए। किन्तु गढ़ेकी गहराई तीन फुटसे अधिक न होनी चाहिए। गढ़ेके आधे

भागमें मेड़ बनाकर सूखे पत्तोंको भरकर उसके ऊपर गोबर घोल-कर छिड़क देना चाहिए। उसके बाद उसे मिट्टीसे ढँक देना चाहिए। एक महीनेके बाद उसे फरसेसे छाँटकर गढ़ेका जो आधा भाग खाली है, उस ओर कर देना चाहिए। पश्चात् फिर गोबर और थोड़ासा नमक पानीमें घोलकर उसके ऊपर छिड़क देना चाहिए। गोबरके पानीका छिड़काव ऐसा करे कि सब पत्तियां तर हो जायँ, किन्तु पानी पत्तियोंके नीचे जाकर जमीनपर न टिके। इस प्रकार पानी छिड़कनेके बाद उसे फिर पूर्ववत् मिट्टीसे ढँक देना चाहिए। इसी प्रकार एक महीना फिर बीतनेपर उसे फरसेसे छाँटकर पानी-से तर कर देना उचित है। इस बार भी मिट्टीसे ढँक देना जरूरी है। एक महीना और बीतनेके बाद खाद सड़कर तैयार हो जायगी। यह खाद तैयार करनेमें कुल तीन महीने लगते हैं।

**मल-मूत्र त्यागका उपयोग**

किसानोंको अपने मल मूत्रसे भी पूरा लाभ उठाना चाहिए। खेतोंमें छोटासा गढ़ा खोदकर उस गढ़ेमें मल त्याग करनेके बाद उसे मिट्टीसे ढँक देना चाहिए। ऐसा करनेसे दो लाभ होते हैं। एक तो यह कि इससे जमीनकी उपज शक्ति बढ़ती है, क्योंकि मनुष्यके मलमें उपज शक्ति बहुत अधिक होती है और ऐसा करनेमें मलका सब तत्त्व खेतकी मिट्टीमें मिल जाता है, दूसरा फायदा यह होता है कि इससे गन्दगी पैदा नहीं होती। गन्दगी न होनेसे बीमारी भी नहीं फैलती। यह क्रिया किसानोंको कुछ घृणितसी मालूम होगी; किन्तु वास्तवमें इसमें घृणाकी कोई बात नहीं है। सच पूछा जाय तो देहातोंमें जो प्रथा मौजूद है, वही घृणा करने योग्य है। बहुधा लोग जलाशयके किनारे, पेड़ोंके नीचे

तथा परती जमीनपर बैठकर टट्टी फिर दिया करते हैं। इससे चारो ओर गन्दगी ही गन्दगी नजर आती है और जो खूराक खेतोंके मिलनी चाहिए वह व्यर्थ नष्ट की जाती है। जिस तालाबमे स्नान किया जाता है, कुल्ला किया जाता है, उसी तालाबका पानी और किनारा गन्दगीसे भर दिया जाता है। इसका असर लोगोंकी तन्दुरुस्तीपर बहुत बुरा पड़ता है।

ऊपर हम हड्डीकी खादके सम्बन्धमे साधारण प्रकाश डाल चुके हैं। यदि हड्डी पीसनेका प्रबन्ध न हो सके तो उसके खूब छोटे छोटे टुकड़े कराकर खेतमें छींट देना चाहिए। किन्तु खेतकी मेड़े ऊँची रहें जिसमें उसका पानी बहकर बाहर न निकलने पावे अथवा हड्डियोके छोटे छोटे टुकड़े करके पक्के हौजमें नमक और मिट्टीको मिलाकर ढँक देना चाहिए। कुछ दिनोमे हड्डियोके टुकड़े सड़ जायँगे। उसके बाद उसे खेतमें छोड़ना चाहिए।

सनईकी खाद भी बड़ी ताकतदार होती है। खासकर गेहूँ, धान और ईखके लिए इसकी खाद बहुत लाभदायक है। इसकी खाद दो तरहसे बनायी जाती है; इसे खेतमें जोतकर और गढ़ेमे सड़ाकर। खेतमे बीस सेर फी बीघेके हिसाबसे सनई छींट दी जाती है। जब जमकर हाथ-डेढ़ हाथ ऊँची हो जाती है किन्तु सन नहीं चढ़ा रहता, तब उसे जोतकर हेंगा दिया जाता है। इसे ऐसे समयमे जोतना चाहिए जब खेतमे पानी हो, या जोतनेके बाद तुरन्त ही खेतमें पानी भर देनेकी सुविधा हो। खेतमे पानी न रहनेसे सनई सड़ती नहीं, इससे वह पूरा लाभ भी नही पहुँचाती। किन्तु पानी बँधा रहनेपर वह सड़कर खाद हो जाती है। यदि ऐसी सुविधा न हो तो उसे काटकर गढ़ेमे छोड़कर सड़ाना चाहिए

इस प्रकार गढ़ेमें सड़ानेपर भी उत्तम खाद तैयार होजाती है।

नीमकी खाद बनानेके लिए पतझड़के समय नीमकी पत्तियों-को बटोरकर रख देना चाहिए। उनके बाद जब उसके फल पककर झड़ने लगें तब उन्हे भी एकत्र करते जाना चाहिए। दोनो चीजों-को चाहे अलग, अथवा गोबरसे मिलाकर सड़ाना चाहिए। यह खाद भी बहुत लाभ पहुँचाती है। इसके सिवा नीमकी खली भी खादके काममे लाई जाती है। धानकी फसलके लिए इसकी खाद विशेष लाभदायक है। नीमकी पत्तियो और फलोंको ईखकी पतई-के साथ सड़ानेपर भी अच्छी खाद बनती है।

**खेतमें खाद डालने-का तरीका**

हम पहले ही कह आये हैं कि बहुधा लोग खेतोमे जगह जगह खादके छोटे छोटे कूरे लगाकर छोड़ दिया करते है और महीनों बाद उसे खेतमे छींटते हैं। किन्तु ऐसा करना बहुत बुरा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि खादका कूरा खेतमे पड़ा रहता है और उसका कुछ तत्त्व तो हवा और धूपसे निकल जाता है तथा कुछ तत्व पानी बरसनेके कारण बह जाता है। इससे खाद पूरा फायदा नही पहुँचाती। किसानोको चाहिए कि वे खादका पूरा पूरा तत्व खेतमें पहुँचावें और उसका थोड़ा अंश भी हवा, धूप या पानीसे नष्ट न होने दें। किन्तु ऐसा तब हो सकता है, जब घूरसे खाद उठा-कर खेतमें छोड़ते ही मिट्टीमें मिला दिया जाया करे। तात्पर्य यह है कि खेतमें खाद छोड़ते ही खेतको हलसे जोतवा देना चाहिए, अथवा यदि खेतमें पानी बँधा हुआ हो और उसके बहनेकी सम्भावना न हो तब भी खादको खेतमे छींट सकते हैं। दोनों ही अवस्थामें खादका सब तत्त्व खेतको मिल जाता है।

सच बात तो यों है कि खादको हर हालतमें धूप, हवा और पानीसे बचाना चाहिए। अर्थात् खादके बनानेसे लेकर खेतमें छोड़नेतक उसमें न तो हवा और धूप लगने देना चाहिए और न उसपर पानी ही पड़ने देना उचित है। इस प्रकार जो खाद तैयार करके खेतोंमें छोड़ी जाती है, वह बहुत जोशीली होती है और थोड़ी मात्रामें छोड़नेपर भी पूरा लाभ पहुंचाती है। किन्तु जिस खादका रस हवा और धूपसे सूख जाता है या पानीमें बह जाता जाता है वह खाद बहुत अधिक मात्रामें छोड़नेपर भी बहुत कम लाभ पहुँचाती है।

**अच्छे और बुरे बीजका प्रभाव**

बहुधा देखा गया है कि जो बीज पतला और मारा हुआ होता है वही बोनेके काममें लाया जाता है। जिस खेतकी जायदाद रोग लगनेके कारण या पालेसे खराब हो जाती है, उसे लोग बोनेके लिए रख देते हैं। सोचते हैं कि पतला बीज रहनेसे खेतमें कम पड़ता है। किन्तु ऐसा सोचना ठीक नहीं है। बीज तो हमेशा अच्छीसे अच्छी जायदादका रखना चाहिए। अच्छी फसल पैदा करनेके लिए नीरोग और मोटा बीज होना चाहिए। बीज ही तो मुख्य चीज है। यदि संसारकी वस्तुओंपर नजर डाली जाय तो पता चलेगा कि जैसा बीज होता है, वैसी ही उसकी उत्पत्ति भी होती है। कहावत मशहूर है कि :—

"जैसइ माई वैसइ धीया ; जैसइ काकरि वैसइ बीया।"

कड़वी ककड़ीका बीज बोनेपर मीठी ककड़ी नहीं फल सकती और मीठी ककड़ीके बीज बोनेपर कड़वा फल नहीं लग सकता। पतले और कमजोर बीजसे फसल कभी अच्छी नहीं हो सकती।

यह बात दूसरी है कि कभी कभी निर्बल बीजसे भी खेतमें ताकत रहनेके कारण तथा प्रकृतिके अनुकूल रहनेसे फसल अच्छी हो जाती है। किन्तु इससे यह न समझना चाहिए कि बीजका प्रभाव फसलपर कुछ नही पड़ता। कौन कह सकता है कि अच्छा बीज रहनेपर उस खेतमें उससे अधिक अच्छी जायदाद न होती? जब हम जड़-चेतन सभी तरहके चीजोंकी उत्पत्तिपर बीजका गहरा प्रभाव पड़ा हुआ देखते हैं, तब यह बात कैसे मान सकते हैं कि फसलपर बीजका प्रभाव कुछ भी नही पड़ता? प्रभाव तो पड़ता है जरूर, यह बात दूसरी है कि हमे उसके सूक्ष्म प्रभावका अनुभव हो अथवा न हो।

इसलिए बोनेके लिए उत्तमसे उत्तम बीज चुनकर हिफाजतके साथ रखना उचित है। इसके साथ ही बोनेके समय दस-बीस बीज मिट्टीमे डालकर देख लेना चाहिए कि वह निर्दोष है या नही। देहातोमे इसे 'पर्रो' डालना कहते हैं। ऐसा करनेसे बीजका कभी नुकसान नही होता। यदि बीज खराब हो गया हो तो उसे बेच देना चाहिए या खानेके काममें लाना चाहिए और जॅचा हुआ अच्छा बीज खरीदकर बोना चाहिए। इससे बीजका नुकसान नहीं होता और किसानको दुबारा खेत बोनेकी जरूरत नही पड़ती। बीज कितना ही अच्छा क्यो न रखा जाय, कभी कभी किसी कारण वश खराब हो जाया करता है। कभी कभी तो वह ऊपरसे देखनेमें ज्योका त्यो दिखायी पड़ता है, पर वह सदोष हो जाता है और बोनेपर ठीकसे नहीं जमता। इसलिए बोनेसे पहले ही उसकी परीक्षा कर लेना आवश्यक है।

बीजकी परीक्षा न करनेके कारण भी हमारे देशके किसानोंका

हरसाल बहुत नुकसान हो जाता है। एक तो बीज मारा जाता है, दूसरे या तो खेत परती रह जाता है और या दुबारा बोनेमें जायदाद पिछड़ जानेके कारण कम होती है। यदि परीक्षित बीज बोया जाय तो किसानोंको यह हानि कभी न उठानी पड़े।

जमीनका अधिकसे अधिक उपयोग करना चाहिए

खेतको कब और कितना जोतना चाहिए, इसे हमारे देशके किसान अच्छी तरह जानते हैं और अपनी शक्तिके अनुसार जोतते भी हैं; इसलिए खेतकी जोताईके सम्बन्धमें, कुछ लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। अब हम यह दिखलावेंगे कि किन किन चीजोंकी खेती तथा कौन कौनसा काम करके किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। किन्तु इसके पहले इतना लिख देना और आवश्यक है कि जिस प्रकार मनुष्य कुछ दिनोंके लिए भोजनकी सामग्री जुटाकर अपने घरमे हमेशा रखता है, उसी प्रकार बुद्धिमान किसानको हर समय खादकी पूँजी रखनी चाहिए। खाद तैयार न रहनेसे किसान अपनी इच्छाके अनुसार फसल तैयार नही कर सकता। मान लीजिये कि कोई जमीन पानीमें डूबी हुई है और जौ-मटर-गेहूं-चना आदिकी बोआई खतम हो जानेके महीनो बाद पानी सूखा। ऐसी दशामे क्या उस जमीनको परती रखकर दंडके रूपमे घरसे उसकी मालगुजारी देनी चाहिए? नही। बुद्धिमान किसानका यह काम है कि वह उस जमीनसे कोई चीज पैदा करनेकी कोशिश करे। जैसे जेठऊ कुम्हड़ा, पाता आदि। किन्तु ये चीजें बोनेके लिए खादकी आवश्यकता पड़ेगी। यदि खाद तैयार न रहेगी तो ये चीजें जोरदार न होगी और फसलके बोनेपर भी जमीन परतीके

ही समान रह जायगी। जमीनके परती रहनेसे या कम पैदावार होनेसे किसान सुखी नहीं रह सकता। किसानोंको चाहिए कि जितनी जमीन उनके अधिकारमें हो, सब काममे आती रहे; एक अंगुल जमीन भी व्यर्थ न रहने पावे। जो गोचर है, वह गायोके चरनेके काममे लाया जाय, जो बगीचा है उसमे पेड़ लगाये जायँ और जो खेत हों, वे फसल बोनेके काममें लाये जायँ। बाग-बगीचे या तालकी खांइयोंके ऊपर शीशम, नीम, बबूर सरपत आदि लगाकर लाभ उठाना चाहिए। यदि इसमे किसी तरहकी कानूनी रुकावट हो तो उसे दूर करनेके लिए वैध उपायोंसे लड़कर हक हासिल करना चाहिए। किन्तु अब तो किसानोंको ये अधिकार कांग्रेस सरकार अपने आप ही देने जा रही है। ऐसा करनेसे जो खाइं व्यर्थ पड़ी रहती है या सिर्फ बगीचे अथवा तालकी रक्षाके काम आती है, उससे अच्छी आमदनी तैयार हो सकती है। यदि किसी बगीचेको रक्षाके लिए खाई न हो तो ऊपरका लाभ उठानेके लिए खाई अवश्य तैयार करा देनी चाहिए। यही जमीनका अधिकसे अधिक उपयोग कहलाता है। जो खाई व्यर्थ पड़ी रहती है, किसी भी काममे नहीं आती, उससे यदि लाभ उठाया जाय तो कितना उत्तम हो। पांच बीघेकी खाइं बँधवाकर उसके ऊपर कई सौ पेड़ शीशमके तैयार किये जा सकते हैं। पहले तो इसका लाभ कुछ नही मालूम होता, पर कुछ दिनोके बाद, जब शीशमके पेड़ तैयार हो जाते है तो एक मुश्त गहरी आमदनी तैयार हो जाती है। इसी प्रकार यदि आवश्यकता पड़ने-पर किसी चीजका पेड़ कटाया जाय तो उसको जगहपर दूसरा पेड़ लगा देना चाहिए। इससे कभी जायदाद कम नहीं होती और

बराबर आमदनी होती रहती है, कहावत है। 'आधी खेती आधी बारी'। अर्थात् किसानोंको जितनी ही आमदनी खेतीसे होती है उतनी ही बारी-बगीचेसे।

खेतोंमे जायदाद पैदा करनेके लिए भी इस बातका ध्यान रखना जरूरी है कि उससे अधिकसे अधिक जितनी फसलें ली जा सकें लेनी चाहिए। शहरों और बाजारोंके आस-पासकी जमीनमे प्रायः तीन-चार फसलें सालभरमें बोई और काटी जाती हैं। इतनी पैदावार न हो तो वहांकी मालगुजारी ही न दी जा सके। किन्तु सालमे कई फसलें तभी ली जा सकती हैं जब खेतमें ताकतकी कमी न रहेगी। कई फसलें पैदा करनेके लिए खेतमें बहुत अधिक ताकतकी जरूरत पड़ती है। यदि अधिकसे अधिक ताकत न पहुँचायी जा सके तो कई फसलें पैदा करनेका इरादा छोड़ देना ही उत्तम है। क्योंकि उस अवस्थामे नुकसान होता है। यदि खेत अधिक हों और उन्हें खूराक पहुँचानेमें असमर्थता हो तो कई फसलोंको कौन कहे, किसी किसी साल उनमे एक भी फसल-का न पैदा करना उत्तम है। क्योंकि खेतके सुस्तवानेसे या परती रख छोड़नेसे भी उनमें ताकत आ जाती है और अगले साल जायदाद अच्छी होती है। किन्तु परती रखनेमें भी खेतकी जोताई बराबर होती रहे, तभी अच्छा है। अन्यथा परती रखनेसे विशेष ताकत नहीं आती।

**केला**

हम पहले ही कह आये हैं कि आमदनी बढ़ानेके लिए जिस प्रान्तमें जिन चीजोंकी खेतीका प्रचलन न हो, वहां परीक्षा लेकर तथा खपतका जरिया सोचकर उन चीजोंकी खेती करके लाभ उठाना चाहिए।

अब यहां हम कुछ ऐसी चीजोंका उल्लेख करेंगे जिनकी खेती विशेष लाभदायक है। ऐसी चीजोंमें केलेकी खेती भी है। जिन जगहोंमें केलेकी खेती नहीं होती, वहां इसकी खेतीसे अच्छा लाभ उठाया जा सकता है। केलेसे एक बीघेमें सालाना चार सौ रुपयेतक आमदनी हो सकती है। यदि जमीन ताकतदार हो और पानीका सुख हो तो सालभरमें केला फलने लगता है। एक खेतमें चार-पांच सालतक केला पैदा करना अच्छा है। उसके बाद उसकी जड़ खोदकर दूसरे खेतमें लगा देना चाहिए और उस खेतमें अनाज बो देना चाहिए। केलेके खेतमें गेहूं बड़ा जोरदार होता है। केला अच्छी जातिका लगाना चाहिए। क्योंकि बाजारोंमें अच्छी जातिके केले महँगे बिकते हैं। जानकारोंसे या पुस्तकोंद्वारा केलेकी खेती करनेका तरीका सीख लेना चाहिए। केला खानेमें स्वादिष्ट, मीठा, शरीरके लिए लाभदायक तथा ठंडा होता है।

**पपीता** — पपीतेकी खेती भी लाभदायक होती है। इसकी खेतीसे एक बीघेमें दो-ढाई सौ रुपये सालकी आमदनी की जा सकती है। यह भी साल-भरमें फलने लगता है। यह केलेसे कम पानी लेता है इसका फल सुस्वादु और विशेष गुणदायक तथा हलका होता है।

**मूंगफली** — इसकी खेतीसे बीघेमें प्रायः दो सौ रुपयेतक आमदनी हो जाती है। इसकी खेतीमें विशेषता यह है कि सींचना नहीं देना पड़ता। क्योंकि यह वर्षा ऋतुमें होती है। हां, यदि वर्षा ठीकसे नहीं होती तो सींचनेकी जरूरत पड़ती है। बहुतसे स्थानोंमें इसे चीनाबादाम भी कहते हैं। इस फसलमें चूहे, साही, तथा सियार विशेष नुकसान पहुँचाते हैं,

अतः रखवाली खूब करनी पड़ती है। इसकी खेतीके लिए बलुआ जमीन होनी चाहिए। मटिपरा जमीनमें इसकी मनी कम होती है। यह बालूसे भूनकर खानेमें सोंधी और भली मालूम होती है। इससे तेल भी निकलता है। इसकी खेती ऐसी जमीनमें की जाती है जो बलुआके साथ ही ऊंची हो ताकि बरसातका पानी खेतमें न टिके। डिहगर जमीनमें भी इसकी पैदावार खूब होती है।

ईख

इसकी खेती भी लाभदायक होती है। देशी ईखमें तो एक बीघेमें चालीस मनसे अधिक गुड़ पैदा नहीं होता, पर केतारा, नरमा आदि बोनेसे बीघेमें अस्सी मनसे सौ मनतक गुड़ पैदा होताहै। इसके सिवा यदि खेतमें ताकत काफी हो तो तीन सालतक पेड़ी भी पैदा होती है।

साग-तरकारी

देहातोंमें साग-तरकारी पैदा करनेकी ओर बिलकुल ही ध्यान नहीं दिया जाता। इसका कारण यह है कि जो गांव शहर या कसबोंसे अधिक दूरीपर हैं उन गांवोंकी साग-सब्जी बिकनेका कोई उपाय नहीं। इसीसे उन गांवोंमें साग-तरकारीकी खेती नहीं होती। किन्तु शहर या कसबोंके आसपासके गांवोंमें इसकी खेती होती है। वास्तवमें देखा जाय तो साग-तरकारी जीवनका आवश्यक खाद्य पदार्थ है। घीका मिलना उतना आवश्यक नहीं है जितना साग-तरकारीका। इसमें बहुतसे गुण होते हैं। साग-तरकारी जल्द पचनेवाली चीज है। इससे पेट साफ होता है, भोजनकी रुचि बढ़ती है, रक्त बढ़ता और शुद्ध होता है। अवश्य ही कुछ चीजें ऐसी भी हैं, जिनमें इनसे विपरीत गुण हैं; किन्तु

कभी-कभी खानेसे वे चीजें भी लाभ ही पहुँचाती हैं, हानि नहीं।

इसलिए प्रतिदिन साग-तरकारीका सेवन करना नितान्त आवश्यक है। किसानोंको चाहिए कि वे अपने खर्चके लिए तरह तरहकी साग-तरकारी तैयार कर लिया करें। इस काममें कुछ परिश्रम तो बढ़ जायगा, पर जीवन तभी सुखकर होगा जब खाने-पीनेके लिए अच्छी-अच्छी तथा नई-नई चीजें मिलने लगेंगी। चित्तको प्रसन्न करनेवाला भोजन ही अधिक लाभदायक होता है। उससे शरीर-बलके साथ ही मनोबल भी बढ़ता है। इसके सिवा, साग-तरकारीकी खेती करनेपर दुर्दिनमें किसानोंका थोड़े अन्नसे भी काम चल सकता है। कुछ चीजें तो ऐसी हैं, जिनसे, कुछ आमदनी भी की जा सकती है। आलू, कुम्हड़ा, अरवी आदि चीजें ऐसी हैं, जो खराब नहीं होती और अधिक तादादमे पैदा करके शहर-बाजारके दूर रहनेपर भी आसानीसे वहां भेजकर बेची जा सकती हैं। परवलकी खेती भी बहुत लाभदायक होती है, किन्तु परिश्रम-साध्य होनेके कारण इसकी खेती थोड़ी जमीन-मे करना ही ठीक है। इसके सिवा और भी बहुतसी चीजें हैं जिनकी खेतीसे अच्छा लाभ हो सकता है।

**बाग**

इससे भी किसानोंकी आमदनी बढ़ सकती है। यदि पेड़ काफ़ी हों तो हर साल जलाने के लिए सूखी लकड़ी मिलती रहे तो गोबर सिर्फ खादके काममें आ सकता है। क्योंकि लकड़ीके अभावमें ही लाचार होकर गोबरके कंडे जलाने पड़ते हैं। पेड़ोंकी बिक्रीसे भी आमदनी होती है। अधिक पेड़ोंके रहनेसे वर्षा अच्छी होती है और हवा शुद्ध रहती है। वर्षासे खेतीकी पैदावार बढ़ती

है और शुद्ध वायुसे आरोग्यता प्राप्त होती है। फल खाकर मनुष्य जीवन-निर्वाह भी कर सकता है और आवश्यकतासे अधिक फल होनेपर उसे बेचकर आमदनी बढ़ा सकता है। इसलिये बाग-बगीचेकी ओर भी उसी प्रकार ध्यान जरूरी है जिस प्रकार खेतीकी ओर। क्योंकि यह भी एक खेती है। हमारे यहाँ बाग-बगीचा लगानेका बहुत बड़ा माहात्म्य लिखा गया है। पहले भारतके लोग पेड़ लगाना अपना कर्तव्य समझते थे। कोई भी आदमी हरा पेड़ नहीं काटता था और जो पेड़ आंधीमें गिर जाते थे, उन्हींसे अपना काम चलाता था। किन्तु आज न तो लोगोंका पेड़ लगानेकी ओर ध्यान है और न हरे पेड़ोंकी रक्षाका ही। इसका परिणाम यह हो रहा है कि देशमें दिन-ब-दिन लकड़ीका अभाव होता जा रहा है और फलोंकी पैदावार घटती जा रही है।

आमदनी बढ़ानेके लिए बगीचा भी खास चीज है। अन्नकी खेतोमें हरसाल बोना, जोतना और काटना पड़ता है, किन्तु बगीचे-की खेतीमें एकबार जो पेड़ लगा दिये जाते हैं वे बहुत दिनोंतक फल देते रहते हैं। बगीचेमें आम, महुआ, जामुन, आँवला, कैथ, बेर, अमरूद आदि सब चीजोंके पेड़ लगाये जा सकते हैं। किन्तु यदि एक या दो चीजोंके अलग अलग बाग हों, तो उनसे अच्छी आम-दनी हो सकती है। मान लीजिये कि एक बगीचेमें सौ पेड़ हैं। उनमें दो दो चार चार पेड़ सभी चीजोंके हैं। अब यदि किसी चीजके एक या दो पेड़में फल लगेगा तो उसकी रखवालीमें भी असुविधा होगी और उसे खरीदनेके लिए कोई खटिक या कुँजड़ा भी आकर जल्द डेरा नहीं डालेगा। किन्तु यदि एक बगीचेमें एक ही दो तरहके पेड़ोकी काफी संख्या हो तो उनमे दस बीस

पेड़ तो फलेंगे ही। उस समय उनकी रखवाली भी हो सकती है और आसानीसे अच्छे दामोंमें बिक्री भी। सन्तरा, नींबू, अमरूद, कटहल, कलमी आम आदिका बगीचा इसी तरह लगाना चाहिए। सन्तरेके बगीचेसे अच्छी आमदनी हो सकती है। इसके पेड़ोंको नागपुरसे मँगाकर लगाना अच्छा है। क्योंकि वहांका सन्तरा खूब मीठा होता है। पांच वर्षमें इसके पेड़ फलने लगते हैं। बगीचेकी खाली जमीनमे गोभी आदिकी खेती भी की जा सकती है। एक बीघेमें सन्तरेका बगीचा लगाकर तीन चार सौ रुपया साल पैदा किया जा सकता है।

कटहलके पेड़ोंसे तो बहुत अधिक आमदनी हो सकती है। इसके पुराने पेड़ोंमे यदि अच्छी तरह फल लग जाता है तो सिर्फ एक ही पेड़को सौ रुपयेमें बिकते देखा गया है। यद्यपि नये और छोटे पेड़ोंसे इतनी अधिक आमदनी नही हो सकती, फिर भी यदि एक आदमीके पास कटहलके बीस पेड़ हो तो कुछ न कुछ आमदनी हरसाल हो सकती है। इसी प्रकार और चीजोंके बगीचेसे भी लाभ उठाया जा सकता है। बगीचेमें एक विशेषता यह भी है कि इसके लिए शहर-बाजारका नजदीक होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अधिकतर फल टिकाऊ होनेके कारण रेलोद्वारा दूरतक आसानीसे भेजे जा सकते हैं।

हमारे देशमें भेड़िया-धसान बहुत है; अर्थात् जिस तरह एक भेड़ जिस ओर चलती है उसी ओर सब भेड़ें दौड़ पड़ती हैं, उसी तरह एक आदमी जो काम करने लगता है, वही काम सबलोग करने लगते हैं। किन्तु ऐसा करनेसे उस कामका महत्त्व ही नष्ट हो जाता है। जो चीज आवश्यकतासे अधिक पैदा होने लगती

है, उसका मूल्य घट जाता है और खरीददारोंका भी टोटा पड़ जाता है। इसलिए हर मनुष्यको इस बातका पूरा ध्यान रखना चाहिए। एक आदमीका संतरेका बगीचा देखकर गांवभरके लोगोंका सिर्फ संतरेका ही पेड़ लगाना ठीक नहीं है। उचित तो यह है कि गांवका प्रत्येक आदमी भिन्न भिन्न चीजोंका बाग तैयार करे। ऐसा करनेसे एक तो आपसमें कम्पटीशन नहीं हो सकता, दूसरे और किसी तरहकी बुराई नहीं पैदा हो सकती। ऐसी दशामें किसीको भी अपनी चीज बेचनेके लिए दही-दही चिल्लाना नहीं पड़ सकता और हर चीजके काफी खरीददार नजर आ सकते हैं।

हिन्दीमें बागवानीपर कई पुस्तकें निकल चुकी हैं। उनके द्वारा तथा जानकारोंसे इस विषयका पूरा ज्ञान प्राप्त करके देहातके लोगोंको चाहिए कि वे अपने गांवोंको बढ़िया चमन बना दें और साथ ही हर तरहका लाभ उठावें। पेड़ोंके सम्बन्धमे इतना बतला देना हम आवश्यक समझते हैं कि पेड़ अच्छे बीजका होना चाहिए। पेड़ोके लिए कबूतरके बीटकी खाद तथा मछलीकी खाद बहुत लाभदायक होती है। दोनों खादोंसे पेड़ जल्द बढ़ते और मोटे होते हैं तथा उनका फल भी बड़ा होता है। इन खादोसे पेड़ोंकी जड़में पैदा होनेवाले कई तरहके रोग भी नष्ट हो जाते हैं।

बागका शौक रखनेवालोंको साधारण रीतिसे पेड़ोके रोग और चिकित्साका भी ज्ञान होना चाहिए। कभी कभी बड़े बड़े पेड़ मामूली रोग होनेके कारण सूख जाते हैं। इससे बड़ा नुकसान हो जाता है और सब परिश्रम नष्ट हो जाता है। यदि पेड़ोंके रोगोका और इलाजका ज्ञान हो तो अचानक होनेवाली इन हानियोंसे सहज ही में बचत हो सकती है।

कई चीजोंकी खेतीसे लाभ

कई तरहकी खेती करनेसे बड़ा लाभ होता है। इससे यदि कुछ फसले मारी भी जाती हैं तो किसानोंको भूखों नहीं मरना पड़ता। अन्नकी फसल बिगड़ जानेपर फलोंकी फसल-से और फलोंकी फसल नष्ट होनेपर साग-तरकारी, लकड़ी आदि-से आय हो जाती है। इसके सिवा हर समय और हर महीनेमें कामकी कमी नही रहती। इसलिए बेकारीसे होनेवाली बुराइयां भी पैदा नहीं होती। किन्तु इसका यह अर्थ नही कि प्रत्येक आदमी को हरएक काममें हाथ डालना चाहिए। अपनी शक्तिसे अधिक कामका भार ऊपर लाद लेनेसे मनुष्यको सफलता नही मिलती। काम तो उतना ही हाथमे लेना उचित है जिन्हे सहूलियतसे किया जा सके। एक किसानको उतनी ही चीजोंकी खेती करनी चाहिए जितनेमें किसी तरहकी असुविधा न पड़े। एक ही समयमे चार फसलोंको पानी देनेकी जरूरत पड़नेपर चारो फसलोंको एक साथ पानी कैसे दिया जा सकेगा? परिणाम यह होगा कि एककी तो सिंचाई की जा सकेगी, किन्तु बाकी तीन चीजोंको हाथसे खो देना पड़ेगा। इसलिए इन बातोंको खेती करनेसे पहले ही सोच लेना उचित है। खेतीके कामका सिलसिला तो ऐसा होना चाहिए कि कामके अभावमें कोई दिन व्यर्थ भी नष्ट न हो और कामकी अधिकतासे किसी तरहका नुकसान भी न हो। यों तो ये दोनो बातें प्रत्येक व्यवसायके लिए हानिकारक हैं, पर खेतीके लिए सबसे अधिक। बेकार समय जानेपर भी किसानका सर्वनाश होता है और अत्यधिक काम रहनेसे ठीक समयपर किसी कामपर न पहुँच सकनेपर भी उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है।

**पशु-पालनसे आमदनी**

वास्तवमें पशु-पालन खेतीका प्रधान अंग है। पशुओंकी अधिकतासे ही खेतोंकी उपज बढ़ायी जा सकती है, खेतीके लिए बैल तैयार हो सकते हैं और खाने-पीनेके लिए दूध-घी मिल सकता है। यद्यपि भारतवर्षमें विदेशी राज्यके कुप्रबन्धसे पशु-पालन कठिन हो गया है तथापि इस ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। भारतके कुछ हिस्सोंमें तो आज भी पशु अधिक संख्यामें पाले जा सकते हैं, किन्तु अधिक भागोंमें असम्भवसा हो गया है। फिर भी यदि बुद्धिमानीसे काम लिया जाय तो निर्वाहका मामूली रास्ता निकल सकता है। यहां पशु-पालनसे तात्पर्य है, गाय-बैल रखना। भैंसका रखना भी पशु-पालनमें ही गिना जायगा। जिन स्थानोंमें पशु-पालनकी सुबिधा है, वहां तो गोधन बढ़ानेके सिवा भैंसा-भैंस, बकरी, भेंड़, घोड़ा-घोड़ी आदि अनेकों तरहके जानवर पाले जा सकते हैं, किन्तु जिन स्थानोंमें गोचरका अभाव है, वहां किसी प्रकार सिर्फ गोधन बढ़ाकर ही काम निकालना चाहिए। सुबिधाजनक स्थानोके लिए कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ असुविधाजनक स्थानोके लिए कुछ उपाय बतलाना जरूरी है।

जहां गोचर न हो, वहां गाय-बैलकी संख्या बढ़ानेका एक तरीका तो यह हो सकता है कि वहांके पशु चरनेके लिए पासके जंगल या पहाड़पर भेज दिये जायँ। जब गायोंके ब्यानेका समय आ जाय तब वे जंगलसे घर मँगा ली जायँ और जबतक दूध देती रहें तबतक तो घरपर रहें उसके बाद फिर जंगलमें चरनेके लिए भेज दी जाया करें। इसी प्रकार उनके बछड़ोंका भी क्रम होना

चाहिए ; जब वे हृष्ट-पुष्ट तथा जोतनेके लायक हो जायँ तो उन्हें जंगलसे मँगा लाना चाहिए। पशुओंको चरनेके लिए ऐसे जंगलोंमें प्रबन्ध करना चाहिए जहाँ घास काफी हो और चरनेवाले जानवरोंकी संख्या कम हो। ऐसा करनेसे पशु-पालन भारी नहीं मालूम हो सकता और पशुओंकी संख्या कम खर्चमें बढ़ायी जा सकती है। यदि कुछ आदमी मिलकर जंगलमें गायोंके चरनेका प्रबन्ध कर लें और फी जानवरके हिसाबसे माहवारी पैसा देकर चरवाहेका प्रबन्ध कर लें तो यह काम बड़ी आसानीसे हो सकता है। कुछ लोगोंने पशुओंके लिए जंगलोंमें इसी तरहका प्रबन्ध किया भी है ; किन्तु इस उपायसे सबलोगोंको जरूर लाभ उठाना चाहिए।

गो-धन बढ़ानेका दूसरा उपाय यह है कि इसे रोजगार बना लिया जाय। आजकल जो लोग घर-खर्चके लिए गाय-भैंस पालते हैं, वे अपनी गरीबीके कारण न तो उन्हे पूरी और अच्छी खूराक दे सकते हैं और न उनसे पूरा लाभ ही उठा पाते हैं। बल्कि पूरी खूराक न पानेके कारण गाय पालनेसे लाभ होना तो दूर रहा नुकसान ही अधिक होता है। किन्तु यदि व्यावसायिक दृष्टिसे गो-पालन किया जाय तो अच्छा लाभ हो सकता है। शहरोंमें देखिये, वहांके ग्वाले महँगा किराया देकर गाये पालते हैं और महँगी चीजें खरीदकर उन्हे खिलाते है। फिर भी दूध, दही, मक्खन, मलाई, रबड़ी आदि बेचकर लाभ उठाते हैं। ऐसी दशामें देहातोंमें गो-धन न बढ़ा सकनेका कोई कारण नहीं है। देहातोंमें गो-चरका अभाव जरूर है, पर मवेशी रखनेके लिए कियायेकी जमीन लेनेकी आवश्यकता नहीं है। पशुओंके लिए

चारा भी शहरोंकी अपेक्षा सस्ता और ताजा मिल सकता है। किन्तु यह काम तभी सम्भव हो सकता है जब व्यवसायके रूपमें किया जाय। यदि घी, दूध, दही, मक्खन आदिसे पैसे वसूल किये जायँ तो पशुओंके पालनेमे कठिनाई नही पड़ सकती। घी-दूधकी खपत हर जगह होती और हो सकती है। इसलिए हर मनुष्यको अपनी सुविधाके अनुसार इसका प्रबन्ध कर लेना चाहिए। हर स्थानकी सुविधा एकसी नही है, इसलिए सब जगहो-के लिए खपतका अलग अलग लाभदायक उपाय बतलाना बड़ा कठिन है।

फिर भी समूचे भारतको हम दो भागोंमें विभक्त कर सकते हैं। एक भाग तो वह है जो शहरो और बाजारोके करीब है और जहांका माल शहरों या बाजारोंमे आसानीसे खप सकता है। दूसरा भाग वह है जो शहरो या बाजारोसे बहुत दूर है जहांसे दूरके शहरोमे जानेके लिए अच्छा रास्ता नही है, अगर रास्ता भी है तो सवारी आदिका कोई ऐसा साधन नही है जिसमे कम खर्च और थोड़े सयमे मौकेसे परतेके साथ दूध दही आदि चीजें पहुँचायी जा सकें। जिस भागका दूध दही शहरोमें या अपने आस-पासकी वस्तीमे नफेके साथ खपाया जा सकता है, वहांके लोगोके सम्बन्धमे विशेष कुछ लिखना व्यर्थ है। किन्तु जिस भागमें खपतका कोई जरिया नहीं है, वहांके लोगोंके लिए कुछ उपाय बतलाना आवश्यक है। ऐसी जगहोंमें रहनेवाले लोग दूधसे घी और मक्खन निकालकर अच्छा लाभ उठा सकते हैं।

मक्खन की तैयारी

मशीनद्वारा जो मक्खन तैयार किया जाता है, वह टिकाऊ होता है। इस तरहका मक्खन डब्बोंमे भरकर कलकत्ता बम्बई भेजा जा सकता है। मशीनके द्वारा मक्खन बहुत जल्द और आसानीसे निकल आता है। मक्खनको टिकाऊ बनानेका उपाय सीख लेनेपर अच्छा लाभ हो सकता है। क्योंकि वह मक्खन बहुत महँगा बिकता है और बेचनेमे भी दिक्कत नहीं पड़ती। रही घीकी बात, सो तो टिकाऊ होता ही है।

इस प्रकार यदि भारतके दोनों भागोमें गोधन बढ़ाया जाय तो खाने पीनेके लिए दूध-घी की भी कमी नहीं रह सकती और खेतीकी उन्नतिके साथ साथ घी-दूध तथा उनके बच्चोंसे काफी लाभ भी हो सकता है। किन्तु गोधन बढ़ानेके लिए हमे दो बातोपर ध्यान रखना होगा। पहली बात तो यह है कि उनकी सेवापर पूरा ध्यान रखा जाय और दूसरी बात यह कि गौओको कसाइयोके हाथमें न जाने दिया जाय। यदि गायें अच्छी नस्लकी और ऊँचे कदकी रखी जायँ तथा उन्हे पूरी खूराक दी जाय तो चार गायोका काम एक ही गायसे निकल सकता है। किन्तु इसके साथ ही उनके बच्चोका पालन करनेमें भी किसी तरहकी किफायत नहीं करनी चाहिए। यदि बछड़ोके तीन चार महीनेतक अच्छी तरह दूध पिला दिया जाय और वे थोड़ी देरतक रोजाना छूटे रहे—चौबीसो घंटा बँधे न रहे तो हृष्ट-पुष्ट, सुन्दर, बलवान और ऊँचे कदके हो सकते है। यदि देशमें बलवान बैल पैदा होने लग जायँ तो खेतोंकी उपज बढ़ानेके लिए अधिकसे अधिक जोताई हो सकेगी।

आज हमारे सामने पशुओंको खूराक देनेकी जो जटिल समस्या उपस्थित है, वह तभी हल हो सकती है जब हम गो-धनको अपना व्यवसाय बना लेंगे। क्योंकि रोजगारके रूपमें गोपालन करना खल नहीं सकता और गौओंसे ही आमदनी करके उन्हें अच्छी खूराक देकर अपने लिए भी बचत की जा सकती है। यहांपर इस बातका उल्लेख करना और भी अच्छा होगा कि अच्छी नस्लकी एक गायसे कितना लाभ किया जा सकता है। यो तो गायें बीस-बोस सेरसे भी अधिक दूध देनेवाली होती हैं, पर यदि साधारणतया एक गाय दस सेर दूध देनेवाली ही रख ली जाय तो उससे एक ब्यानमें कमसे कम पैंतालीस मन दूध मिल सकता है जब कि उसके बछड़ेके लिए प्रतिदिन दो सेर दूध छोड़ दिया जाया करे। दो आने सेरके भावसे पैंतालीस मनका दाम २२५) होता है। इसलिए एक ब्यानमे २२५) तो दूधसे आवेगा और गायके बिसुक जानेके बाद कमसे कम १०) दस रुपयेका माल उसका बच्चा होगा। इस प्रकार कुल २३५) की आमदनी होगी अब रहा खर्च। दस सेर दूध देनेवाली गायका दाम अन्दाजन पचास रुपया देना पड़ेगा। एक गाय अच्छो खूराक पानेपर मामूली तौरसे दस ब्यानतक ब्याती है। इसलिए उसके मरजानेके बाद उसका मूल्य नष्ट हो जायगा। लेकिन उसकी हड्डी और चमड़ेसे कमसे कम पांच रुपयेकी आमदनी होगी। अतः यह कीमत घटा देनेपर दस ब्यानमे पैंतालीस रुपया नुकसान होगा। अर्थात् एक ब्यानमें साढ़े चार रुपयेकी क्षति होगी। यदि हम पचास रुपयेका सूद भी रख लें तो मोटे हिसाबसे साढ़े चारकी जगह छः रुपयेसे अधिक नुकसान नहीं हो सकता। गायके ब्यानेसे लेकर बिसुक

जानेके बादके ब्यानतक उसे खिलानेमें अधिकसे अधिक ११५) खर्च पड़ेगा। इतना खर्च तब होगा जब गायको दूध देनेतक प्रतिदिन दो सेर खली और दो सेर चूनी-करायी दी जायगी और बिसुक जानेपर रोजाना एक सेर खलो-चूनी-कराई दी जायगी। इस प्रकार कुल खर्च १२१) रुपयेसे अधिक नहीं पड़ता। इसमे चरवाहेका वेतन भी शालिल है, जो कि जङ्गलमें भेजनेपर देना पड़ेगा। खर्चकी रकम बाद दे देनेपर ११४) की बचत होती है। यदि इस बचतको और भी कम मान लिया जाय, तब भी कमसे कम सत्तर-पचहत्तर रुपयेकी आय अवश्य होगी। हम मानते हैं कि दूध हर जगह दो आना सेर नहीं बिक सकता। किन्तु जहां इससे सस्ता दूध बिकता है वहां गायोंके खिलानेका सामान भी सस्ता मिलता है। इसलिए वहांकी आयमे भी कुछ अन्तर तो जरूर पड़ेगा, पर विशेष नही। इस लाभके सिवा गायके गोबर और मूतकी अमूल्य खादकी कीमत इसमे नही जोड़ी गयी है इस हिसाबसे अनुमान किया जा सकता है कि भारतके किसानोंके लिए गोपालन कितने नफेका व्यापार है। गायें पालकर दूध, दही, मट्ठा, घी मक्खन, मलाई, रबड़ी आदि जीवनोपयोगी चीजें लीजिये, गोबर और मूतसे खेतोको ऊपजाऊ बनाकर खूब अनाज पैदा कीजिये, इनके बच्चोको काममे लाइये और उनके मर जानेके बाद हड्डी और चमड़ेसे लाभ उठाइये। संसारमें गायसे बढ़कर लाभ पहुँचानेवाला और कोई जानपर नही है। तभी तो गायको गो-माता कहा जाता है। तभी तो महर्षियोने गो-सेवाकी अपार महिमा बतलायी है। गो-सेवामें 'लोक लाहु परलोक निबाहू' दोनो है। इसलिए भारतीय किसानोकी गो-पालनकी ओर विशेष ध्यान देनेकी आवश्यकता है।

गायोंको हृष्ट-पुष्ट, नीरोग, अधिक दूध देनेवाली और लाभ-दायक बनानेके लिए इनकी सेवामें थोड़ासा ध्यान देना जरूरी है। इन्हे शुद्ध चारा देना चाहिए। सड़ा-गला और गन्दा चारा खिलानेसे गायें रोगी हो जाती हैं, दूध तोड़ देती हैं और इनका दूध रोगी हो जाता है। यदि सुबिधाजनक हो तो तालाब और नदीमें इन्हें प्रतिदिन मलकर नहलाना चाहिए और थोड़ासा तैरा देना चाहिए। यदि नदी और तालाबमें नहलानेकी सुबिधा न हो तो कुएँके ताजे जलसे इन्हे मलकर धो देना चाहिए। जाड़ेके दिनोमें अच्छी तरह धूप निकल आनेके बाद ही नहलाना अच्छा है। नहलानेसे जुएँ नहीं पड़ती, गायोंका चित्त प्रसन्न रहता है, इन्हें जल्द कोई रोग नही होता और तन्दुरुस्ती अच्छी रहती है। इनकी तन्दुरुस्तीका असर इनका दूध-घी खानेवालोंपर भी पड़ता है। गायोंके रहनेका घर हमेशा साफ-सुतरा रखना चाहिए। जाड़के दिनोमें टाटका अथवा मोटे कपड़ेका भूल पहनाना चाहिए। यह समझना भूल है कि पशुओंको सर्दी नही लगती। पशुओंको काफी सर्दी लगती है, हां सर्दी सहन करनेकी शक्ति इनमे बहुत होती है। सर्दी लगनेसे पशु दुबले हो जाते हैं और उन्हें कितना ही अधिक क्यो न खिलाया जाय उनका बदन दुबला ही बना रहता है।

**अच्छे साँड़ों का जरूरत**

गाय-बैलकी अच्छी नस्ल बनाये रखनेके लिए अच्छे साँड़का होना बहुत जरूरी है। पुराने जमानेमें साँड़ छोड़नेकी प्रथा थी। वह प्रथा तो अबतक कायम है, किन्तु अब उससे हानिके सिवा कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है। क्योकि पहले अच्छी

नस्लके साँड़ छोड़े जाते थे, इससे वे समय पाकर ऊँचे कदके होते थे और इनसे पैदा होनेवाले बच्चे भी अच्छी नस्लके होते थे। किन्तु अब गायके जो बच्चे किसी कामके लायक नहीं होते, उन्हे लोग दागकर छोड़ देते हैं। परिणाम यह होता है कि वे घूम-घूमकर खेत चरते हैं और उनसे जो गाये धनाती हैं उनके बच्चे भी छोटे होते हैं। इसलिए इस प्रथामे सुधार करनेकी जरूरत है। हर गांवमे आवश्यकताके अनुसार एक या दो ऐसे सांड़ोंका प्रबन्ध रहना चाहिए जो ऊँचे कदके हों। उन साँड़ोंको गांवके सबलोग अपनी चीज समझें और उनके खानेपीनेका उचित प्रबन्ध करें। चाहे उन्हे रातदिन छोड़ रखें और स्वेच्छा पूर्वक चरने दे, या उन्हे गांवभरके लोग मिलकर रातभर बांधकर खूब खिलाया करें और दिनभर गायोंके खेड़ेमे चरने दिया करें। ऐसे साँड़ोंसे कुछ ही दिनोंमे गांवभरके गाय-बैलकी नस्ल बदल जायगी। ऐसा प्रबन्ध रखनेसे बैलोंके लिए जो हरसाल रुपया खर्च करना पड़ता है, उसकी बचत हो सकती है। आवश्यकतासे अधिक बछड़े होनेपर आमदनी भी हो सकती है, दूध-घी भी अधिक पैदा हो सकता है, खेतोंकी जोताई भी अच्छी हो सकती है, और अन्न भी अधिक पैदा हो सकता है।

**कपड़ेकी समस्या**

मनुष्य-जीवनमे वस्त्र बहुत जरूरी चीज है। यदि भारतवासी अपने लिए कपड़ेका प्रबन्ध कर लें अर्थात् अपने देशके खर्चभरके लिए कपड़ा अपने हाथसे तैयार करने लग जायँ तो कपड़ा खरीदनेमे जो रुपया खर्च होता है, उसकी बचत होने लगे। पहले हमारे देशमे हरसाल साठसे सत्तर करोड़ रुपयेतकका कपड़ा बाहरसे आता

था। लेकिन जबसे महात्मा गान्धीने देशवासियोंको इसका महत्व समझाया और देशके कुछ लोगोंने इस ओर ध्यान दिया तबसे बाहरसे आनेवाले मालमें बहुत कमी हो गयी। फिर भी यह कहना पड़ेगा कि देशके सबलोगोंने इसका महत्व नहीं समझा और जिन लोगोने समझा भी, उन लोगोंमेंसे बहुत कम लोगोने महात्मा गान्धीके आदेशानुसार काम शुरू किया। बहुतसे लोग तो यह कहते हैं कि चरखा कातनेमें मिहनत बहुत है पर मजदूरी नहींके बराबर है। हम भी उन लोगोंके इस कथनसे सहमत हैं, किन्तु इतना हम अवश्य कहेंगे कि चरखा कातनेमें मजदूरी बिलकुल कम रहने पर भी अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य होनेके कारण बहुत अधिक मजदूरी है। इस कामको तो मजदूरीके ख्यालसे करना ही भूल है। महात्माजी यह नही कहते कि लोग अपने किसी कामका हर्ज करके चरखा चलावें। उनका तो यह कहना है कि अपना सब काम किया जाय और फुरसतका समय बेकार नष्ट न करके चरखा चलानेमें लगाया जाय। ऐसा करनेसे बेकारीका समय काममें कट जाता है, बेकार रहनेसे मनुष्यमें जो अनेक तरहकी बुराइयां अपने आप भर जाती हैं, उनसे वह बच सकता है और रोजानाके दिल बहलावमें ही वह अपने खर्चके लिए शुद्ध खादी तैयार करके अपनी वार्षिक आमदनी भी बढ़ा सकता है। अर्थात् कपड़ेमें खर्च होनेवाले रुपयोंकी बचत कर सकता है।

इसमें सन्देह नहीं कि हाथसे कातने और बुननेमें जितना कपड़ा वर्ष भरमें तैयार नहीं हो सकता उतना कपड़ा मिलमें तैयार करनेमें कुछ मिनटसे अधिक समय नहीं लगता। किन्तु इस समय देशके सामने शीघ्र काम खतम करनेका सवाल नहीं

है ; असली समस्या तो है बेकारोंको काम देनेकी। देशके लोगोंकी बेकारी दूर होनी चाहिए, काम चाहे जितनी देरमे हो। भारतमे लाखो आदमी रोज भूखे रहजाते हैं। चरखेसे उन्हे रोटी मिल सकती है। जिस देशके प्रत्येक मनुष्तकी वार्षिक आमदनी १५-१६ रुपयेसे अधिक नही है उस देशके लोग मिलोकी सहायतासे जल्द काम समाप्त करके लाभ नही उठा सकते। भारतमें कपड़ेकी खपतका हिसाब लगानेसे मालूम होता है कि यहां हर आदमी पीछे सालभरमे १२ गज कपड़ा लगता है। देशी मिलोने तो काफी तरक्की की है। गत जर्मन युद्धके पहले भारतमें ब्रिटेनसे प्रति वर्ष औसत तीन अरब गज कपड़ा आया करता था और यहांकी मिलोमे सिर्फ एक अरब दस करोड़ गज कपड़ा बनता था। पर वह समय भारतके भयावने शोषणका था जब भारतीय मालपर उतनी ही चुंगी ली जाती थी जितनी ब्रिटिश मालपर जकात। यह इसलिए कि भारतमे भारतीय वस्त्रको अधिक सुविधा प्राप्त न हो। पर महासमरके बाद यह अवस्था न रही। भारतीय वस्त्रके संरक्षणकी नीति स्वीकृत हुई। उससे जापानकी प्रतियोगितासे और हमारेबहिष्कारसे ब्रिटिश-वस्त्रके-व्यवसायको ऐसा धक्का लगा कि सन् १९३३-३४ मे यहां केवल ३८ करोड़ ४० लाख गज कपड़ा ब्रिटेनसे आया। उसी वर्ष यहांकी मिलोमें २ अरब ९४ करोड़ ५० लाख गज कपड़ा तैयार हुआ। अब देशी मिलोंमे प्रति वर्ष लगभग ३॥ अरब गज कपड़ा तैयार होने लगा है और सन् १९३७-३८मे ब्रिटेनसे यहां सिर्फ ३६ करोड़ ६७ लाख गज कपड़ा आया है। ये आँकड़े हमे यह बतला रहे हैं कि अभी हमारा वस्त्र-व्यवसाय पूरा सन्तोष-जनक नहीं है। देशी मिलोकी

उन्नतिसे तो हम तभी उन्नत हो सकेंगे जब मशीनोंके कल-पुर्जे हमारे देशमें तैयार होने लगें। जबतक हमारे देशका अपार धन कपड़ेकी मशीनें खरीदनेमें विदेश जा रहा है तबतक हमारा विशेष लाभ नहीं हो सकता। ऐसी दशामें तो हमे सबसे पहले चरखे और करघेकी शरण लेनी चाहिए, उसके बाद देशी मिलोंका। क्योंकि चरखा चलाकर कपड़ा तैयार करनेमें कपड़ेपर जो कुछ लागत बैठती है, सब देशवासियोंको ही मिलती है।

कुछ लोगोंकी धारणा है कि खद्दर बहुत मँहगा पड़ता है। इसलिए खद्दर खरीदनेकी अपेक्षा मिलोंका कपड़ा खरीदना लाभ-दायक है। जितने दाममें एक गज खद्दर मिलता है उतनेमें मिलका कपड़ा दो गज मिल जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि मिलका कपड़ा खद्दरसे सस्ता पड़ता है। किन्तु यहां तो जरूरत इस बात-की है कि प्रत्येक मनुष्य अपने खर्चके लिए स्वयं सूत कातकर कपड़ा तैयार कर लिया करें, खरीदनेकी जरूरत ही पैदा न हो। और यदि कपड़ा खरीदनेकी आवश्यकता ही पड़े तो महँगासे महँगा खद्दर ही खरीदा जाय। खद्दर महँगासे महँगा खरीदनेमें हमें लाभ है, किन्तु विदेशी वस्त्र सस्तासे सस्ता खरीदनेमें भी हमारा सर्वनाश है। सस्ती और महँगी-चीजें खरीदनेमें व्यक्तिगत लाभ और हानि तो जरूर दिखायी पड़ती है, पर सामूहिक गहरी हानि होती है। राष्ट्रमें व्यक्तिगत लाभका तबतक कोई मूल्य नहीं होता जबतक उससे सामूहिक या देशका लाभ न हो। असली लाभ तो वही है जो राष्ट्रके लिए हितकर हो। व्यक्ति तो राष्ट्रके अन्तर्गत है। इसलिए राष्ट्रको लाभ होनेपर व्यक्तिका लाभ अव-श्य ही होता है। किन्तु राष्ट्र व्यक्ति नहीं है, अतः राष्ट्रकी हानि

होनेसे व्यक्तिगत लाभ होते हुए भी उसकी हानि ही होती है।

खद्दर महँगा होनेपर भी सस्ता कैसे है, राष्ट्रके हानि-लाभमें ही व्यक्तिकी हानि-लाभ क्योंकर है, इसे अच्छी तरह समझानेके लिए एक उदाहरण दिया जाता है। मान लीजिये कि एक गांवमें कुछ आदमी रहते हैं और वे भिन्न भिन्न चीजोंका व्यवसाय करते हैं। कोई खेती करके गल्ला पैदा करता है, कोई लोहेका कारबार करता है कोई कपड़ा बनाता है, कोई चमड़ेका कारबार करता है और कोई लकड़ीकी चीजें तैयार करता है; किन्तु दूसरे गांवमें तैयार होनेवाली ये सभी चीजें इस गांवकी अपेक्षा सस्ती मिलती हैं। ऐसी दशामें यदि इस गांवके लोग सामूहिक लाभपर ध्यान न देकर व्यक्तिगत लाभके लिए अपने गांवकी बनी हुई महँगी चीजें न खरीदकर बाहरकी सस्ती चीजे खरीदें तो उसका परिणाम क्या होगा? बाहरकी सस्ती चीजें खरीदनेका भयंकर फल यह होगा कि हर चीजके व्यवसायी अपनी चीजें लिए बैठे रह जायँगे, किसीकी भी बिक्री न होगी, लाचार होकर सबलोगोंको अपना कारबार बन्द कर देना पड़ेगा और दाने दानेके लिए मुहताज हो जाना पड़ेगा; फिर तो बाहरकी सस्ती चीजें खरीदनेकी शक्ति ही न रह जायगी। हां खेती करनेवाले लोगोंको कठिनाई तो जरूर पड़ेगी, पर उनके लिए खेती बन्द करनेकी नौबत नहीं आवेगी। किन्तु यदि गांवके सबलोग व्यक्तिगत लाभकी ओर ध्यान न देकर सामूहिक लाभकी ओर दृष्टि डालें और बाहरकी सस्ती चीजें खरीदनेमें अपनी हानि समझकर अपने गांवकी महँगी चीजें खरीदनेमें अपना फायदा समझें तो सबलोगोंकी बिक्री आपसमें होती जायगी और महँगी चीजोंका खरीदना किसीको न खलेगा।

इससे प्रत्येक धन्धेको प्रोत्साहन भी मिलता जायगा। किसीको भी रोटियोंके लाले नहीं पड़ सकते।

इस उदाहरणसे यह बात अच्छो तरह समझमें आ सकती है कि वैयक्तिक स्वार्थ कोई चीज नहीं है सामूहिक स्वार्थ ही व्यक्तिगत स्वार्थका प्राण है। अपने देशकी महँगी चीजें खरीदते रहनेसे सबको फायदा होता है और सबमें एक दूसरेकी चीज खरीदनेकी शक्ति बनी रहती है। दूसरे देशोंकी सस्ती चजें खरीदनेमें ऊपरसे देखनेमें तो हर आदमीको अपना लाभ मालूम होता है किन्त कुछ ही दिनोमें समूचा राष्ट्र कंगाल हो जाता है। खद्दर मोटा और खरखरा होनेके कारण बहुतसे लोग उसे पसन्द नही करते। इसके बारेमे महात्मागान्धीने कई वष पहले यह कहा था कि यदि मेरे घरमें मोटो रोटी और दूसरेके घरमें पतली रोटी बनती हो तो क्या मैं अपने घरकी मोटी रोटी छोड़कर पतली रोटी खानेके लिए दूसरेके घरमें जाऊँगा? यही बात खद्दरके सम्बन्धमें है। खद्दर हमारी चीज है। दूसरे देशोका बारीक और चिकना कपड़ा देखकर हम क्यों ललचें? हमें चेष्टा करनी चाहिए कि हम भी वैसो ही या उससे भी बढ़कर उम्दा चीज अपने हाथसे तैयार करें। हमारे देशमें आज भी ढाकेमें बारीक मलमल बनती है जिसका मुकाबला अबतक कोई देश नहीं कर सका। हाथकी कारीगरीके लिए भारतवर्ष सदासे प्रसिद्ध था। जिन दिनो मिलोंका जन्म भी नहीं हुआ था, सभ्यताकी डींग मारनेवाले देश जङ्गली दशामें थे उन दिनो हमारे देशमें लोग हाथसे ऐसी साड़ियां तैयार करते थे जो इलायचीके छिलकेके भोतर भरी जा सकती थी। समयके फेरसे हमारा वह उद्योग-धन्धा नष्ट हो गया; किन्तु

क्या हम उसे फिर जीवीत नहीं कर सकते ? हमारे देशके लोग हाथसे जितना बारीक कपड़ा तैयार करते थे, वैसा बारीक कपड़ा मिलोकी इतनी अधिक उन्नति होनेपर भी उनमे तैयार नहीं किया जा सकता। किन्तु हम अपनी उस खोई हुई कारीगरीको तभी ला सकते हैं जब हम उस कारीगरीका आरम्भ करेंगे और विदेशों-की भड़कीली चीजोके जालमें न फँसकर अपनी रद्दीसे रद्दी चीज-को हृदयसे अपनावेंगे।

**अन्यान्य उद्योग-धन्धोसे आय-वृद्धि**

देहातोमें खेतीका काम करते हुए सूत कातने और कपड़ा बुननेके सिवा और भी बहुत तरहके काम किये जा सकते हैं और उनके द्वारा आमदनी बढ़ायी जा सकती है। अव-काशके समय बांस या बेतकी कुर्सी, मोढ़े, बेंच, टेबुल स्टूल आदि बनाना, लकड़ीकी चीजें बनाना कठिन काम नही है। घरकी स्त्रियां फुरसतके समय बड़ी आसानीसे दस्त-कारीका काम कर सक्ती हैं। गंजी-मोजा बुनना, बेल-बूटा काढ़ना आदि बीसों तरहके धन्धे वे आनन्दसे घरमे बैठकर कर सक्ती हैं और सुखसे हँसी-खुशीके साथ अपने दिन बिता सकती हैं। दिल बहलावके काममे ही वे अच्छी कमायी कर सकती हैं। इससे न केवल उन्हींका लाभ होगा बल्कि समूचे देशकी शक्ति बढ़ेगी। जब आदमी एक धन्धेमे लग जाता है तो उसके दिमागमें सैकड़ो तरहके नये नये धन्धे आने लगते हैं। देशकी उन्नति इसी प्रकार हुआ करती है। हाथपर हाथ धरे बैठे रहनेसे-कूप मंडूकवत् काम करनेसे इस बीसवीं शताब्दीमें निर्वाह होना कठिन है।

गावोमे ऐसी बहुतसी चीजें नष्ट हो जाती है जो काममें लायी

जा सकती हैं। पर हम उन्हें काममें लाना नहीं जानते। उदाहरणके लिए पुरानी रुईको ही ले लीजिये। प्रत्येक घरमें जब रजाई फट जाती है तब उसकी रुई किसी काममे नहीं लायी जाती। कहीं कहीं वह रुई दोबारा धुनकर रजाईमें भरनेके काममें लायी जाती है; किन्तु उसके बाद जब दूसरी बार रजाई फट जाती है तब उसकी रुई बेकार समझी जाती है। मथुराकी ओर देहातके लोग शहरों तथा गांवोंसे नाममात्रके मूल्यमें पुरानी रुई खरीद लाकर उसकी दरी बनाते हैं और अच्छे दाममें बेचते हैं। जो लोग पुरानी रुई देकर दरी बुनवाना चाहते हैं, उनसे वे कताई-बुनाईकी मजदूरी ले लेते और दरी तैयार करके उन्हें दे देते हैं। यह काम हर जगह किया जा सकता है और नष्ट होनेवाली रुईसे पूरा लाभ उठाया जा सकता है। यही हाल पुरानी रस्सी तथा सुतलीका है। अधिकांश जगहोंमें तो सनकी पुरानी चीजें व्यर्थ नष्ट हो जाती हैं, किन्तु कहीं कहीं गावोंके लोग इसके बदलमें नमक आदि ले लेते हैं। फिर भी उन्हें घाटा होता है। यदि ऐसी चीजोंसे सोख्ता आदि बनाया जाय तो अच्छा लाभ हो सकता है। आलमोनियमके बर्त्तनोका भी यही हाल है। आलमोनियमके पुराने बर्त्तनोंसे एक पाई भी किसीके घरमें नहीं आती। कानपुरकी ओर ये बर्त्तन खरीदे जाते हैं और कलकत्ते भेजे जाते हैं। किन्तु अधिकांश स्थानोंमें आलमोनियमके टूटे-फूटे बर्त्तन निकम्मे समझकर फेंक दिये जाते हैं।

खेतीके काममें लोहेकी विशेष जरूरत पड़ती है। हलके फाल, गड़ाँस, खुरपी, हँसिया, कुल्हाड़ी, फरसा, कुदाल, सुम्मा, रम्मा आदि खेतोके औजार लोहेके होते हैं। इन औजारोंके टूटे हुए

टुकड़े यदि जुटाकर रखे जायँ तो कुछ पैसा वसूल हो जाया करे। किन्तु हमारे देशके किसान ऐसी मामूली चीजोंकी जरा भी परवाह नहीं करते। यदि मामूलीसे मामूली चीज भी काममें लायी जा सके तो उसे काममें लाना, उससे लाभ उठाना प्रत्येक मनुष्यका कर्त्तव्य है। ऐसी चीजोंसे लाभ उठानेमें बुद्धिमानी है, इनके खो देनेमें नहीं। माना कि ऐसी चीजोसे बहुत कम लाभ होता है; किन्तु इससे क्या ? इसमें किसीका कुछ खर्च तो होता नहीं, कुछ न कुछ लाभ ही होता है।

देहातोंमें एक व्यापार बड़े मुनाफेका किया जा सकता है। वह है चमड़ा। चमड़ेका व्यापार बड़ा लाभ दायक है। किन्तु इस ओर किसीका ध्यान ही नहीं गया है। यह रोजगार ऐसा है कि बहुतसे लोग हजार-दो हजार रुपयेकी पूंजी लगाकर एक जगह बैठे देहातोका कच्चा चमड़ा खरीदते और उसे ज्योंका त्यों कानपुर आदि शहरोंमें भेजकर सालमें हजारों रुपया कमा लेते हैं। उसी कच्चे चमड़ेको यदि वे कच्चा न भेजकर अपने यहां सिझाने और रँगने लगें तो कई गुना अधिक लाभ उठा सकते हैं। देहातोमें हर जगह चमड़ा पैदा होता है; किन्तु चमड़ेके व्यापारकी जानकारी न होनेके कारण बड़े बड़े व्यापारी ही इससे गहरा लाभ उठाते हैं। इस युगमें चमड़ेकी इतनी खपत है, इसकी इतनी कीमती चीजें बनायी जाती हैं कि इसके व्यापारसे आदमी बहुत जल्द मालामाल हो सकता है। देखिये न, कलाई घड़ीके फीतेमे कितना चमड़ा लगता है जिसको कीमत पांच आनेसे डेढ़ रुपयेतक ली जाती है ? छोटासा मनीबेग एक रुपयेसे लेकर सात-आठ रुपये तक बिकता है। यदि देखा जाय तो मालूम होगा कि देहातोमें

जो खाल एक रुपये सवा रुपयेमें बिक जाती है, उसमें ऐसी छोटी-मोटी चीजें न-जानें कितनी तैयार हो सकती हैं। इसलिए भारतके गांवोंमें जगह जगह चमड़ेका कारबार खुलनेकी आवश्यकता है। हर जगह इसका कारखाना बड़ी आसानीसे चलाया जा सकता है और बहुत बड़ा लाभ उठाया जा सकता है। अच्छा तो यह हो कि देहातोंमें चमड़ेके जो कारखाने खुलें, उनमें चमड़ा सिझाने, रँगने तथा उससे तरह तरहकी चीजें तैयार करनेका काम हो; यदि कहीं किसी कारणवश इतना सम्भव न हो तो कमसे कम चमड़ा सिझाकर उसकी रँगाईका काम तो अवश्य ही होना चाहिए।

अवश्य ही इस कामका ज्ञान न होनेसे कुछ लोगोंको यह व्यापार अन्धकारमय दिखायी पड़ेगा। किन्तु जो लोग इस काममे तत्पर हो जायँगे, उन्हें किसी तरहकी कठिनाई नही पड़ सकती। क्योंकि देशमें इसके कारीगरों या जानकारोंकी कमी नहीं है। 'जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ'। जो जिस चीजको ढूंढता है वह उसे अवश्य पा जाता है। चमड़ेका व्यापार ऐसा है कि यदि भारत इसे सोलहो आना अपने हाथमे कर ले तो उसके बहुत बड़े हिस्सेकी गरीबी दूर हो जाय।

इसी प्रकार और भी बहुतसी चीजें हैं जिनसे देहातके लोग अच्छा लाभ उठा सकते हैं। यहां तो उदाहरणके लिए कुछ चीजों-का उल्लेखमात्र कर दिया गया है। सारी चीजें गिनानेके लिए अधिक स्थानकी जरूरत है। इतना लिखनेका खास अभिप्राय यह है कि किसान रोजाना काममें आनेवाली चीजोंपर ध्यान रख फालतू समयमें अपनी सूझसे नया नया काम करनेकी कोशिश करें, तथा अपने यहां पैदा होनेवाली चीजोंको अधिकसे अधिक

उपयोगी बनानेके लिए उद्योगशील बने। साथ ही यह भी देखना चाहिए कि किस चीजकी कहां अच्छी खपत हो सकती है और किन किन चीजोंका कौन कौनसा सामान आसानीसे तैयार करके मजेदार फायदा उठाया जा सकता है। जहां बांस अधिक पैदा होते हैं, वहां बांसकी चीजें, जैसे, बांसकी कुर्सी, बेंच, मोढ़े, टोकरी आदि और जहां लकड़ी अधिक पैदा होती हो वहां लकड़ीकी सैकड़ों नायाब चीजें, जैसे, लकड़ीकी कुर्सी, टेबुल, बेंच, आलमारी, कलमदान, शीशोंके फ्रेम, तरह तरहके खिलौने आदि बनाकर लाभ उठाया जा सकता है। इसी प्रकार हर जगहके लोगोंको अपनी सुविधाके अनुसार आमदनीका व्यापार सोचना और करना चाहिए। इन कामोंके लिए यह जरूरत नही है कि ये दिनभर किये जायँ; इन्हे तो खेतीके कामोंसे फुरसत मिलनेपर बेकारीके समय करना चाहिए। ऐसे कामोंसे मनोरंजन भी होता है, आमदनी भी होती है, बेकारी भी दूर होती है और देशमें उद्योग-धन्धेका प्रचार भी होता है।

टाट, कालीन, आसन, दरियां, तरह तरहकी जालीदार चीजें, भिन्न भिन्न तरहके जनाने मर्दाने कपड़े तथा अन्यान्य बहुतसी चीजें किसानोंके घरोंमे आसानीसे तैयार हो सकती हैं। जिस प्रकार खर्चके बहुतसे जरिये हैं, उसी प्रकार आमदनीके लिए भी भिन्न भिन्न तरहका जरिया ढूंढ़ निकालना चाहिए। जबतक हमारे देशके किसान आमदनी बढ़ानेकी चेष्टा नहीं करेंगे, तबतक इस युगमें वे सुखी नही हो सकते। जीवनकी सुख और शान्ति तो इस युगमें बस आमदनीपर निर्भर है। आमदनी अच्छी होनेपर ही देशमें सम्मान होता है।

अस्तु। इस अध्यायमें संक्षिप्त रीतिसे यह बतलाया जा चुका कि किसानोंकी आय किस प्रकार बढ़ सकती है। अब आगेके अध्यायमें यह बतलाया जायगा कि बचतके कौन कौनसे जरिये हैं।

# चौथा अध्याय

## बचतके उपाय

धन पैदा करना उतना कठिन काम नहीं है जितना उसका बचाना। नौकरी या व्यापारसे बहुतसे लोग हजारों रुपया माहवारी पैदा करते है किन्तु उनमें अधिकांश लोगोंको हर समय पैसेके लाले पड़े रहते हैं। आँखों देखी बात है, एक सज्जन सरकारके ऊँचे ओहदेदार हैं और तीन हजार रुपया मासिक पाते हैं; किन्तु वेतनके रुपये मिलते ही एक हफ्तेके भीतर धुलाई, सिलाई, कपड़े, नौकरों की तनख्वाह तथा अन्यान्य चीजोंके बिल चुकानेमें सब रुपया खतम हो जाता है और उधारसे ही महीनेभरका काम चलता है। ऐसे बहुतसे लोग हैं जो हजारों रुपये मासिककी आय होनेपर भी खर्चके पीछे परेशान रहते हैं।

किसानोंमें भी बहुतोंकी यही दशा है। अधिकांश लोगोंको तो खर्चके अनुसार पैदा नहीं है, पर जिन लोगोंको काफी आमदनी है, उनमें भी कितने ही लोग खर्चके पीछे कंगाल बने रहते हैं। इसलिए मनुष्यको चाहिए कि वह जितनी ही चेष्टा धन पैदा करनेके लिए करे उतनी चेष्टा उसकी बचतके लिए भी करे।

कहनेका अर्थ यह नहीं है कि पैदा किया हुआ धन किसी काममें खर्च किया ही न जाय। यदि खर्च ही नहीं किया जायगा तो धन लेकर क्या होगा? धनका तो दो ही उपयोग है, दान और भोग। चाहे मनुष्य अपने धनसे दान-पुण्य करे, चाहे ऐश-आराम करे अथवा दोनों ही करे। इसी कामके लिए धन है भी। यदि इनमेंसे कोई काम न किया जाय तो धन व्यर्थ है। ऐसे धनका परिणाम है, नाश। जो धन दान-पुण्य या भोगमें खर्च नहीं किया जाता, उस धनका नाश अवश्य हो जाता है। ऐसी दशामें धनको अपने आप नाश हो जाने देना उचित नहीं है। उसे अपने निजी कामोंमें तथा देशहितके कामोंमें खर्च करना ही बुद्धिमानी है। किन्तु खर्चके हिसाबकी सीमा होनी चाहिए। हर मनुष्यको अपनी आयके अनुसार ही खर्च करना चाहिए और आयका कुछ अंश बराबर संचित पूंजीमें छोड़ते जाना चाहिए। सबका सब खर्चकर डालना उचित नहीं है। क्योंकि किसी भी मनुष्यका सब दिन एकसा न तो बीता है, न बीत रहा है और न बीतेगा। कुसमयमें बचाया हुआ धन ही काम आता है।

जब यह बात स्पष्ट है कि पर्याप्त आमदनी होनेपर भी मनुष्य आवश्यकतासे अधिक खर्च करके कंगाल बना रहता है, तब धनकी बचतका उपाय बतलाना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि

बचत किये बिना धन पैदा करनेका महत्त्व ही नहीं रह जाता। बचतके लिए सबसे पहले मनुष्यको अपनी सालभरकी आमदनी और खर्चका लेखा सालके शुरूमें ही लगा लेना चाहिए। अर्थात् हर मनुष्यको पहलेहीसे सालभरको अपनी आमदनी और खर्च-का अनुमान कर लेना उचित है। उसीके हिसाबसे प्रत्येक किसान-को आमदनीकी तदबीर करनी चाहिए और खर्च करना चाहिए। किन्तु किसानोंकी आमदनीका ठीक ठीक अनुमान नहीं किया जा सकता। क्योंकि कभी फसल बहुत अच्छी होती है, इसलिए अनुमानसे अधिक आमदनी हो जाती है और कभी फसल इतनी अधिक खराब हो जाती है कि अनुमानसे बहुत कम आमदनी होती है। अनुमानसे अधिक आमदनी होनेपर तो कोई बात ही नहीं है; किन्तु अनुमानसे कम आमदनी होनेपर किसानको अधिक परिश्रम करके उसी सालके भीतर किसी दूसरी लाभदायक फसल से आय करने का प्रयत्न करना चाहिए। अथवा उस साल अपना अनुमान किया हुआ खर्च घटाकर उसे आमदनीके अनुसार कर देना चाहिए। किन्तु गृहस्थीमें बहुतसे खर्च ऐसे होते हैं जो किसी प्रकार भी घटाये नहीं जा सकते। जैसे मोटा अन्न और मोटा वस्त्र तो निर्वाहके लिए चाहिए ही। इसके सिवा खेतोंकी माल-गुजारी या लगान भी देना ही पड़ेगा। यदि किसी साल खर्चकी मदें सिर्फ इतनी ही हों जो कि किसी तरह भी कम न की जा सकें और आमदनी कम हो तो किसानको अव्वल तो दूसरी किसी चीजसे आमदनी बढ़ा कर अपना काम चलानेका उद्योग करना चाहिए, फिर भी यदि आमदनीमें कमी रहे तो उसकी पूर्त्ति अपनी संचित पूंजीमे से करनी चाहिए।

यहांपर संचित पूंजीके सम्बन्धमें कुछ लिखना आवश्यक है। हर मनुष्यको अपनी आमदनीमेंसे सालाना खर्च बाद देकर कुछ न कुछ रुपया बचाना चाहिए और उन बचे हुए रुपयों को जुगोकर रखना चाहिए। इसीको संचित पूंजी कहते हैं। हर साल थोड़ा थोड़ा बचाकर रखनेसे कुछ ही वर्षोंमें संचित पूंजी मजेदार हो जाती है और वह समयपर काम देती है। ऊपर ऐसी ही संचित पूंजीसे काम लेनेकी बात लिखी गयी है। पूंजी न रहनेसे मनुष्यको समय समयपर बड़ी गहरी मुसीबत-का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मनुष्य-जीवनमें हठात् बहुतसे ऐसे खर्च आ जाते हैं जिनका आना अनिवार्य और स्वाभाविक है। मरनी-करनीका खर्च हठात् और अनिवार्य कहा जा सकता है। क्योंकि यह तो सभी जानते हैं कि जो जन्मा है वह किसी न किसी दिन अवश्य मरेगा; किन्तु कौन कब मरेगा, यह कोई नही जानता। ऐसे अवसरोंपर संचित पूंजी ही काम देती है। लड़के-लड़कीके ब्याहका खर्च तो कम आमदनी होनेपर साल दो सालके लिए टाल भी दिया जा सकता है; किन्तु ऐसे काम तो किसी प्रकार भी टाले नहीं जा सकते। इसलिए प्रत्येक मनुष्यके जीवनमें संचित पूंजीका होना बहुत आवश्यक है। किन्तु यह पूंजी रोजानाके खर्चमेंसे यथासम्भव काट-कपट करते रहनेसे एकत्र होती है। यदि मनुष्य हमेशा इस ओर अपना ध्यान रखे तो उसे बड़ा सुख मिल सकता है और अचानक किसी तरहकी मुसीबत या कठिनाई आनेपर किसीके दरवाजेपर जाकर मुहताज नहीं होना पड़ सकता। जीवनमें मामले-मुकदमे आदि बहुतसे ऐसे काम आ जाया करते हैं जिनके लिये संचित पूंजी-

की नितान्त आवश्यकता पड़ती है। कभी कोई निहायत कामकी चीज ही इतनी सस्ती मिलने लगती है कि लाभकी दृष्टिसे खरीद लेने को जी चाहता है; पर यदि संचित पूंजी न रहेगी तो मनुष्य क्या करेगा? वह अपनी इच्छा कैसे पूरी कर सकेगा? उसे विवश होकर उस लाभसे वंचित रह जाना पड़ेगा।

किन्तु नये वर्षके प्रारम्भमे आय और व्ययके साथ ही संचित पूँजीकी मद रखे बिना संचय नही हो सकता। प्रत्येक मनुष्यको चाहिए कि वह सालके आरम्भमे ही यह स्थिर कर ले कि आगामी वर्षमें हमें इतना रुपया या इतने रुपयेका माल पैदा करना है और अमुक अमुक काममे इतना इतना खर्च करना है तथा इतना रुपया बचा रखना है। उसी निश्चयके अनुसार पैदा, खर्च और बचत करनेकी चेष्टा भी करनी चाहिए। इस प्रकार जो गृहस्थ नियमित रूपसे निश्चित आमदनी पैदा करनेका उद्योग करता है तथा सीमाके भीतर खर्च करके कुछ न कुछ सालाना बचत करता रहता है, वह सदा सुखी रहता है उसे कभी भी कर्जदार नही होना पड़ता।

**मुकदमेबाजी और पचायते**

देहातोमे मुकदमेका बहुत बड़ा रोग घुस गया है। ऐसा कोई गृहस्थ नही है जिसे अपने जीवनमे कभी न कभी किसी न किसी मुक-दमेमे कुछ न कुछ खर्च न करना पड़ता हो। आजकलके न्यायालयोमे कैसा न्याय होता है और वह कितना महँगा पड़ता है, इससे सबलोग अच्छी तरह परिचित हैं। एकबार महात्मा गांधीने लिखा था कि अंग्रेजी अदा-लतोंमे अव्वल तो न्याय होता ही नही, और यदि होता भी है तो

वह बहुत महँगा पड़ता है। बात बिलकुल सही है। एक आदमी सौ दो सौ रुपयेके मालके लिए मुकदमा लड़ता है, किन्तु उसकी दूनी चौगुनी रकम अदालतोंमें खर्च हो जाती है। फिर भी न्याय होनेका कुछ ठीक नहीं रहता। यदि न्याय भी होता है तो भी उसे काफी नुकसान उठाना पड़ता है। यदि किसीने पांच सौ रुपया खर्च करके सौ रुपयेका माल ले लिया तो उसने क्या लाभ उठाया? मनुष्य जो कुछ भी काम करता है, वह केवल लाभके लिए; किन्तु अंग्रेजी अदालतोंमें जानेसे हारनेमें तो हानि होती ही है, जीतनेमें भी हानि ही उठानी पड़ती हैं।

ऐसी दशामें यदि हर गांवके लोग आपसमें मिलकर अपनी पंचायत बना लें और उस पंचायतके द्वारा सबलोग अपना झगड़ा मिटा लिया करें तो बड़ा लाभ हो। गांवके लोग सबका न्याय और अन्याय जानते रहते हैं, इसलिए पंचायतके द्वारा सरकारी अदालतकी अपेक्षा अधिक न्याय पानेकी सम्भावना रहेगी। इससे लोगोंमें न्याय-प्रियता बढ़ेगी। क्योंकि अदालतोंमें लोग अन्याय पक्ष लेकर भी जानेका दुस्साहस करते हैं और बहुधा ऐसे लोगोंकी मनोभिलाषा पूरी भी हो जाती है। इसका फल यह हो रहा है कि लोगोंकी पाप-बुद्धि होती जा रही है। पंचायतोंके द्वारा झगड़ा तय करनेमें सब लोगोंकी यह दुर्भावना स्वाभाविक ही दूर हो जायगी; क्योंकि पंचायतमें सब पंच गांवके ही लोग रहते हैं और वे दोनों पक्षका न्याय-अन्याय जानते रहते हैं। अतः गांवका कोई भी मनुष्य अन्यान्य पक्ष लेकर किसी निरपराधको व्यर्थ पीड़ा पहुँचानेका साहस नहीं कर सकता। हम जानते हैं कि आजकल पक्षपात बहुत हो गया है और ऐसे कमलोग मिलेंगे जो निष्पक्ष होकर

कोई झगड़ा तय करेंगे। किन्तु जब गांवके लोग दलबन्दी छोड़कर पक्षपाती पंचको पंचायतसे निकालकर सच्चे और निष्पक्ष आदमीको पंच बनाने लगेंगे एवं ऐसे निष्पक्ष और न्याय-प्रिय मनुष्यको बरम्बार चुनने लगेंगे तब लोगोकी रुचि धीर धीरे बदल जायगी और सबलोग न्याय-प्रिय बने रहनेकी चेष्टा करने लगेंगे। सम्मानकी मर्यादा सबलोगोको मालूम हो जायगी। कुछ दिनोतक यदि पंचायतें न्याय न भी करें तो भी गांवके लोगोका लाभ ही होगा। क्योंकि न तो पंचायतोद्वारा सरकारी अदालतोंके समान कठोर दंड पानेकी ही सम्भावना रहती है और न रुपयेकी बर्बादी तथा शारीरिक परेशानी ही उतनी हो सकती है। मनुष्यका थोड़ासा सब्र किया नहीं होता और वह जोशमे आकर अदालतोकी शरण लेता है। किन्तु पीछे उसे बहुतसी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं।

यहांपर राज्यकी प्रणालीके विषयमें थोड़ासा लिख देना असंगत न होगा। वास्तवमे जन-समूहने अपनी सुविधाके लिए राज्य-व्यवस्था चलायी है और अपने कल्याणार्थ ही उसकी अधीनता स्वीकार की है। राज्य-व्यवस्थाका सूत्रपात जन-समुदायकी इसी अभिरुचिके कारण हुआ है, आज उसका चाहे जो रूप हो। किसी एकको अधीनता स्वीकार करना किसीको भी सह्य नहीं था, पर ऐसा किये बिना सुख-शान्ति असम्भव थी। इसीसे मनुष्य जातिने ऐसा किया और अन्यायी राजाको राजगद्दीसे उतार देनेका अधिकार अपने हाथमें रखा। उस समय लोग मामूली कर राजाको देते थे और राजा उस करसे मुल्कका इन्तिजाम करता था। प्रबन्धकार्यसे जो धन बच जाता था, उसे राजा अपने काममे खर्च नहीं कर सकता था। वह बचा हुआ धन

राज-कोषमें जमा रहता था और आवश्यकतानुसार प्रजाके हितके कामोंमें खर्च किया जाता था। किसी झगड़ेका फैसला करानेके लिए उस समय न तो किसी तरहकी हैरानी ही उठानी पड़ती थी और न पानीकी तरह रुपया ही बहाना पड़ता था। किन्तु समयके फेरसे आज राज्यकी वैसी व्यवस्था नहीं है। अतः गांवके लोगोंका यह कर्त्तव्य है कि वे पंचायतें बनाकर उसकी अधीनता स्वीकार करें और जो पंच अन्यायी तथा पक्षपाती हों, उन्हें हटाकर उनके स्थानपर किसी नेक आदमीको बहाल कर दिया करें। हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जब शासन-प्रणाली मनुष्यकी चलायी हुई है और आज अन्यायी राज होनेपर भी जन-समूह उसकी अधीनतामें रहनेके लिए विवश है, तब कोई कारण नहीं कि हम ग्राम-पंचायत स्थापित करके उसके द्वारा अपना झगड़ा तय करानेमें अनिष्ट सोचें। शुरू शुरूमें पंचायतें स्थापित होनेपर सम्भव है कि कुछ पंच ईश्वरका भय न करके अपना कर्त्तव्य पालन न करें, किन्तु कुछ दिनोंके बाद हमलोग अपनी जिम्मेदारी समझने लगेंगे। क्योंकि जब किसी मनुष्यपर कोई बोझा डाला जाता है तब वह उसका भार सहन करनेके लिए प्रयत्नशील होता ही है और उस प्रयत्न-से उसमें वैसी शक्ति भी आ जाती है। आज यदि कुछ पंच अपने कर्त्तव्यका पालन न करेंगे तो इसमे हानि ही क्या है? सरकारकी अदालतोंमें जाकर ही हम कौनसा न्याय पाते हैं? वहां तो न्याय और अन्याय दोनो ही महँगे दाममें खरीदने पड़ते हैं। किन्तु पंचायतें बनानेसे हमारी आर्थिक हानि, शारीरिक क्षति और अधिक दिनोंतक होनेवाली मानसिक चिन्ता तो दूर होगी ही, उसके साथ ही हमारी शासन-योग्यता भी बढ़ेगी—जिसकी इस समय बहुत बड़ी जरूरत है।

बाल-विवाह न करनेसे आर्थिक लाभ

बाल-विवाहसे हमारे देशकी बहुत बड़ी हानि हुई और होरही है। किन्तु हर्षकी बात है कि अब बहुतसे लोग इस बातको समझने लगे हैं। शरीर-नाश, बुद्धि-नाश और उद्योगहीन होनेका बहुत कुछ कारण यह बाल-विवाह ही है। बाल-विवाहकी प्रथाके ही कारण आज हमारे देशकी लाखों अल्पवयस्क विधवाओंकी दयनीय दशा हो रही है। यह ऐसा सांघातिक रोग है कि मनुष्यके जीवनको ही खा जाता है। उसकी उन्नतिके मार्ग ही बन्द हो जाते हैं। इससे मनुष्यको अन्यान्य हानियोंके साथ आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है। मान लीजिये कि एक आदमीको अपने लड़के या लड़कीका व्याह करना है। यदि वह व्याहके उपयुक्त अवस्था आनेसे दस वर्ष पहले अपने लड़केका व्याह कर दे और व्याहमें एक हजार रुपया खर्च करे तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसपर जितने खर्चका भार दस वर्षके बाद आता वह भार दस वर्ष पहले ही आ गया। यदि साधारण रीतिसे देखा जाय तो एक हजार रुपया कम सूदपर देनेसे भी दस वर्षमे दूनेके लगभग हो जाता है और किसी व्यापारमें लगा देनेपर तो गयी-बीती दशामे भी तिगुना हो सकता है। इससे साफ जाहिर होता है कि यदि लड़केका व्याह अनुकूल अवस्था होनेपर किया जाय तो बाल-विवाहमें खर्च होनेवाले रुपयेके मुनाफेसे व्याहका खर्च निकल आवेगा और मूल पूंजी बची रह जायगी। किन्तु इतना नुकसान तो उन लोगोंका होता है जो लोग अपने घरकी पूंजी लगाकर व्याह करते हैं। आज-कल ऐसे कितने आदमी हैं जो अपने लड़के या लड़कीका व्याह

घरके रुपयोंसे करते हैं ? अधिकांश लोगोंको कर्ज लेकर ही व्याह-का खर्च चलाना पड़ता है। उस कर्जका उन्हें इतना कड़ा सूद देना पड़ता है कि दस वर्षमें वह रुपया आठगुना नौगुना हो जाता है। परिणाम यह होता है कि महाजनका सूद भरते भरते कर्जदारकी जिन्दगी तो बर्बाद हो ही जाती है साथ ही बाप-दादों-की कमायी हुई जायदाद भी हाथसे निकल जाती है।

कहीं कहीं तो लड़कोंका व्याह इससे भी पहले कर दिया जाता है। बनारस डिविजनके भदोही परगनेमें पांच छः सालके बच्चे व्याहे हुए देखे गये हैं। यदि व्याहकी अनुकूल अवस्था अठारह वर्ष भी मान ली जाय तो ऐसे बच्चोंका व्याह बारह तेरह वर्ष पहले कर दिया जाता है। इससे माता पिता न केवल बच्चेके जीवनको ही बर्बाद करते हैं बल्कि अपनेको भी कर्जके भारी बोझके नीचे दबा देते हैं और अन्तमें उस कर्जका दुष्परिणाम उन बच्चोंको भुगतना पड़ता है जिनके सुखके लिए वे कुछ भी उठा नहीं रखते। यह परिस्थिति क्या साधारण दर्दनाक है ?

हर्षकी बात है कि बाल-विवाह रोकनेके लिए सरकारने एक कानून बना दिया है जो कि शारदा कानूनके नामसे प्रसिद्ध है। लोगोंको चाहिए कि बाल-विवाह बन्द करके अपनी रक्षा करें और कानूनी दंडसे अपनेको बचावें। इसके साथ ही विवाहमें होनेवाला खर्च बन्द करके सबलोगोंको अपनी रक्षा करनी चाहिए। एक व्याहमें कर्ज लेकर खर्च कर देना और उसके बाद जिन्दगीभर गाढ़ी कमायी का पैसा सूदमें देते रहना तथा जाय-दादसे हाथ धो बैठना बहुत बड़ी मूर्खता है। समय देखकर काम करना उचित है। देशकी दशा आज ऐसी नहीं है कि हजारों

रुपया व्याहमें फूँक दिया जाय। रुपयेवालोंको भी चाहिए कि वे इस तरहका व्यर्थ खर्च न करके उस रुपयेको देश-हितके कामोंमें लगावें। उनके ऐसा करनेसे साधारण श्रेणीके लोगोंपर गहरा प्रभाव पड़ेगा और वे व्याहमें अधिक खर्च करते समय अपने आप ही संकुचित होने लगेंगे। इस समय व्याहमें कमसे कम खर्च करना प्रत्येक मनुष्यका कर्त्तव्य है। कम खर्च करनेसे देशका उद्धार होगा। जब देश धन्य-धान्यसे पूर्ण हो जायगा, किसी बातकी कमी न रहेगी, तब जिसके जो जीमें आवे खर्च कर सकता है; किन्तु इस समय तो देशके सामने जीवन-मरणका प्रश्न उपस्थित है, रोटियोंकी समस्या है। ऐसी दशामें जेवर और कपड़ोंमें अधिक खर्च करना नासमझी है।

कन्याओंका व्याह भी लड़कोंकी ही तरह उपयुक्त अवस्था हो जानेपर करना चाहिए। आज भारतमें लाखों विधवाएँ ऐसी हैं जिनकी अवस्था तेरह वर्षके भीतर है। यदि बाल-विवाह बन्द हो जाय तो विधवाओंकी यह संख्या कम हो सकती है। इसके साथ ही लड़केके व्याहके खर्चकी बचतकी तरह इसमें भी बचत हो सकती है। किन्तु बाल-विवाह बन्द करनेके साथ ही दहेजकी नाशकारी प्रथा भी बन्द करनेकी आवश्यकता है। लोगोंको चाहिए कि अपना हित-अहित स्वयं सोचकर इसे बन्द कर दें और बर्बादीसे बचें ताकि इसके लिए भी कानून बनानेकी नौबत न आवे। दहेज प्रथाके कारण अच्छे अच्छे गृहस्थ मिट्टीमें मिल गये हैं और रात दिन मिलते जा रहे हैं। एक गृहस्थके घरमें यदि चार लड़कियां हो गयीं जो कि बिलकुल साधारण बात है तो बस उसकी जिन्दगी ही दहेजके लिए रुपया जुटानेमें चौपट हो जाती है, वह आदमी

दुनियामें और कोई काम नहीं कर सकता। इस भयंकर प्रथाका कुफल सबलोगोंको भोगना पड़ रहा है, फिर भी न-जानें क्यो लोग इसमें अपनी इज्जत माने बैठे हैं।

मनुष्यको हर तरहसे अपना सब काम सरल और सुगम बनाना चाहिये। इससे उसे आराम मिलता है और कोई भी काम सामने आनेपर उसे आर्थिक चिन्ता नहीं सताती। अपने ही हाथसे अपने पैरोंमें बेड़ियां डालकर कष्ट भोगना उचित नहीं है। हिन्दू-जाति अपने ही हाथसे अपनेको दहेजकी बेड़ीमें बुरी तरह जकड़ कर अनेक तरहका कष्ट भोग रही है। बड़े आश्चर्यकी बात है कि जिन कष्टोंको उसने स्वयं तैयार किया है और स्वयं उसे दूर करनेकी शक्ति रखता है, उसे दूर करनेकी ओर उसका बिलकुल ध्यान नहीं है। सबलोगोंका कर्त्तव्य है कि दहेजका लेना और देना बन्द कर दें। इस कुप्रथाको बन्द करके वैवाहिक खर्च कम करनेसे देशबासी बहुत जल्द आर्थिक संकटसे मुक्त हो सकते हैं और चिन्ताओंसे भी पनाह पा सकते हैं। उस दशामें लड़के या लड़कीका विवाह करनेके लिए लोगोंको हाय-हाय न करना पड़ेगा। महाजनोंके दरवाजेपर जाकर गिड़गिड़ाने, अपमानित होने और हाथ पसारनेकी भी जरूरत न पड़ेगी। एक मनुष्य अपने लड़के या लड़कियोंके विवाहमें जितना रुपया खर्च कर डालता है, उसे यदि वह बचा ले तो उसका बहुतसा कष्ट दूर हो सकता है। फिर न तो उसकी कमाई सूदमें जा सकती है, न उसकी सम्पत्ति महाजनोंके हाथमें जा सकती है और न उसे रातदिन चिन्तित रहकर अपनी प्रतिभासे हाथ धोना पड़ सकता है।

फिजूल खर्च और कुप्रबन्ध

रुपयोंकी बचत तभी होती है जब मनुष्य अपने हर तरहके खर्चपर ध्यान देता है। कौनसा खर्च उचित है और कौनसा अनुचित, किस काममें कितना खर्च करना ठीक है आदि बातोंको समझना चाहिए। भारतीय किसानोकी रहन-सहन अत्यन्त सादी और गरीब होनेपर भी उनके कुछ खर्च ऐसे हैं जो सर्वथा अनुचित हैं। कुछ खर्च ऐसे हैं जो अनुचित तो नहीं कहे जा सकते, पर उनके लिए हानिकारक अवश्य हैं। अनुचित खर्चमे नशीली चीजोका उल्लेख सबसे पहले किया जा सकता है। बहुतसे गृहस्थ ऐसे हैं जो धूम्रपान भी करते हैं, कच्ची सुर्ती भी खाते हैं, भंग भी छानते हैं और गांजेसे भी शौक रखते है। इन सब चीजोंका यदि मामूली खर्च भी जोड़ा जाय तो साढ़े तीन आनेसे कम नहीं होता। अर्थात् दो पैसा हुक्केमें, दो पैसा सुर्तीमे, एक आना भंगमे, एक पैसा मिर्चमे और पांच पैसा गांजेमे खर्च होता है। जो लोग इन सारी चीजोके शौकीन नहीं हैं, वे इनमेसे एक न एक चीजका सेवन तो जरूर ही करते हैं। कोई सिर्फ तम्बाकू पीता है, कोई सिर्फ तम्बाकू खाता है, कोई सिर्फ भंग और मिर्च रगड़ता है, कोई सिर्फ गांजा पीता है और कोई अफीमसे अपना शौक पूरा करता है। किन्तु ऐसे आदमी बहुत कम मिलेंगे जो इनमेंसे कोई भी चीज न खाते-पीते हों। यू० पी० आदि कई प्रान्तोंकी कांग्रेसी सरकारने मादक-द्रव्य-निषेधकी ओर ध्यान दिया है। कुछ जिलोमे उसने यह आज्ञा जारी भी कर दी है। अच्छा हो यदि देशके सबलोग सरकारी आज्ञाके पहले ही अपनी नशेकी आदत छोड़ दें और मादक द्रव्योंमें खर्च होनेवाली रकमकी बचत करने लग जायँ।

इस समय हमें अपने प्रत्येक काममें किफायत करनेकी जरूरत है। क्योंकि एक तो हमारी आमदनी कुछ नहीं है, दूसरे अधिकांश चीजें विदेशी हैं जो कि हमें खरीदनी पड़ती हैं। ऐसी दशामें यदि हम एक दियासलाई जलाकर काम चलावेंगे और चार बत्ती जलानेके लिए चार कंडी खराब न करेंगे, तभी हमारा निर्वाह हो सकेगा। जबतक हम यह सोचते रहेगे कि दियासलाई तो बहुत मामूली चीज है, इसमे खर्च ही कितना पड़ता है, तबतक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। कहीं जाने-आनेमें यथाशक्ति पैदल चलकर रेल तथा अन्य सवारीके पैसे बचाना, मेले तमाशेमें जाकर बच्चोंके लिए बाजा खिलौना आदि विदेशी सामान न खरीदकर पैसेकी बचत करना, शौककी एक भी चीज न खरीदना, कमसे-कम चीजोंसे काम चलाना गाढ़ी कमाईका पैसा बचानेका सरल उपाय है। देखनेमें ये चीजें साधारण जॅचती हैं, पर सब मिलाकर बहुत अधिक हो जाती हैं। देहातके बहुतसे लोग नौकरी-चाकरी या मामूली व्यापारके सिलसिलेमें शहरोंमें रहते हैं। उन्हें दस रुपयेकी आमदनी होती है, इसलिए वे अपने घरोंके लिए यथाशक्ति तड़क-भड़ककी चीजें खरीदा करते हैं। देखा गया है कि कलकत्ते बम्बईमें पन्द्रह-बीस रुपये माहवारी तनख्वाह पानेवाले लोग घर आते समय बहुत महीन कपड़ेकी धोती और कीमती जूता खरीदते हैं; किन्तु वे कपड़े बहुत जल्द फट जाते हैं और फिर या तो उन्हें फटा-चिथड़ा पहनना पड़ता है। और या नंगे पैर रहकर निर्वाह करना पड़ता है। यदि ऐसे लोग घर-द्वार छोड़कर अपनी गाढ़ी कमाईका रुपया इस प्रकार नष्ट न करें तो उनका भी भला हो और साथ ही उनका देखकर गाँव वालोंमें भी

यह नासमझी न बढ़े। सालभरमें मुश्किलसे रो-धोकर दो सौ रुपया तो बचाया और घर चलते समय उसमेंसे सौ रुपया फेंसो कपड़े-लत्ते खरीदनेमें खर्च कर दिया जिसे कि पचीस तीस रुपयेमे ही खरीदा जा सकता था—यह कौनसी बुद्धिमानी है? एक तो ऐसे कपड़ोमे रुपये अधिक लग जाते हैं, दूसरे ये बहुत जल्द फट जाते हैं और तीसरे इन्हे देख देखकर गांवके और लोग भी इस ओर लालायित होते हैं।

बेईमानी, धोखेबाजी और झूठसे भी अपनी बचत करके रुपया बचाना चाहिए। इन बुरी आदतोंके ही कारण आपसमें वैमनस्य फैलता है और नाना प्रकारसे रुपयेकी बर्बादी ही होती है। हमे सद्गुणोंको अपनाना चाहिये और दुर्गुणोंको अपनेसे दूर भगाना चाहिए। ऐसा करनेसे रुपयेकी बचत होती है।

घरका प्रबन्ध ठीक न रखनेके कारण भी बड़ा नुकसान होता है। गृहस्थीमें काम आनेवाली चीजें जैसे नमक, हल्दी, मसाला आदि अपने खर्चके मुताबिक सुभीतेके साथ इकट्ठी खरीदकर रख देना उचित है। देहातोमें अधिकतर लोग अनाज भेजकर गाँवकी छोटी दूकानोसे ये चीजें रोजाना मँगाया करते हैं। इसमें उनका एककी जगह तीन खर्च पड़ जाता है। किसी चीजके लिए बनियेकी दूकानपर चार पैसेका अनाज भेजा जाता है, किन्तु वह बनिया मुश्किलसे एक पैसेका माल देता है। जब हम जानते हैं कि गृहस्थीमे नमक हल्दीके बिना काम नही चल सकता, तब हम इन चीजोंको इकट्ठी मँगाकर क्यो न रख लें? एक तो रोज-रोज बनियेकी दूकानपर दौड़नेकी मिहनत बचेगी, दूसरे जो अनाज बनियेकी दूकानपर जाता है उसके चौथाई तिहाई अनाजमें ही काम चल जायगा। खेतीका काम करके थके हुए घर आये,

चारपाईपर पीठ भी नहीं लगी कि बच्चेने आकर कहा, 'बाबू; नमक नहीं है।' उस थकावटके समय बच्चेकी यह बात कैसी मालूम होती है? उस समय बहुत कम लोग हैं जो सब्र करके नमक ला देते हैं, नहीं तो अधिकांश लोग बच्चेपर बेतरह झल्ला पड़ते हैं। सोचनेकी बात है कि क्या यह आदत अच्छी है? इसमें दोष किसका है? झल्लानेकी जरूरत? ये चीजें एक साथ क्यों न ला दी जायँ कि अनाजकी भी बचत हो और व्यर्थ ही क्रुद्ध भी न होना पड़े। यह सब गृहस्थीका कुप्रबन्ध है। इससे खर्च भी अधिक पड़ता है, दरिद्रकी दशा भी बनी रहती है क्योंकि घरमें कोई चीज नही रहती, और बारबार चीजें लानेके लिए दौड़ना भी पड़ता है।

इसलिए गृहस्थीका सुन्दर प्रबन्ध करना भी बहुत जरूरी है। अच्छा प्रबन्ध न होनेके कारण गृहस्थको बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। अच्छा प्रबन्ध न होनेके कारण ही एक पैसेके स्थानपर चार पैसा खर्च पड़ता है। कपड़ेका ही उदाहरण लीजिये, जाड़ेके दिनोंमें चार पांच रुपया लगाकर मामूली रजाई बनवा ली जाती है, किन्तु जाड़ा बीत जानेपर वह ठिकानेसे रक्खी नहीं जाती। परिणाम यह होता है कि दूसरे वर्ष वह मुश्किलसे काम आती है। किन्तु जो लोग जाड़ा बीत जानेपर उसे हिफाजतके साथ रख देते हैं, वे उसे आठ-दस वर्षतक काममें लाते हैं। देहातोंमें बहुतसे लोग तो ऐसे हैं जो गर्मी और वर्सातके दिनोंमें भी रजाई-का पिंड नहीं छोड़ते। यद्यपि वे पैसेकी तंगीके कारण गर्मी-वर्सात-के लिए हल्का चदरा न खरीद सकनेके ही कारण ऐसा करते हैं। फिर भी यह उनका कुप्रबन्ध ही कहा जायगा। आखिर दूसरी

रजाई बनवानेके लिए उनके पास पैसे कहांसे टपक पड़ते हैं ?

इस प्रकार और भी जिन बातोंमे नुकसान हो, चाहे वह ठीक प्रबन्ध न होनेके कारण हो अथवा अन्य किसी कारणसे हो—उनपर हमेशा ध्यान रखना चाहिए और बचतका उपाय करना चाहिए। गृहस्थीमे बहुतसे खर्च ऐसे है जो दूसरोंके देखकर किये जाते हैं और उस खर्चमे इज्जत समझी जाती है। किन्तु वास्तवमें यदि वह खर्च बन्द कर दिया जाय तो लाभ हो सकता है। सिर्फ व्याहमें ही व्वर्थका खर्च देखिये, बाजेमे, पालकी कहार तथा अन्य सवारियोमें, तम्बू आदिमें व्यर्थ ही अधिक रुपया खर्च किया जाता है। अधिक बारातसे व्यर्थ ही बर-कन्या पक्षको हैरान होना पड़ता है और सैकड़ो बारातियोके काम-धन्धेका नुकसान किया जाता है। ये सब हानियां आसानीसे दूरकी जा सकती हैं और सुखको निकट लाया जा सकता है।

**ईतियोसे बचत**

इस प्रसङ्गमें फसलोकी बाधाओके निवारणका उपाय बतलाना अनुचित न होगा। क्योकि यह भी बचतमें ही शामिल है। फसलोमे बहुत तरहसे काफी नुकसान हो जाता है, किन्तु कुछ तो आलस्यके कारण और कुछ अनभिज्ञताके कारण बचतका उपाय नहीं किया जाता। वे ईतियां पशु, पक्षी, कीड़े पतिंगे, गिरुई आदि होती हैं। इनमें गाय बैल, भैंस, घोड़े, बकरियां, बन्दर, सूअर, नीलगाय, हरिन, सियार, खरहा आदि जानवरोसे फसलकी रक्षा रखवाली करके की जाती हैं। ढेलबास, गुलेली, पटाखे आदि ही रखवालोके अस्त्र होते हैं। कुछ फसलोकी रखवालीके लिए खेतोमें मचान बाँधा जाता है और रखवाली करनेवाला आदमी

उसपर बैठकर ढेलवास गुलेली, फटा बांस तथा टीनका कनस्तर लिए रखवाली करता है। ढेलवाससे ढेला चलाता है, गुलेलीसे लकड़ीके तीर या छोटी कंकड़ियां चलाता है तथा फटे बांस और टीनके कनस्तरसे आवाज करता है। इससे पक्षी, पशु आदि डर-कर भाग जाते हैं। कौवोंको डरानेके लिए एक मरा हुआ कौवा बांसपर लटका दिया जाता है।

किन्तु चूहे, साही तथा गिलहरियोंसे फसलको बचानेके लिए ऊपरका साधन व्यर्थ हो जाता है। चूहोंको भगानेके लिए खेतोंमें तथा उनकी बिलोंमें पानी भर दिया जाता है। मूँगफलीके बीजको मट्ठेमें सात दिनतक भिगों रखनेके बाद सुखाकर खेतोंमें छींट दिया जाता है। उसके खानेसे चूहे मर जाते हैं। साहीकी बिलोंमें पानी भर दिया जाता है, इससे वह बिलसे निकलकर भाग जाती है। गिलहरियोंके लिए रखवाली करनेके सिवा दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि वे खेतोंमें नुकसान करके पेड़ोंपर भाग जाती हैं।

कीड़े भी फसलोंको गहरा नुकसान पहुँचाते हैं। एक कीड़ा ऐसा होता है जो मटर, अरहर और चनेकी ठोंठियोंमें घुसकर दाना खा जाता है। भिन्न भिन्न जगहोंमें इसके भिन्न भिन्न नाम हैं। बागोंमे गुलाब आदि वृक्ष तथा खेतोंमें सरसों आदिको माहोंसे बड़ी हानि पहुँचती है। ये कीड़े छोटे छोटे और हरे रंगके होते हैं। आलूमें छेदकर देनेवाला भुड़िला आलूके पौधोंमें छेद कर देता है और आलूको खा जाता है। रुईके कीड़े उसके पेड़, रुई, बीज, फल, फूलको नुकसान पहुँचाते हैं। इन सब कीड़ोंके अंडोंको नष्ट कर देना चाहिए। गर्मीके दिनोंमें फसल कट जानेके बाद गहरी जोताई करनेसे ये नष्ट हो जाते हैं। जोतनेके बाद यदि किसी पौधेकी

खूंटियां बाकी रहें तो उन्हें निकाल देना चाहिए क्योंकि उनपर कीड़े पलते हैं। यदि कहीं कोई लकड़ी या खर-पतवार हो, जिसपर कीड़ेके अंडोंके रहनेका भय हो तो उसे जला देना चाहिए। पौधेके जिस अंशपर कीड़े हानि पहुँचा रहे हों, उस अंशको निकाल देना चाहिए। इससे वे पौधेके अधिक भागपर अधिकार नहीं जमा पाते। इस निकाले हुए अंशको फौरन जला देना उचित है। पौधोंपर दवा छिड़क देनेसे भी ये कीड़े मर जाते हैं। ये दवाएं अंग्रेजी दवाखानों तथा कृषि-सम्बन्धी चीजें बेचनेवालोंके यहां मिल सकती हैं। इसके सिवा फसलको अदल-बदलकर बोनेसे भी कीड़ोंसे पीछा छूट जाता है।

कुछ कीड़े, पतिंगे और गुबरीले रोशनीके पास आते हैं। रातके समय यदि खेतमें किसी मिट्टीके बर्त्तनमें पानी भरकर उसमें मिट्टीका तेल डाल दिया जाय और उसके बीचमें पत्थर या ईंट रखकर उसके ऊपर तेज दीपक जला दिया जाय तो बहुतसे कीड़े उसके पास आकर जमा हो जायँगे। आग जला देनेसे कीड़े उस रोशनीमें आकर गिरते और नष्ट हो जाते हैं।

दीमक और टिड्डीसे भी जायदादको बहुत नुकसान पहुँचता है। जहां इनका अड्डा हो, उसे खोदकर जला देना चाहिए। ताजा गोबर एक स्थानपर रख देनेसे उसपर दीमकें एकत्रित हो जाती हैं। जब वे एकत्र हो जायँ तो उन्हें तुरन्त जला देना चाहिए। दीमकको जल्दसे जल्द नष्ट कर डालना चाहिए। इन्हें अधिक बढ़ने देना ठीक नहीं है। इसमें इस बातका पता लगाना चाहिए कि दीमकोंकी रानी कहां है। उसके नाश कर देनेसे कुल दीमकें नष्ट हो जाती हैं। खेतको सींच देनेसे भी इनका नाश हो जाता

है। दीमक लगनेवाले खेतमें नीम या रेंडीकी खली देनी चाहिए। जब खेत काटे जायँ, उनकी जोताई तुरन्त करा देने और खूंटियां निकाल देनेसे भी दीमकोंका नाश हो जाता है।

टिड्डी—बलुए मैदानमें बढ़ती हैं। राजपूताना और सिन्धकी ओरसे इनका झुंडका झुंड उड़ता है। इनका दल बड़ा भयंकर होता है। ये पेड़ोंकी पत्तियांतक खा जाती हैं। इनका आक्रमण होनेपर टिनका कनस्तर बजाकर हल्ला करना चाहिए। अथवा आग लगानेसे भी इनका कुछ निवारण हो जाता है। टिड्डियोंके निवारणका सबसे अच्छा उपाय तो यह है कि इनके आते ही खूब जोरोंसे हल्ला करके खेतमें बैठने ही न दिया जाय।

घुन—हरसाल देशका बहुतसा अन्न घुन खराब कर देते हैं। जो अनाज किंचित् सरस काटकर खलिहानमें आता है, उसमें घुन लगनेकी अधिक सम्भावना रहती है। घुनसे बचानेके साधारण उपाय ये हैं:—

१—फसलको खेतमें खूब पक जाने देना चाहिए। जब किसी दानेमें जरा भी सरसता न रह जाय तब उसे काटना चाहिए।

२—गाड़मे अनाज रखनेसे घुन पैदा नहीं होते हैं। जमीनमें ऐसा गढ़ा खोदा जाता है, जिसका मुँह सवा हाथ डेढ़ हाथसे अधिक चौड़ा नहीं होता, पर भीतर उसकी चौड़ाई सात आठ हाथतक रहती है। इसीको गाड़ कहते हैं। इसे ऊपर और नीचेके पानीसे खूब बचाना चाहिए। बसोतमें कभी कभी पानी जानेके कारण गाड़का अनाज खराब हो जाता है। किन्तु घुननेका बिलकुल डर नहीं रहता। एक गाड़में चार-पांच सौ मनतक अनाज रखा जाता है।

३—खातेमें, गाड़में अथवा बोरेमें रखते समय अनाजको धूपमें डालकर खूब सुखा लेना चाहिए।

४—यदि घुन लग जायँ तो अनाजको धूपमें सुखाना चाहिए। और उसके बाद उसे अच्छी तरह फटककर रखना चाहिए। इससे घुन निकल जाते हैं।

५—अनाज रखनेके स्थानको नमीसे खूब बचाना चाहिए और बर्सातमें उसे खोलना नहीं चाहिए।

६—अनाजके साथ नेपथेलीन रखनेसे अथवा अनाजपर कार्बन बाई सलफाइड डालनेसे भी घुन नहीं लगते। दोनों दवाएँ अंग्रेजी दवाखानोंमें मिलती हैं। कार्बन बाई सलफाइडको आगसे खूब बचाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत जल्द भभकनेवाली चीज है।

अस्तु। ऊपरकी बाधाओंसे रक्षा करनेमें आलस्य न करके लोगोंको अपने फसल या अनाजकी बचत करनी चाहिए। क्योंकि इन कारणोंसे भी देशका हरसाल भारी नुकसान हो जाया करता है।

**गांववालोंके सहयोगसे दूकान**

हर गांवके लोगोंको मिलकर एक बड़ी दूकान खोलनी चाहिए। उस दूकानमें गांवके छोटे बड़े सब लोगोंका रुपया लगना चाहिए और जरूरतकी सारी चीजें बिक्रीके लिए मौजूद रहनी चाहिएँ। ऐसी दशामें उस दूकानका लाभ समूचे गांवका लाभ होगा। क्योंकि सबलोग उसे अपनी दूकान समझेंगे और जिन चीजोंकी आवश्यकता होगी उसी दूकानसे खरीदेंगे। उस दूकानका भी यह नियम होना चाहिए कि वह सब

चीजें मामूली नफेपर सस्ती दे और हर जगहका भाव जाँचकर परतेके साथ बाहरकी चीजें मँगावे। गांवमें बिकनेवाली सारी चीजें भी उसी दूकानको खरीदनी चाहिए। उस दूकानमें गांवके सब लोगोंका खाता रहना चाहिए और जिसका जितनेका माल खातेमें जमा हो, उतनेतकका सामान या नकद रुपया आवश्यकतानुसार उसे देनेका प्रबन्ध होना चाहिए। हर बातका ऐसा प्रबन्ध रखना जरूरी है जिससे किसीको शिकायतका मौका न मिले और सबलोगोंको समान रूपसे सुविधा मिले। गांवकी दूकानमें नीचे लिखे सामानका रहना जरूरी है :—

१—केराना सामान। जैसे नमक, हल्दी, गरम मसाला, हींग, जीरा, लौंग, मिर्च मिट्टीका तेल, तिल्ली और सरसोंका तेल, घी, सूखा सिंघाड़ा गुण आदि।

२—कपड़ा। जैसे मारकीन, किनारेदार जनानी मर्दानी धोतियां, गमछे, खद्दर आदि।

३—बर्त्तन। जैसे थाली, लोटा, ग्लास, कटोरे, कटोरियां, बटली, कलछी आदि।

४—गल्ला। जब जिस चीजकी बिक्रीकी सम्भावना हो। जैसे जौ, गेहूं, चना, बाजरा, दाल, अरहर, मटर आदि।

रोजाना बिक्रीकी चीजें दूकानमें हर वक्त रहें किन्तु ऐसी कोई चीज़ दूकानमें रखनेकी जरूरत नहीं है जिसकी बिक्री कभी कभी हो या बहुत कम हो। ऐसी चीजोंकी जरूरत पड़नेपर गांववालोंको चाहिए कि वे उन्हें दूकानमें लिखा दें और साथ ही दूकानदारसे यह भी बतला दें कि अमुक चीज अमुक समयपर आ जानी चाहिए। दूकानदारको भी चाहिए कि ठीक समयसे

पहले आर्डरकी चीजें दूकानमें मँगा ले। यदि किसीके यहां व्याह आदि पड़ जाय तो उसे अपने लिए आवश्यक चीजोंकी फिहरिस्त बनाकर दूकानदारको दे देनी चाहिए। ऐसा करनेसे दूकानमें अधिक लागत लगानेकी जरूरत नही पड़ सकती, जो लाभ देहातके छोटे छोटे बनियोंके घर जाता है, वह लाभ गांवके लोगोको मिलेगा, छोटे छोटे बनियोंके यहांकी चीजोंकी अपेक्षा सब चीजें सस्ती मिलेंगी, किसी छोटीसी चीजके लिए किसीको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, गांवके लोगोंकी व्यावसायिक प्रवृत्ति हो जायगी और होगी उस दूकानके द्वारा गांवके उद्योग-धन्धेकी वृद्धि।

दूकानका प्रबन्ध चाहे ग्राम-सुधार पंचायत करे अथवा गांवके लोगोकी कुछ आदमियोंकी बनायी हुई कोई दूसरी कमेटी करे। कमेटीमें या पंचायतमें ऐसे आदमियोका रहना जरूरी है जो व्यापार-में दखल रखते हों और दूकानका बढ़िया प्रबन्ध कर सकें। उस कमेटी या पंचायतके अधीन कुछ ऐसे आदमी रहें जो वेतनपर दूकानकाकाम करें और अपना सब समय दूकानके काममें लगावें। अच्छा हो, यदि वे आदमी भी गांवके ही हों। उन आदमियोंका भी पढ़ा लिखा और समझदार होना जरूरी है। उन्हीं आदमियोंके जिम्मे बही-खातेका भी काम रहना चाहिए।

इस प्रकारकी सामूहिक शक्ति पाकर गांवकी दूकान अच्छी उन्नति कर सकती और गांववालोंका काफी उपकार कर सकती है। वह दूकान गांववालोको सवाईपर गल्ले दे सकती है। इससे लोगोका काम भी चल सकता है और मुनाफा भी किसी दूसरेके हाथमें नहीं जा सकता। यदि दूकानका काम बढ़ जाय या उसमें काफी रुपया हो जाय तो उसमें उद्योग-धन्धेका भी

नया काम खोला जा सकता है जिसमें फुर्सतके समय गांवके लोग काम करके कुछ आय बढ़ा सकते हैं। आज गांवका जो लाभ छोटे छोटे बनिये उठा रहे हैं, वह सबका सब गांववालों-को मिल सकता है। इस काममें न तो विशेष झंझट है और न किसीके लिए खलनेवाली पूंजी ही लगानेकी जरूरत है। यदि सबलोग थोड़ा थोड़ा रुपया एक बार दे दें या हल बैलके मुताबिक चन्देके रूपमें एक साल या दो तीन सालमें थोड़ा थोड़ा करके रुपया दे दें तो ऐसी दूकान गांवके सब लोगोंके लिए कल्पवृक्षका काम दे सकती है।

**बचतके लिये सहयोगकी आवश्यकता**

आपसमें मिलकर रहने और काम करनेसे कई कामोंमें बहुत बड़ी बचत हो सकती है। जो मुनाफेका काम एक आदमीका किया नहीं हो सकता, उसे दस आदमी मिलकर आसानी-से कर सकते और लाभ उठा सकते हैं। एक सिंचाईके ही काम-को ले लीजिये, पुरवटसे खेत सींचनेमें जितना खर्च लगता है उससे बहुत कम खर्च बोरिंग या रहटसे सिंचाई करनेमे पड़ता है। किन्तु बोरिंग या रहट लगानेकी शक्ति सबकी नहीं है, इसलिए गांवके लोग इस लाभसे वंचित हैं। यदि सब लोग मिलकर इसका प्रबन्ध करें और सहयोगसे काम लें तो गांवभरके लोग यह लाभ आसानीसे उठा सकते हैं।

खेतीके ऐसे बहुतसे सामान हैं जिनसे बड़ा काम निकल सकता है और जिनकी हर किसानको रोजाना जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी चीजें यदि गांवके सहयोगसे मँगा ली जायँ और बारी बारीसे उनसे सब लोग काम लिया करें तो बड़ा अच्छा हो।

यहांपर उदाहरणके लिए एक चीजका उल्लेख किया जाता है। वह है जोते हुए खेतोंसे घास निकालनेकी मशीन। प्रत्येक किसान-को इस बातका अनुभव है कि जिस खेतमें अधिक घास रहती है उसमें पैदावार अच्छी नहीं होती। घासमें भी दूब बड़ी हानिकारक चोज है और जल्द इसका नाश होता ही नहीं। यह सूख जानेपर भी मिट्टीसे जरासा संसर्ग होते ही पनप आती है। इसीसे किसान लोग इसे जोते हुए खेतसे बीन बीनकर बाहर फेंकते हैं। इसीको चेखुर बीनना कहा जाता है। किसी किसी साल खेतोंमें इतनी अधिक घास हो जाती है कि चेखुर बीननेमें एक बीघेमें तीस चालीस मजदूर लग जाते हैं, फिर भी खेत साफ नहीं होता। किन्तु यदि घास निकालनेकी मशीन हो तो बहुत कम समय, खर्च और मिहनतमें खेत साफ किया जा सकता है। ऐसी चीजोंकी कीमत भी अधिक नहीं है, पर जिस देशके निर्धन किसानोंके सामने रोटीका विकट सवाल है वहांका एक किसान इन्हें कैसे खरीद सकता है? किन्तु यदि लोग आपसके सहयोगसे काम करें तो ऐसी लाभदायक मशीनें आसानीसे मँगायी जा सकती हैं और सबलोग उनसे लाभ उठा सकते हैं।

अच्छा तो यह हो कि खेतीके लिए उपयोगी मशीनें गांवके लोहारोंसे तैयार करायी जायँ और देशके उद्योग धन्धेको प्रोत्साहन देते हुए विदेशी सामानके लिए बाहर जानेवाली रकमकी बचत की जाय। ये चीजें ऐसी नहीं हैं जो आसानीसे न बन सकें और अधिक दिमाग तथा परिश्रमकी जरूरत हो। देशको पूरा पूरा लाभ तभी होगा भी। अन्यथा किसानोंका रुपया मशीनें खरीदनेमें विदेश जाने लगेगा। देशकी इस नाजुक दशामें यह खर्च भी भारी

मालूम होगा। इसलिए ऐसी चीजोंको अपने यहां तैयार करनेमें ही भलाई है। क्योंकि पूरी बचत उसी अवस्थामें हो सकेगी; अन्यथा बचत तो होगी पर कुछ घाटा सहकर।

खेतीके कई काम ऐसे हैं जो दो ही सूरतमें हो सकते हैं। या तो उन्हें मजदूर लगाकर काम किया जा सकता है और या आपसके सहयोगसे। मजदूर लगाकर करानेमें खर्च अधिक पड़ता है, काम देरमें होता है और उत्तमतासे नहीं होता; किन्तु आपस के सहयोगसे वही काम करनेमें ये शिकायतें नहीं रहती। उदाहरणके लिए छोपाईका काम ले लीजिये। उलीचकर या छोपकर एक बीघा धान भरनेमें १४-१५ मजदूरसे कम नहीं लगते। यदि दस बीघो धान सींचना हुआ तो मजदूरोंके द्वारा सिंचाई करानेमे इतना समय लग जायगा कि धानकी फसलमें कुछ नुकसान अवश्य हो जायगा। किन्तु यदि दस आदमी आपसमें मिलकर एक दूसरेका काम करते रहें तो एक बीघा धान सीचनेमे ९ आदमीसे अधिक नहीं लग सकते। इससे न तो अधिक समय लगनेके कारण, या मजदूरोंका प्रबन्ध करनेमें देर होनेके कारण फसलमें ही नुकसान होगा, न उतनी मजदूरी ही लगेगी। मजदूरोंकी सिंचाईमें कभी तो खेतका पानी बाहर निकल जाता है और कभी किसी जगह पानी पहुँचता ही नहीं। किन्तु अपने हाथसे काम करनेमे यह शिकायत भी दूर हो जाती है। आपसमें मिलकर काम करनेसे एक लाभ यह भी होता है कि यदि कुछ मजदूर कामपर रखे भी जाते हैं तो साथमें पड़कर वे भी अच्छा और अधिक काम करते हैं। यही हाल ईखकी ,गोड़ाईका है। ईखके जो टुकड़े कुदालीसे ऊपर आ जाते हैं, उन्हें मजदूर उसी तरह

छोड़ देते हैं। फल यह होता है कि वे टुकड़े सूख जाते हैं और किसानको बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। किन्तु अपने हाथसे या आपसमें मिलकर यही काम करनेसे यह नुकसान नहीं होता। इस तरहके और भी बहुतसे काम हैं जिन्हे आपसके सहयोगसे करनेमें बड़ा लाभ हो सकता है।

बिना मौसमकी खेतीसे बचत

हम पहले ही कह आये हैं कि फसलोंके नष्ट हो जानेसे भी किसानोका बड़ा नुकसान हो रहा है। उस नुकसानसे बचनेके लिए जो उपाय पीछे बतलाये गये हैं, उनके सिवा एक उपाय यह भी है कि जिस महीनेमे जो चीज पैदा होती है उसके पहले या पीछे वही चीज पैदा करनेकी चेष्टा की जाय। ऐसी चीजें पैदा करनेके लिए विशेष उद्योग करनेकी भी जरूरत नहीं है। ऐसी कई चीजोंके बीज अब मिलने लगे हैं जिन्हे बोनेपर निश्चित महीने या नक्षत्रसे पहले फसल तैयार हो जाती है। उदाहरण देनेसे यह बात अच्छी तरह समझमें आ जायगी। देखिये, उर्दकी फसल कातिक या अगहनके महीनेमें पककर तैयार होती है। चित्रा नक्षत्रमे बूंदें पड़ते ही इसकी फसल नष्ट हो जाती है—बीज भी नही आता। इससे कभी कभी लगातार कई सालतक किसानोका बड़ा नुकसान हो जाया करता है। कभी कभी उर्दकी पैदावार इतना कम होती है कि किसानोका निजी खर्च भी उर्दसे नहीं चलता। किन्तु इधर कुछ दिनोंसे एक ऐसे किस्मकी उर्द ईजाद हुई है जो चित्रा नक्षत्रके पहले ही भादोके महीनेमे पक जाती है। उस उर्दकी हरी फसलपर पानी पड़नेसे बिलकुल ही नुकसान नही होता। इसलिए यदि वही उर्दका बीज

मँगाकर बोया जाय तो इस हानिसे किसानोंकी बचत हो सकती है। इसी प्रकार एक किस्मकी अरहर भी है। यों तो अरहरकी फसल चैतमें पका करती है, पर वह अरहर अगहनके महीनेमें ही पक जाती है। किन्तु ऐसी फसलें हर जगह लाभदायक सिद्ध नहीं हुआ करतीं। अतः किसानोंको अपने खेतोंमें ऐसी चीजें बोकर देख लेना चाहिए कि लाभ होता है या नहीं। यदि लाभ सिद्ध हो तो ऐसी चीज़ोंसे अवश्य लाभ उठाना चाहिए।

# उपसंहार

किसानोंके लिए उपयोगी बातोंका उल्लेख संक्षेपमें किया जा
चुका। इस प्रकरणमें कई स्फुट विषयोंपर कुछ
लिखना आवश्यक है।

## कांग्रेस

हमारे देशकी प्रधान संस्था कांग्रेस है। इस कांग्रेसकी स्थापना मिस्टर ह्यूम नामक एक अंग्रेजने की थी। जब भारतमें जागृतिके कुछ लक्षण दिखांयी पड़ने लगे तब दूरदर्शी अंग्रेज सरकारने उस जागृतिको दबानेके लिए कांग्रेसकी स्थापना की थी। उसका उद्देश्य यह था कि भारतवासी अपनी आवश्य-

कताओंको कांग्रेसमें पास कराकर सरकारके पास भेजा करें और यदि सरकार उन्हें उचित समझेगी तो देशभरकी मांग समझकर पूर्ण करनेकी कृपा किया करेगी। इस प्रकार कांग्रेस अपने जन्म-कालसे लेकर कई वर्षोंतक केवल सरकारी संस्था बनी रही। उसके वार्षिक अधिवेशनोंमें अधिकतर सरकारी उच्च पदाधिकारी ही शामिल होते थे, और कांग्रेसमें सरकारको धन्यवाद देने, बधाई देनेके ही प्रस्ताव पास हुआ करते थे। लोकमान्य तिलकसे यह न देखा गया। उन्होंने कांग्रेसके खुले अधिवेशनमें इस नीतिका घोर विरोध करना शुरू किया और प्रजाकी भलाई करनेवाले प्रस्तावोंका रखना प्रारम्भ किया। परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे सरकारी पदाधिकारी कांग्रेससे अपना हाथ खींचने लगे और कांग्रेसका रूप ही बदल गया।

इतने दिनोंके अल्प जीवनमें कांग्रेसने घोर निद्रामें सोए हुए भारतको अच्छी तरह जगा दिया है और देशके बच्चे बच्चेको कर्त्तव्यका पाठ पढ़ा दिया है। अपनेको पूर्ण रीतिसे शक्तिसम्पन्न बना चुकनेके बाद कांग्रेसने देशके भूखे किसानोंकी दयनीय दशाकी ओर नजर डाली और यह निश्चय किया कि देशके शासनकी बागडोर किसानोंके ही हाथमें रहनी चाहिए। नये शासन-सुधारके बाद जबसे कांग्रेसने अपना मंत्रि-मंडल बनाया है, तबसे समूचा देश देख रहा है कि उसका सबसे अधिक ध्यान किसानोंका दुःख दूर करनेकी ही ओर है। इतने थोड़े दिनोंके भीतर कांग्रेसी मंत्रि-मंडलने देशके किसानोंके लिए जो कुछ काम किया है, वह किसीसे छिपा नहीं है। फिर भी सर्व-साधारणकी जानकारीके लिए यहां संयुक्तप्रान्तके मंत्रिमंडलके कार्योंका उल्लेख

कर दिया जाता है। इससे लोगोंको यह ज्ञात हो जायगा कि अबतक वह कितना अधिक काम कर चुका है और कर रहा है।

संयुक्त प्रान्तके कांग्रेसी मंत्रि-मंडलने पद-ग्रहण करते ही किसानोंका दुःख दूर करनेके लिए दो सालका पूरा और एक साल का आधा लगान मुलतवी कर दिया, जिसे कुछ ही दिनोंके बाद माफ भी कर दिया। यद्यपि इस कामसे किसानोंका विशेष उपकार नहीं हुआ, तथापि मंत्रि-मंडलने अपने अधिकार और सुविधाके अनुसार इतना काम करके बहुतसे किसानोंको संकटसे उबार लिया।

दूसरा काम जारी हुआ ग्राम-सुधारका। यद्यपि प्रान्तीय सरकार ग्राम-सुधारके लिए जो रुपये खर्च कर रही है उससे हमारे प्रान्तकी आबादीकी कोई खास मदद नही हो सकती। क्योंकि उस थोड़ी रकमसे सबको मदद नहीं पहुँचायी जा सकती। किन्तु इस ग्राम-सुधारकी योजनाका ध्येय दान नहीं है, यह हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। इसका मुख्य ध्येय तो यह है कि सबलोग अपने पैरोंपर खड़े होना सीखें और हम स्वावलम्बी बनें जिससे हम अपना कष्ट स्वयं दूर कर सकें। इसमें सन्देह नही कि ग्राम-सुधारमें अभी कुछ भी काम नहीं हो रहा है। पर इसमें घबराने या अधीर होनेकी कोई बात नही है, क्योंकि इतने बड़े कामोंमें काफी समय लगता है और प्रत्येक बड़े कामके प्रारम्भमें दिक्कतें पड़ती हैं।

कांग्रेसी मंत्रि-मंडलका तीसरा काम शिक्षा सुधार है। शिक्षाका नया क्रम आगामी जुलाई ( सन् १९३९ ) से चालू हो जायगा। प्रौढ़-शिक्षाका काम भी बड़े जोरोंसे हो रहा है। सरकार गुलामी

की शिक्षा दूर करके उद्योगी और स्वावलम्बी बननेकी शिक्षा देना चाहती है। देशके सबलोग पढ़-लिखकर अपने लिए स्वतंत्र उद्योग-धन्धा ढूँढ़ निकालें और उसे सफलताके साथ करने लग जायँ, यही नयी शिक्षा-प्रणालीका मुख्य उद्देश्य होगा।

चौथा काम मद्य-निषेधका शुरू किया गया है। इसे सरकार धीरे धीरे पूर्ण सफलताके साथ रोक रही है। किन्तु वह बहुत जल्द प्रान्त भरमें रुकावट कर देगी। इस काममें सरकारको घोर आर्थिक संकटका सामना करना पड़ा था। क्योंकि नशीली चीजोंके ठीकेकी आमदनीसे ही प्रान्तकी शिक्षाका खर्च चलाया जाता था। हर्ष की बात है कांग्रेस सरकारने उस कमीकी पूर्ति करनेके लिए रास्ता निकाल लिया है और मद्य-निषेधकी ओर कड़ी दृष्टि डाली है।

किसानोंकी स्थिति सुधारनेके लिए सरकार लगान बिल, कर्जा बिल, चकबन्दी आदि तैयार करनेमे लगी हुई है। इन कानूनोंको बन जानेपर हमारे प्रान्तके किसानोका कुछ सुधार अवश्य हो जायगा। यद्यपि सरकार जितना सुधार करना चाहती है, कई कारणोंसे वह उतना सुधार करनेमें असमर्थ है, तथापि यह निश्चय है कि उसका ध्यान किसानोका सुधार करनेकी ओर पूर्ण रीतिसे है और आज नहीं तो कल वह उसे अवश्य पूरा करके छोड़ेगी।

## जमीनदार और किसान

दोनोको भारतमें ही रहना है। यों तो देखनेमें दोनोके स्वार्थ भिन्न भिन्न हैं, पर सूक्ष्म दृष्टिसे देखनेपर मालूम होता है कि जमींदारोंका स्वार्थ किसानोके स्वार्थ या सुखपर ही अवलम्बित

है। जब किसानोंकी स्वार्थ-सिद्धि होगी ही नहीं, वे सब तरहसे शक्तिहीन हो जायँगे तब जमींदारोंकी स्वार्थ-सिद्धि कैसे हो सकेगी? जमींदारोंको यह समझना चाहिए कि देशके किसानोंके खुशहाल रहनेमें ही उनकी भलाई है। मनुष्यत्वके नाते भी किसानोंकी दयनीय दशापर उन्हें रहम करना चाहिए। किसानोंका दर्जा जमींदारोंसे बहुत बड़ा है। यह स्पष्टोक्ति जमींदारवर्गको बुरी लग सकती है। किन्तु इसमें बुरी लगनेकी कोई बात नहीं है। यह तो मोटीसी बात है कि यदि देशमें एक भी जमींदार न रह जाय तो देशकी कुछ भी हानि नहीं हो सकती; उससे न तो देशका कोई व्यापार ही बन्द हो सकता है और न उसके सामने किसी तरहकी कठिनाई ही उपस्थित हो सकती है। किन्तु यदि देशसे किसानोंका अस्तित्त्व मिट जाय तो देशका सर्वनाश हो जायगा; देशका सब कारबार निकम्मा हो जायगा, मनुष्योंका जीवित रहना भी असम्भव हो जायगा। उस दशामें खानेके लिए अन्न कहांसे आवेगा? इससे यह ज़ाहिर होता है कि देशको किसानोंकी बहुत बड़ी जरूरत है और देशका जीवित रहना किसानोंपर ही निर्भर करता है। अतः किसान सबसे अधिक मूल्यवान रत्न हैं और सबसे बड़े भी हैं। जमींदारोंका कर्त्तव्य है कि वे किसानोंकी भलाई करने अथवा उनकी उन्नतिके उपाय सोचनेमें किसीसे पीछे न रहें। यदि कांग्रेस सरकार अपने देशके किसानोंके दुःख दूर करनेके लिए कदम बढ़ावे तो उसके मार्गमें रोड़े डालना जमींदारोंका कर्त्तव्य नहीं है। ऐसा करनेसे किसानोंमें उनके प्रति द्वेषका भाव पैदा होगा और उस द्वेषका फल कदापि अच्छा नहीं हो सकता। इससे तो जीवन ही दुःखमय हो जायगा।

इसी प्रकार किसानोंका भी जमींदारोंके प्रति कुछ कर्त्तव्य है। किसानोंको सत्य और अहिंसापर डटे रहकर जमींदारोंके दिलका कटु भाव दूर करनेका उद्योग करना चाहिए। जमींदारोंने भी कांग्रेसको शक्तिशाली बनानेके लिए धन-जनसे मदद की है। उनके इस उपकारका बदला रुक्ष-भाव दिखलाकर चुकाना कृतघ्नता है। अवश्य ही सब जमींदारोंने सरकारी भयके कारण कांग्रेसकी मदद नहीं दी है; किन्तु उनमें भी अधिकांश लोगोंकी आन्तरिक सहानुभूति कांग्रेसके साथ थी। थोड़ेसे किये हुए उपकारको भी बहुत अधिक समझना बड़ोंका काम है। किसानोंको चाहिए कि वे सहजहीमें प्राप्त होनेवाले इस बड़प्पनसे हाथ न धो बैठें। यदि किसान अपने सत्य, अहिंसा, प्रेम और कृतज्ञ-भावका ठीक ठीक परिचय देंगे तो उनकी रोमांचकारी दयनीय दशाकी ओर कठोरसे भी कठोर हृदयके जमींदारोंको अवश्यमेव आकृष्ट होना पड़ेगा। यह वह अमोघ शक्ति है जिसके सामने पशुता या कठोरता टिक ही नहीं सकती। जब इन्हीं गुणोंके बलपर महात्मा गांधीने बिना एक बूँद रक्त गिराये सात समुद्र पारकी विदेशी सरकारके छक्के छुड़ा दिये, तब कोई वजह नहीं कि इन गुणोंका परिचय पानेपर जमींदारोंकी नाराजगी दूर न हो। जमींदार तो अपने हैं; भारतकी भलाईमें ही उनकी भी भलाई है, यह बात समझनेमें उन्हें अधिक समय नहीं लगेगा।

## पठन-पाठन

और सब कामोंकी तरह प्रत्येक मनुष्यको नियमित रूपसे कुछ समय पढ़ने लिखनेमें भी लगाना चाहिए। उत्तम ग्रन्थोंके

पढ़नेसे चित्तको शान्ति मिलती है, विचार ऊँचे होते हैं, हृदयमें अच्छे अच्छे गुणोंका समावेश होता है, दिलकी बुराइयां दूर होती हैं और भले-बुरे की पहचान पैदा होती है। कांग्रेस-सरकारने प्रौढ़-शिक्षाकी ओर पूरा ध्यान इसी लिए दिया है कि जिसमें जनताका जीवन सुखी हो। कांग्रेस सरकारके इस काममें प्रत्येक पढ़े लिखे मनुष्यको विद्या-दान देकर तथा अपढ़ोंको परिश्रम करके साक्षर बननेमें हाथ बँटाना चाहिए। संसारको यह दिखला देना चाहिए कि थोड़ासा अधिकार प्राप्त करके अनेक तरहकी कठिनाइयां रहने-पर भी हमने और हमारी सरकारने चन्द दिनोंके भीतर कितना आश्चर्य-जनक काम कर डाला है। अच्छे व्यसनोंमें विद्या-व्यसन का स्थान सबसे ऊपर है। इसलिए प्रत्येक मनुष्यको साक्षर बनकर विद्या-व्यसनी होना चाहिए।

## आमोद-प्रमोद

हर गांवमें एक क्लब या आमोद-प्रमोद गृह होना चाहिए। काम-धन्धेसे फुरसत पाकर थोड़ी देरके लिए गांवके लोग उस क्लबमें जुटा करें और अपनी थकावट दूर किया करें तो बड़ा अच्छा हो। वहां गाने-बजाने, पुस्तकों और समाचारपत्रोंका प्रबन्ध रहना चाहिए। संगीत-कला, नाट्यकला, चित्र-कला आदि ललित कलाओंकी ओर गांववालोंका ध्यान जाना चाहिए। देहातोंमें जो लोग इन कलाओंके मर्मज्ञ या प्रेमी हों, उन्हे चाहिए कि गांवोंमें ऐसे क्लब खुलवानेके लिए लोगोंको प्रोत्साहित करें। ऐसी संस्थाओंसे पारस्परिक प्रेम बढ़ता है और जीवनकी शुष्कता दूर भाग जाती है। देहातके जो लोग अपने काम-काजके सिलसिलेमें

शहरोंमें रहते हों, उन्हें गाँवके लिए उपयोगी कोई न कोई उत्तम कला अवश्य सीखकर अपने गांवमें उसका प्रचार करना चाहिए। ऐसा करनेसे कलाओंका प्रचार करनेमे विशेष धनकी आवश्यकता नहीं पड़ सकती।

मनुष्य दिल बहलानेके लिए कुछ साधन चाहता है। वह स्वाभाविक ही आमोद-प्रिय प्राणी है। जीवनके लिए आमोद-प्रमोद है भी बहुत आवश्यक वस्तु। यदि मनुष्य हर समय गम्भीर बना रहे, प्रसन्न-चित्त रहनेका उसे अवसर ही प्राप्त न हो तो वह बहुत जल्द मौतके मुँहमें चला जा सकता है। दीर्घजीवी और साहसी बननेके लिए प्रसन्नचित्त रहना बहुत जरूरी है। यही कारण है कि मनुष्य प्रसन्नता प्राप्त करनेके लिए आमोद-प्रमोद गृह बनाता है और वहां ऐसे साधन रखनेकी चेष्टा करता है जिनसे प्रसन्नता मिले। देहातका मनुष्य जब शहरोंमे जाता है तो वहांकी वस्तुएँ देखकर आश्चर्यमें पड़ जाता है। उस समय उसे अपने जीवनकी तुच्छता और शुष्कतापर आन्तरिक दुःख होता है और वह शहरमें रहनेवालोको बड़ा भाग्यशाली एवं देवता समझता है। किन्तु यदि गांवोंमें भी ललित कलाओंका प्रचार हो जाय, हर गांवमें वहांवालोंके लिए आमोद-प्रमोदकी जगह बन जाय तो वहांके लोगोंको यह कभी न खटके।

बैलकी तरह रात दिन काममे जुते रहना ठीक नहीं। इससे तो जीवन ही बेमजा हो जाता है। सुखी और आनन्दमय जीवन तो वह है जिसमें खाने-पीनेके सामानके लिए झींखना न पड़े, हँसने-बोलनेका अवसर मिला करे, पारस्परिक प्रेम हो और हृदय-साम्राज्यमें पवित्रताके साथ विचरण करनेकी शक्ति प्राप्त हो।

दिव्य आचरण, मीठे बचन, दया, धर्म सद्ग्रन्थावलोकन, सत्संग और बिचार शीलतामें ही जीवनकी सार्थकता है। इसलिए इन बातोंको अपनेमें लानेकी चेष्टा करनी चाहिए। यदि काम करने और खाने-सोनेमें ही जीवन बिता दिया जाय तो फिर पशुके जीवनसे मानव-जीवनमें कौनसी विशेषता रह जायगी? जीवन वही धन्य है जिसे दुनियाके लोग धन्य कहें। आमोद-प्रमोद भी जीवनको धन्य बनानेका एक साधन है। अतः इस ओर ध्यान देना उचित है।

## देहाती मजदूर

देहातमे मजदूरोंको खेतीका काम शुरू होनेपर ही मजदूरी दी जाती है। अतः प्रत्येक कामके साथ साथ ही उसको मजदूरीकी भी चर्चा करना मुनासिब होगा। सबसे पहले वर्षाके शुरू होनेपर या दो चार दिन पहले किसानोंको अपने खेतोंमें खाद डालनेकी जरूरत पड़ती है। हमारे देहातके सब किसानोंकी आदत पड़ गयी है कि वे अपना कच्चा गोबर खेतमे पहले ही डाल दिया करते हैं। गोबरकी ताकत तीन सालतक रहती है। पर इससे दीमक पैदा होनेका डर रहता है। अतः ऐसे किसान अपने खेतोमे खाद डालनेके लिए कभी मजदूर नहीं लगाते। कुछ किसान ऐसे भी पाये जाते हैं जिनको कच्चा गोबर भी अपने सिरपर लादकर खेतमें डालना कठिन हो जाता है और उसे वे अपने घूरेमे जमा करते जाते हैं। अतः इन घूरोंको खेतमें डालनेके लिए उनको अवश्य मजदूर रखने पड़ते हैं। इस कार्यके लिए मर्द और औरत-की मजदूरी अलग अलग होती है। कहीं कहीं मर्दको लगभग २

सेर नम्बरी और औरतोंको केवल १ सेर नम्बरी मजदूरी एक दिनके १० घण्टेकी मेहनतके लिए दी जाती है। किन्तु हर जगह यही मजदूरी नहीं है। इसके साथ ही किसानकी डांट-डपट और घुड़कियां तथा कभी कभी काममें सुस्ती करनेपर उन्हें गालियां तक सहनी पड़ती हैं।

इसके पश्चात् खरीफकी फसलकी बोवाईतक हलवाहोंको छोड़कर प्रायः किसानको मजदूरोंकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वह अपना सब काप स्वयं ही करता रहता है। पर फसलके जम आनेपर उसकी निराईका सवाल सामने आता है। इस समय प्रायः पुरुष मजदूर किसानको नहीं मिलते क्योंकि वे हल जोतनेमें लगे रहते हैं। यह काम देहातकी औरे मजदूरनियां किया करती हैं। उन्हे इसकी मजदूरी कहीं तो तीन पाव और कहीं १ सेर दी जाती है। कहीं कहीं तो वे सुबहसे दोपहरतक काम करती हैं और कहीं कहीं सुबहसे शामतक। यह महीना प्रायः सावनका ही हुआ करता है। खरीफकी फसलकी निराई खतम हो जानेपर प्रायः इनका काम खतम ही हो जाता है। फिर जब खरीफकी फसल तैयार होती है तो इनका काम लगता है। उस समय गांवके प्रायः सभी मजदूरोंको मजदूरी मिल जाती है क्योंकि धान और ज्वार, बाजरा आदि सभी एक सिलसिलेमें ही पका करते हैं।

यह मजदूरी भिन्न भिन्न भागोंमें भिन्न भिन्न प्रकारसे की जाती है। किन्तु किसी भी जगह दो सेर गीला धानसे अधिक प्रायः इनको नहीं दिया जाता। पर काम प्रायः दिनभरका होता है और लम्बा रहता है। इसलिए इसमें देहातके मजदूरोंके काम करनेके योग्य परिवारके सभी लोग लगे रहते हैं और वे सब केवल एक

वक्त खाना खाते हैं। अतः कुछ वे अपने त्यौहारोंके लिए भी धन आदि बचा लेते हैं। किन्तु अधिकांश त्योहारोंपर वे किसानोंके घरसे खानेकी चीजें मांग लाते हैं। इसे 'वायन' कहते हैं। कई फसलोंकी कटाईमें उन्हें यह भी लाभ होता है कि वे दाना भी चबाते जाते हैं। देहाती मजदूर यह लाभ धानसे नहीं उठा पाते। किन्तु इसमें भी वे अपनी कसर निकालते हैं। यदि खड़ा धान खा नहीं सकते तो किसानकी चोरीसे मींज मींजकर घर ही लाते हैं। इस तरह खरीफकी कटाईसे लेकर उसकी मँड़ाईतक उनको तीन माहतक |बराबर काम मिलता रहता है और तीन माह उनको खानेके लिए दाना काफी मिल जाया करता है। देहातमें प्रायः सब चीजोंकी मजदूरीमें अनाज ही दिया जाता है पैसा नहीं।

खरीफकी फसलका काम खतम करनेके बाद अधिकतर इन मजदूरोंको बेकार ही रहना पड़ता है। किन्तु कभी कभी मकानोंकी दीवारो आदिके उठानेमे कुछ मजदूरोको काम भी मिल जाया करता है। कभी कभी ऐसे कामका ठेका भी देहातके ये मजदूर ले लिया करते हैं। इसमें उनको मेहनत अधिक करनी पड़ती है पर रोजानासे कुछ अधिक मजदूरी भी उनको मिल जाया करती है। जहांपर ईख आदि पैदा होती है वहां बराबर मजदूरोका काम प्रायः वर्षभर लगा रहता है और वे अपनी मेहनतसे खानेभरको बराबर पैदा करते रहते हैं। किन्तु मजदूरी प्रायः सभी भागोंमें उनको खानेभरसे अधिक नहीं मिलती और कहीं कहीं तो इसमें भी कमी हो जाती है। साथ ही बाज बाज तो इतने बेईमान और शरारती किसान तथा जमींदार होते हैं कि काम करा लेते हैं पर मजदूरी नहीं देते और जब उनसे मजदूर मजदूरी मांगने जाते

हैं तो वे उनको गाली मार भी दिया करते हैं। गांवके लोग इसे बराबर देखते हैं और कुछ नहीं बोलते क्योंकि ये बेचारे बहुत ही गिरी दशामें पड़े हैं।

रबीकी फसलकी कटाईके शुरू होनेपर प्रायः इन मजदूरोंके परिवारोंके दिन फिर वापस आते हैं। वे सुबह बड़े सबेरेसे किसानोंके खेतोंपर डट जाते हैं और दिनभर उसीमें काम करते रहते हैं। इस फसलमें इनको मटर गेहूँ चना जौ आदिके खेतोंको काटना पड़ता है। अतः वे दिनभर उसीके दाने चबाकर अपना पेट पालते हैं और रातमें खाना खाते हैं। इस तरह उनकी थोड़ी थोड़ी बचत भी प्रति दिन होती जाती है; पर यह काम एक और डेढ़ माहके अन्दर समाप्त हो जाता है। फिर भी इनकी मँड़ाई आदिमें उनका १॥ माहतक समय और कट जाता है। मँड़ाईके समय मजदूरोंको कटाईके समयका भी अन्न तो नहीं मिलतापर दिनभरकी मेहनत २ सेरके लगभग मिलती है जिससे उनका खानेका काम किसी तरह चल जाया करता है। इस समय बहुतसे स्थानोंपर हलवाहोंको १-१॥ मन खलिहानी भी दी जाती है। पर यह प्रथा हर जगह नहीं है। इसके बाद प्रायः बरसातके शुरू होनेतकके लिए उनका काम बन्द हो जाता है और उनको बेकारीके ही दिन व्यतीत करने पड़ते हैं। यह प्रायः दो माहका समय होता है। इसमें कभी कभी मकानोंकी छाजनका काम जरूर उनको मिलता है पर वह केवल एक दो रोजके लिए और उसे प्रायः लोहार ही करते हैं। अतएव इस बेकारीमें उनके खानेपीनेका सवाल कठिन रहता है। किन्तु जिन जगहोंमें ईखकी फसल होती है वहां इस समय भी मजदूरोंको कुछ काम मिल जाता है। एक

बातकी चर्चा और आवश्यक है। रबीके नाजोकी मॅड़ाई किसान अपने बैलोसे करते हैं और उनके मुंह खुले रहते हैं। अत ये बैल दाना और भूसा सभी एक साथ खाते जाते हैं और जब गोबर करते हैं तो उनमे भी प्रायः आधा दाना रहा करता है। इस दानेको देहाती मजदूरोंकी औरतें नदियों या तालाबोंमें गोबरको धोकर निकाल लेती हैं और उसे सुखा डालती हैं। जब उनके खानेका और अन्न खतम हो जाता है तो वे बेचारी इनसे भी अपना तथा अपने बच्चोंका पेट पालती हैं। यह सभी भागोके मजदूर करते हैं, यह कहना तो कठिन है, पर कुछ भागोमे मजदूर ऐसा करते अवश्य पाये जाते हैं। बड़ी ही दयनीय दशा है। पशुओके मलसे निकला हुआ अन्न मनुष्यको खाना पड़ता है।

यह हमारे देहातके मजदूरोंकी आमदनीका सारा चिट्ठा है। इसके जान लेनेके बाद यह बात आसानीसे समझमें आ जायगी कि देहातके मजदूरोंका लगभग आधा समय बेकारीमें व्यतीत होता है। इस बेकारीके समयमें वे अपनी मँड़ईमें बैठे या इधर-उधर दानेकी तलाशमे घूमनेके सिवा कुछ नहीं करते और उनके परिवार-को प्रायः भूखो ही मरना पड़ता है या वे क़र्ज लेकर ही अपना गुजर-बसर करते हैं। उस कर्जका उन्हे इतना अधिक सूद देना पड़ता है कि चार रुपया लेनेपर सैकड़ों रुपया दे देनेके बाद भी एक हजार रुपयेका रुक्का लिखते देखा गया है। इस कर्जके लिए उनको जीवनभर गुलाम रहना पड़ता है और अपने मालिक या महाजनकी मार, गाली और डांट-डपट बराबर सहनी पड़ती है। यही कारण है कि मजदूरोंकी अवस्था अत्यन्त शोचनीय है।

इस समय हमारे आठ सूबोंमें कांग्रेसकी सरकार है और वह अपने सभी सूबोंमें गरीब और असहाय लोगोंके खाने पीनेके लिए कुछ-न-कुछ ज़रिया उद्योग-धन्धेकी शकलमें करनेका विचार कर रही है। हमारे इन मज़दूरोंके लिए यदि हमारी सरकार देहातमें ख़ासकर उन क्षेत्रोंमे जहां फसलें सालके बारहो महीनेमें नहीं होतीं, मज़दूरोंके कार्यका कुछ प्रबन्ध करके रोटियोंका सवाल हल कर दें तो अति उत्तम हो। हमारे देहाती मजदूर मेहनत काफी करते हैं और कोई भी काम उनसे लिया जा सकता है। देहातके मवेशियोंका सारा चमड़ा वहांके मज़दूर ही निकालते हैं और उसे यों ही कच्चा सुखाकर बहुत सस्ता बेच डालते हैं। जैसा कि पीछे लिखा जा चुका है, यदि सरकार चमड़ेके पकाने और जूते तैयार करानेके कार्यको इन देहाती क्षेत्रोंमें प्रोत्साहन दे तो हमारे इन मज़दूरोंकी रोटीका मसला हल होनेमें बड़ी मदद मिले, साथ ही एक बड़ी आवश्यकताकी भी पूर्ति हो। और हमारे देहातके मज़दूर भी एक सुन्दर हुनर सीखकर अपनी रोज़ी कमा सकें।

एक बात हमारे देहातके मज़दूरोंके लिये भी अत्यन्त आवश्यक है। यह बड़ी खुशीकी बात है कि हमारे देहातके मजदूरोंमें पंचायतका सिलसिला अब भी कायम है और वह बहुत ही मजबूत है। उसको तोड़ना आज उनके बिरादरीमें असम्भव है। अतः उनको अपनी पंचायतोंमे इधर उधरके बेकार झगड़ोंको छोड़कर जो वे एक दंड-तावानके रूपमें अपने किसी बिरादरीपर लगा कर उसे और भी कर्जदार बना देते हैं—अपनी जीविकाके कामोमे लगावें, तो उनका बड़ा उपकार हो। किसानोंको भी

मजदूरोंकी दयनीय दशा सुधारनेकी कोशिश करनी चाहिए और यथाशक्ति उनकी रोटीका सवाल हल करनेमें अग्रसर होना चाहिए। मजदूरोंकी रक्षा होनेमें किसानोंका भी हित है। क्योंकि मजदूरोंके बिना खेतीका काम नहीं हो सकता। जब उन्हें खानेको भी न मिलेगा तो वे मजदूरीकी खोजमें शहरोंमें चले जायँगे। भले ही वहां भी उन्हें मजदूरी न मिले, पर उनके न रहनेपर खेतीके काममें तो असुविधा होगी ही। इसलिए इस कठिनाईसे बचनेके लिए पहलेहीसे प्रबन्ध करना उचित है।

## कोआपरेटिव आन्दोलन

भारतमे कोआपरेटिव मूवमेंट इसलिए सफल नहीं हुआ कि भारतकी समस्या एकांगी नहीं है। उसे हल करनेके लिए तो सभी दिशाओंमें एक साथ उन्नति करनी आवश्यक है। कोआपरेटिव मूवमेंटको गांवों और किसानोंमें सफल होनेके लिये अपना क्षेत्र व्यापक और दृष्टिकोण उदार करना होगा। इस विषयपर श्रीपट्टाभि सीतारमैयाने लिखा है :—

"कोआपरेटिव संरक्षण, किसानकी ऋणग्रस्तता तथा गरीबी दूर करनेके लिए भारतमें प्रचलित की गयी है। लेकिन ऋणग्रस्तताके प्रश्नपर व्यापक दृष्टिसे विचार होना चाहिये। किसान समाजका एक अंग है और खेती भी सामाजिक कार्य है। इन दोनोंको समाजसे अछूता नहीं ठहराया जा सकता। किसान जहां आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियोंको पैदा करता है, वहां स्वयं उनका शिकार भी हो चुका है। यदि हम उसे बिलकुल पृथक् और स्वतंत्र मानकर उसकी समस्या हल करें, तो इसमें हम सफल नहीं हो

सकते। उसके जीवनको टुकड़ोंमें विभक्त नहीं किया जा सकता। कोआपरेटिव संस्थाओंको इसका पूर्ण ध्यान रखना चाहिये। जो फसल वह बोता है, जो मवेशी वह पालता है, जो कपड़े वह पहनता है, जो चावल वह खाता है, जो जूते वह पहनता है, जिस घरमें वह रहता है, सब मिलकर एक समाजकी रचना करते है। यदि वह अपने पैदा किये चावल खाता है, लेकिन विदेशी कपड़ा पहनता है, विदेशी बूट इस्तेमाल करता है, विदेशी पेय पीता है, विदेशी चम्मच रखता है, विदेशी दूधपर अपने बच्चोंको पालता है या ऐसी चीजें बरतता है, जो उसके गांवमें तैयार नहीं होतीं, तो वह अपने ग्रामीण साथियोको नुकसान पहुँचाता है, उसके सिरपर भार बढ़ाकर उसे चलनेके लिए सहारा देनेका क्या लाभ ? उसे पीसनेवाला भार ही कम करना चाहिये। पिछले ७० सालोंमें उसपर भार भी बढ़ता रहा और उद्योग-धंधोका सहारा कम हो गया। इसलिये वह आज असहाय और असमर्थ हो गया है।

इसका इलाज केवल यह है कि इस समस्त शरीरकी, समस्त गांवकी, सब श्रेणियोंके हितोंकी एक साथ रक्षा की जाय। कोआपरेटिव आन्दोलनमें ही उसे सीमित नहीं कर रखना चाहिये। इसके विपरीत इस आन्दोलनको ही अपना दृष्टिकोण व्यापक और उदार बनाकर किसानको यह अनुभव कराना चाहिये कि वह समाज और राष्ट्रका एक अंग है। उसका घरेलू जीवन उसकी संस्कृति, उसका स्वास्थ्य और उसकी समृद्धि सब ग्रामके पूर्ण सहयोगपर निर्भर है। रूसमें पिछली क्रान्तिके समय जब सब कुछ उलट सुलट गया था, कोआपरेटिव आन्दोलन न केवल अछूता रहा, बल्कि यह बढ़ता भी गया।

जब कोआपरेटिव मूवमेंट इतना समर्थ हो जायगा, अपना क्षेत्र इतना बढ़ा लेगा, तब वह वस्तुतः पुनर्निर्माणका काम कर सकेगा, राजनीतिक बंधनोंको तोड़कर वह घर घरमें प्रसन्नता और शान्तिका प्रसार करेगा। कोआपरेटिव-संस्था ग्रामकी शिक्षाका केन्द्र और ग्रामीण अर्थशास्त्रकी 'एजेंसी' बन जायगी। सहयोग, शिक्षा और स्वास्थ्य तीनों एक साथ मिलकर जब ग्राम-वासियोंकी सहायता करेंगे, तब ग्रामीण धन्धे भी उन्नत हो जायँगे। तब हम यह न कह सकेंगे कि कोआपरेटिव संस्थाओं-को खद्दर नहीं बेचना चाहिये, पुस्तकालय या भजनपार्टी संगठित नहीं करनी चाहिये, या खेल-कूदका सम्मिलित प्रयत्न नहीं करना चाहिये। गांवका अध्यापक और राजनीतिज्ञ, गांवका डाक्टर या ब्राह्मण व मौलवी, गांवका कथक्कड़ और गवैया, गांवका हिसाब रखनेवाला सभी एक ही सूत्रमें—गांवकी कोआपरेटिव सोसायटीमें बँध जायँगे।

हमें इस परिणामपर पहुँचना ही होगा, चाहे आजके लोग—सरकारी कर्मचारी-इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि भारतवर्ष अविभाज्य है। उसके सब अंगों और सब क्षेत्रोंकी समानता और अविभाज्यता कायम रखनी होगी। अभी बहुत समय नहीं हुआ कि हमारे देशमें ग्राम-संस्थाएं और पंचायतें थीं ज्ञान और सम्पत्ति दोनों ग्राम-जीवनमें संतुलित थीं। ब्राह्मण गरीब था, लेकिन उसका प्रभाव कम न था, वैश्य पैसेवाला था तो क्षत्रिय बलवान था। सभीका प्रभाव संतुलित था, सभीमें सामंजस्य था। लेकिन ब्रिटिश शासनके साथ ही विद्याका सम्बन्ध सम्पत्तिसे हो गया। पंचायतोंने ग्रामका जो संगठन कर रखा था, और जो अबतक

विभिन्न शासकों और राजवंशोकी क्रान्तियोमें भी शिथिल नही हुआ था, वह ब्रिटिश-शासनके समय नष्ट हो गया। व्यक्तिवादके इस युगमें सहयोगका स्थान प्रतिस्पर्धाने ले लिया है। चुनावके नये तरीके, भेदनीति, विशेष लोगोंपर कृपा-दृष्टि इन सबने देशमे सहयोग और सामंजस्यको नष्ट कर दिया है। इन सबने शासकों और शासितोंके बीच आदर्शोंकी समानताको नष्ट कर दिया है। शासक और शासितके बीचके सम्बन्धको व्यक्तिगत सम्पर्क सुन्दर रखता है, लेकिन अब नौकरशाहीकी मशीनरीने उस सम्पर्क-को नष्ट कर दिया है। अब उसकी जगह नयी अस्वास्थ्यप्रद मनो-वृत्ति कामकरने लगी है। पहले प्रत्येक ग्रामवासी हिरासतमे अपने बापसे कुछ गुण पाता था और अपने धन्धोको जीवित रखता था। पंचायत किसीको भूखा नही मरने देती थी। उस समय अपनी आवश्यकता पूर्त्ति उद्देश्य था न कि निर्यात करना। विदेशी शासन और विदेशी वस्तुओंने पुरानी सब बातें बदल दी। पहले ब्राह्मणोंके घर बदले और फिर अब्राह्मणोंके। ब्राह्मण अपनी जमीनें पट्टेपर देकर शहरोमें चले गये और वहां खूब कमाकर गांवोंमें साहूकारीका पेशा करने लगे। वे जमीनका काम छोड़कर 'अनुपस्थित जमींदार' बन गये। नये कमाये हुए पैसेसे वे और जमीनें खरीदने लगे। फल यह हुआ कि जमीनका मालिक किसान पट्टेपर काम करने लगा और फिर वह भाड़ेका टट्टू बना और अन्तमें वह कुली हो गया। गांवके लोग तबाह हो गये और शहरके आदमी बन गये। शहरके लोग एकसे अधिक धन्धोंद्वारा धनोपार्जनमें कोई बुराई नहीं देखते। कल्पना कीजिये कि एक ग्रेजुएट गांवमें जाकर कुछ पूंजी लगाकर कपड़े धोने और हजामत-

का काम शुरू करता है। इसका फल यह होगा कि धोबी, नाई आदि सब उसके वेतन- जीवी नौकर हो जायँगे जैसे कि किसान अब उसका पट्टेदार हो गया है। अब मालिक वह हो गया है, जो न खेती करता है और न सूत कातता है। ऐसे बीचके दलालों-में फिर प्रतिस्पर्धा शुरू होती है और नया संघर्ष प्रारम्भ हो जाता है। आजके कोआपरेशनका यह स्वाभाविक परिणाम है। एकताके तत्त्वसे विहीन विच्छृंखल और असंगठित समाजकी कांटेदार झाड़ियोंके बीचमें बीज बोये गये हैं। इसलिए यदि यह आन्दोलन सफल नहीं हुआ, तो कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिये। जितनी उम्मीदें इस आन्दोलनसे बांधी गयी थीं, इसीलिए उनमेंसे बहुत कम पूरी हो सकी हैं। इससे तो यही स्पष्ट होता है कि भारतकी समस्या एकांगी नहीं है। इसे विविध टुकड़े करके हल नहीं किया जा सकता, इसे भी समस्त अंगोंके साथ ही हल करना चाहिये, जिसके तीन महत्वपूर्ण राष्ट्र निर्माणकारी अंग हैं—सफाई, पढ़ाई और सहयोग।

## स्वतन्त्रता देवी

हमें स्वतन्त्रताकी देवीके दर्शन होने लगे हैं! और सर्व शक्तिमान ईश्वर कहिये या संसारकी शक्तियाँ (World Forces) हमारे साथ हैं। अगर हम अपने उद्देश्यपर निगाह रक्खें और हर घड़ी आगे कदम बढ़ाते रहे, आगे कदम बढ़ानेकी कोशिश करते रहें तथा बड़ीसे बड़ी मुसीबतोंमें भी धीरज और हिम्मतसे काम लें तो यह नामुमकिन नहीं है कि एक ही झोंकेमें हम उस पार पहुँच जायँ, अपनी गुलामीसे छुट्टी पाकर आजाद हो जायँ।

गान्धी और शहीदोंकी हड्डियोंसे बनी हुई कांग्रेस ही हमारा वह वज्र हथियार है जिसकेजरिए हम गरीबी और गुलामी जैसे सभी राक्षसोंपर कामयाबी हासिल कर सकते हैं और करेंगे। हमारी, हमारे मुल्ककी, हमारे मुल्कके पैंतीस करोड़ बाशिन्दोंकी तमाम उम्मीदें महात्मा गांधी और कांग्रेसहीपर निर्भर हैं। हिन्दुस्तानमें आज बीस बरससे महात्मा गांधी कांग्रेस हैं और कांग्रेस महात्मा गांधी। मुल्ककी आजकी हालतमें भी हम महात्मा गांधी और कांग्रेसको अलग अलग नहीं कर सकते। इस बातको तो आज सभी क्रांतिकारी मानते हैं कि कांग्रेस ही एक ऐसी ताकत है—एक ऐसा औज़ार है जो हमें आजादीकी लड़ाईमें गरीबी और गुलामीसे पिण्ड छुड़ानेमें कामयाबी दिला सकती है।

इसलिए आज हम सबका एक ही कर्तव्य है और वह यह कि हम अपने व्यक्तिगत, जातिगत और फिरकेवाराना ही नहीं, बल्कि दलगत भेदभावोंको भी भुलाकर, एक हो, कांग्रेसकी ताकत बढ़ावें उसका संगठन मजबूत करें। महात्मा गांधीके नेतृत्वमें आजादीकी लड़ाईकी या आजादीके स्वागतकी तैयारी करें।

महात्मा गांधीकी एक बड़ी खूबी यह है कि वे मुल्ककी नब्जको पहचानकर उसकी बीमारीके मुताबिक ठीक दवा देते हैं और मरीजकी हालत बदलनेपर अपनी दवा भी बदल देते हैं।

हमारा कर्तव्य

इस तरह एक होकर हमें कांग्रेसकी ताकत बढ़ाने, उसे मजबूत करनेमें जुट जाना चाहिए। देशके कोने-कोनेमे कांग्रेसकी आजादीका अलख जगाना जरूरी है। ऐसा एक भी बालिग हिन्दुस्तानी न रहे जो कांग्रेसका मेम्बर न हो। ऐसी एक भी बस्ती

न रहे जिसमें कांग्रेस-कमेटी न हो। हर बस्तीमें कांग्रेस-की कौमी-सेना हो। हर बस्तीमे क्रांतिके सिपाही पूरा समय देकर कांग्रेसका काम करनेवाले कार्यकर्ता हों। खादी, ग्रामोद्योग, नशा-बन्दी, हिन्दू-मुसलिम एकता और हरिजन सेवाके पंच यज्ञोको, हम नित्य-नेमसे सचाई और श्रद्धा-भक्तिके साथ पूरा करें। जनताके साथ हमारा सम्पर्क इतना बढ़े कि हम दूध पानीकी तरह एक होकर हिलमिल जायॅ। जनताकी, किसानोकी, मजदूरो-की, दूकानदारो की, हरिजनोकी बाजारके कर्मचारियोंकी, बेकारोंकी और बीचके दर्जेमेसे नीचेके दरजवाले लोगोंकी रोजमर्राकी जरू-रतोको पूरा और उनकी तकलीफोंको दूर करनेकी कोशिश करके हम उनमें जीवनकी ज्योति जगावें और इस तरह जीवनकी हर एक दिशामे अपनी सेवा और अपने प्रचारद्वारा हम अपने मुल्क हिन्दुस्तानमे ऐसी क्रान्ति करके दिखा दें कि तमाम दुनियां देखकर भौचक्की रह जाय और उसके साथ साथ समस्त संसार मुग्ध हो जाय।

## ग्राम-पंचायतोंका कर्त्तव्य

इस विषयपर कुछ लिखनेके पहले कांग्रेसी सरकारके ग्राम-सुधारकी कार्यावलीपर ध्यान देना आवश्यक है। इससे ग्राम-पंचा-यतके सदस्योको यह मालूम होगा कि गांवकी उन्नति किन किन बातोंसे हो सकती है। युक्तप्रान्तमे ग्राम-सुधारका मुख्य कार्यक्रम खेतीके तरीकोंमें सुधार करना, लड़के लड़कियों तथा बालिगोकी शिक्षाका प्रबन्ध करना, ग्रामीण उद्योग-धन्धेकी उन्नति करना, चिकित्सको और दवाओंकी व्यवस्था करना, गांवोंको पैदावारकी

बिक्रीका प्रबन्ध करना, खेती तथा अन्य रोजगारोंके लिए कम व्याजपर कर्ज दिलानेका प्रबन्ध करना आदि है। सरकारद्वारा बहुतसे बीज-गोदाम खोले गये हैं जिनमें कम सूदपर अच्छा बीज वितरण करनेकी व्यवस्था की गयी है, गांवोंमें वैज्ञानिक रूपसे खादके गढ़े खुदवानेका इन्तजाम किया गया है ताकि लोग उत्तम खाद बनाना और गोवरका उपयोग खादके रूपमें करना सीख सकें। फालतू जमीनमें ऐसे वृक्ष लगवानेका यत्न किया जा रहा है जिनकी लकड़ी ईंधनका काम दे। इससे गोबरको जलानेके काममें लानेकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कामके लिए जंगल विभागके कुछ अफसर तैनात कर दिये गये हैं। उन्होंने प्रांन्तभरमें घूमकर इस बातका पता लगाया है कि ऐसे पेड़ लगवानेके लिए कहां कहां उपयुक्त जमीन है। पशुओंकी नस्लमें सुधार करनेका भी प्रयत्न किया जा रहा है। बुरी नस्लके सांड़ बधिया कर दिये जायँगे ताकि वे भविष्यमें बुरी नस्लके बच्चे पैदा न कर सकें। असली नस्लके मवेशी जुटानेके लिए चार केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं—इटावा, प्रतापगढ़, बलिया तथा मिर्जापुर। किसानोंकी कर्जदारी भी दूर करनेकी कोशिशको जा रही है। ऋण सभाएँ भी कायम की जा रही हैं ताकि लोग उनसे आर्थिक सहायता लेकर उद्योग-धन्धेकी उन्नति कर सकें। कताई और बुनाईकी शिक्षा देनेके लिए गोरखपुर तथा प्रतापगढ़में चर्खा-आश्रय खोले गये हैं। फैजापाद तथा उन्नाव जिलोंमे दो औद्योगिक आश्रम खोले गये हैं। उनमें कताई, बुनाई रंगाई, छपाई, बढ़ईगिरी, चमड़ा कमाना और जूता, कागज तथा टोकरी बनाना सिखाया जाता है। निरक्षरता दूर करनेके लिए रात्रि पाठशालाएँ खोली

जा रही हैं। देहातके लोगोंकी कूप मंडूकता दूर करनेके लिए पुस्तकालय और वाचनालय खोले जा रहे हैं।

सुधारका काम करनेके लिए प्रत्येक जिलेमें कुछ हल्के कायम किये गये हैं और प्रत्येक हल्का एक वेतनभोगी कार्यकर्त्ताके अधीन कर दिया गया है जिसे आर्गनाइजर या संघटनकर्त्ता कहते हैं। हर हल्केके अन्दर कुछ गांव हैं। आर्गनाइजरका कर्त्तव्य है कि वह अपने हल्केके प्रत्येक गांवमें लोगोंकी रहन-सहनको उच्च बनानेवाली एक समिति स्थापित करे। गांववालोंको योग्य नागरिक बनाना, उनके जीवनमे आमोद-प्रमोदका भाव भरना, खेलों तथा मनोविनोदके साधनोंकी व्यवस्था करना, मामूली दवाओंका प्रबन्ध करना, सब गावोंमें सफाई कराना, गलियोंको चौड़ी कराना तथा पंचायत घर बनाना आदि आर्गनाइजरका मुख्य काम है।

ऊपरकी बातोंपर लक्ष्य करके प्रत्येक गांवके लोगोंको काम करना चाहिए। गांववालोंको सबसे पहले कुछ लोगोको चुनकर पंचायत बना लेनी चाहिए। चुने हुए पंचोंका कर्त्तव्य है कि वे ईमानदारी और सच्चाईके साथ गांवको अपना कुटुम्ब समझें, गांवके प्रत्येक मनुष्यके दुःख और सुखमे दुःखी और सुखी हों, पक्षपात-रहित रहें, न्याय-प्रियताको एक क्षणके लिए भी न भूलें। इन गुणोंसे सम्पन्न रहकर उन्हे गांवकी उन्नतिके लिए नीचे लिखा कार्य करना चाहिए :—

१—गांवके रास्तोंकोको चौड़ा कराना, घरों और रास्तोंकी सफाई कराना, बस्तीके भीतरके गढ़ोंको पटवाना, कूड़ा-करकट तथा घूरको बस्तीसे बाहर रखवानेका प्रबन्ध करना, नाबदानकी सफाई कराना तथा कुओंको गन्दगीसे बचाना।

२—स्त्री-पुरुष, बच्चे-जवान सबको शिक्षित बनाना तथा समाचार पत्रोमें छपी हुई खास खास खबरें लोगोंको बतलाना।

३—गांवके झगड़ोंको मिटाना, मुकदमेसे सबलोगोंको दूर रखना तथा आपसमें प्रेमसे रहनेकी शिक्षा देना।

४—सामाजिक बुराइयोंको दूर करनेका प्रयत्न करना तथा नैतिक सुधार करनेकी भरपूर चेष्टा करना।

५—लोगोंसे अपनी अपनी परती जमीनमे वृक्ष लगवाना, खेतीकी उन्नतिके उपाय बतलाना तथा देहातके उपयुक्त उद्योगधन्धेका प्रचार करना।

६—हर सीवानमें गाड़ा-गाड़ी जानेके लायक रास्ता निकलवाना तथा गांवके सहयोगसे सिंचाई आदिका उत्तम प्रबन्ध कराना।

७—रुईकी पैदावार बढ़ाना, चरखा चलाकर सूत कातने तथा कपड़ा बुननेके लिए गांववालोंको तैयार करना।

८—सादगी और सफाईसे रहनेकी शिक्षा देना, विवाह आदिमें अधिक व्यय करनेसे लोगोंको रोकना तथा आमदनीके अनुसार खर्च करनेका पाठ पढ़ाना।

९—गांवमें चिकित्साका प्रबन्ध करना, वाचनालय, पुस्तकालय, आमोद-प्रमोद-गृह खोलना तथा लोगोंको हृष्ट-पुष्ट और तन्दुरुस्त रहनेकी शिक्षा देना और उनके लिए साधन उपस्थित करना।

१०—पुराने कुओं, मन्दिरों और तालाबोंका जीर्णोद्धार कराना, सफाई कराना तथा आवश्यकतानुसार सुविधा देखकर नये कुएँ बनवानेका प्रबन्ध करना।

११—गांवके लोगोंको नागरिक ऐबोंसे दूर रखने, तथा शुद्ध ग्रामीण बनानेकी चेष्टा करना।

१२—सबलोगोंको ऐसा पाठ पढ़ाना जिसमें वे निबलोंके साथ भाईचारेका वर्त्ताव कर सकें।

१३—निबलों तथा पद-दलित जातियोंको हर तरहके अत्याचारोंसे बचाना तथा उन्हे ऊपर उठानेके लिए पूरा प्रयत्न करना।

१४—गांवको सुसंघटित करना तथा कांग्रेसके कामोमें मदद पहुँचाना।

१५—गावकी सम्मिलित सहायतासे बीज गोदाम खोलकर किसानोकी मदद करना, आवश्यकता पड़नेपर किसानोंको कम सूदपर कर्ज देने या दिलानेकी व्यवस्था करना तथा किसी उद्योगी आदमीको उद्योग- धन्धेकी उन्नति करनेके लिए काग्रेस सरकारसे सहायता दिलानेका प्रयत्न करना।

१६—गांवके प्रत्येक खेतिहरसे जोशीली खाद तैयार कराना, खाद बनानेकी विधियां बतलाना, आमदनी बढ़ानेके जरिये बतलाना तथा खेती सम्बन्धी नये वैज्ञानिक उपायोंकी शिक्षा देना।

१७—गांवकी उन्नतिके लिए तरह तरहके सुसाध्य उपाय सोचना तथा उसके अनुसार काम करनेके लिए लोगोंको प्रोत्साहित करना।

# किसानोंपयोगी कहावतें

बैलोंके सम्बन्धमें—

बूढ़ा बैल बिसाहिये, झीना कापड़ लेय।
अपने करै बिसाहनी, दैवहि दोष न देय॥

मोटि पीठपर पड़ी पनारी।
उन्हें देखि जिन भुलेउ अनारी॥

बैल बिसाहै जइयो कन्त।
देखेउ जिनि कैरा कै दन्त॥
जहँवाँ देखेउ लाल बैरिया।
उहवाँ दीहेउ खोलि थैलिया॥
जहँवाँ देखेउ रूपाधौर।
उहवाँ दिहिउ सुका दुइ और॥

ओठ कै चरक माथपर महुअरि।
इनहूके कुछ कहिहौ बहुअरि॥

बर्षाके सम्बन्धमें—

शुक्रवारकी बादरी, रही सनीचर छाइ।
भड्डर कह भड्डरीसे, बिन बरसे ना जाय॥

सूअरा१ कोन चलै अजबूता।
मेड़ेह पानि पियावउं पूता॥

---

सावन बह पुरवैया, भादों पछिवाँ जोर।
हरौ बरदवा बेचिके, कन्त चलेउ कैमोर॥

---

रात निचन्दर दिनमें छया।
कहै घाघ अब बरखा गया॥

---

पूरब धनुही पच्छिम भान।
तब जानेउ बरखा मलियान॥

---

सावन शुक्ला सप्तमी, जौ गरजै अधिरात।
तुम पिय जायउ मालवा, हौं जैहों गुजरात॥

---

सावन शुक्ला सप्तमी, उवत न दीखै भानु।
तब लगि देव बरीसै, जब लगि देव-बिहान२॥

---

माघ कै गरमी जेठ कै जाड़।
नदी नार बहि चलै असाढ़॥
इतना कहै भडर कै जोइ।
सावन बरखा कुटकुट३ होइ॥

---

१ वायव्य कोण। २ कुआर। ३ कम।

जब पुरुवामें पछिवाँ चलै।
विहँसि राँड़ जब बातें करै॥
भड्डर एकर करै विचार।
वह बरसै वह करै भतार॥

---

अर्द्रै चार मघ पंचम। अर्थात् आर्द्रामें वर्षा होनेपर आर्द्रासे लेकर चार नक्षत्र और मघामें पानी बरसनेपर मघासे लेकर पांच नक्षत्रतक वर्षा अवश्य होती है।

---

जै दिन जेठ बहै पुरुवाई।
तै दिन सावन धूल उड़ाई॥

---

चित्रा बरसे तीन होत है, साली, सक्कर मास।
चित्रा बरसे तीन जात है, उर्दी, तिल्ल, कपास॥

---

जोतके सम्बन्धमें—

थोरै जोतै ढेर हेंगावै ऊंची बाँधै बारी।
इतनेउपर जो अन्न न होइ तो देइ भडरके गारी॥

---

सौ बाँह मुरई, पचास बाँह कुरई।
पचीस बाँह जवा, जो चाहै सो लवा॥

---

जोत न मानै चार जना।
तिल कपास उर्द चना॥

खेतीके सम्बन्धमे—

विधि के लिखा न होई आन।
आधे चित्रा फूटी धान ॥

खेतीबारी बीनती, औ घोड़ेकी तंग।
अपने हाथ सॅवारिये, तबै रहै जिउ चंग ॥

जोन्हरी जोतै तोरि मरोरि। तब वह डालै कोठिला फोरि ॥

जो चाहै देहिया कै सुख। बोवै ना ककरी औ ऊख ॥

❀ समाप्त ❀

के आर्डर नं० ५४८ के द्वारा पारितोषिक और लाइब्रेरियोंके लिये स्वीकार किया है।

हमारी कुछ अन्य पुस्तकें—

| | | |
|---|---|---|
| १ | मिलन-मन्दिर | २॥) |
| २ | फासिज्म | १) |
| ३ | टुवर्ड्स फ्रीडम | १) |
| ४ | लव् लेटर्स ३) सजिल्द | ३॥) |
| ५ | स्त्री-संगीत गायन | ।=) |
| ६ | आश्रम गीतांजलि | ।=) |
| ७ | उर्दू के कवि और उनका काव्य | १॥) |
| ८ | हिन्दीके वर्तमान कवि और उनका काव्य | १॥) |
| ९ | ईश बन्दना | )। |
| १० | दिलके तराने | -) |

हमारी कुछ पुस्तकें अभी विचाराधीन हैं। अपनी पुस्तकों-की उपयोगिताके सम्बन्धमें हमें इतना ही कहना है कि केवल शिक्षा-संस्थाओंने नहीं, समस्त हिन्दी संसारने मुक्त कण्ठसे इनकी प्रशंसा की है। अतः जिन शिक्षा-संस्थाओं, लाइब्रेरियो और वाचनालयो तथा विद्यानुरागियोंतक हमारी पुस्तकें नहीं पहुँच सकी हैं, वे उन्हें खरीदकर हमारे उत्साहको बढ़ायें ताकि भविष्यमें हम उत्तमोत्तम पुस्तकें प्रकाशित कर मातृभाषा हिन्दीकी सेवामें संलग्न रह सकें। ध्यान रहे, हमारी पुस्तकोंको अपनाकर वे सेवाके इस पुनीतकार्यमें योग देकर हमारा हाथ बटावेंगे। आशा ही नहीं, दृढ़ विश्वास है कि हिन्दी प्रेमी सज्जन हमारी इस प्रार्थनापर ध्यान देंगे।

सूर्य्यबली सिंह,

अध्यक्ष, काशी-पुस्तक-भंडार, बनारस।

# ब्रह्मचर्यकी महिमा

१) चौथासंस्करण सजिल्द १।)

हमारे शारीरिक और मानसिक पतनका मूल कारण वीर्य-नाश कैसे है, युवक और युवतियोंके ब्रह्मचर्यकी रक्षा किन-किन साध्य उपायोंसे हो सकती है, अमोघ-वीर्य (जो वीर्य कभी निष्फल न हो, गर्भ-स्थिति अवश्य हो) और ऊर्ध्वरेता होनेके कौन-कौन-से यत्न हैं, वीर्य को पुष्ट और बलवान क्योंकर बनाया जा सकता है, किन-किन औषधियोंका सेवन करना आवश्यक है, बुद्धिकी शक्ति किस प्रकार बढ़ाई जाती है, यौगिक प्रक्रियाओंका रूप क्या है, गृहस्थीमें रहते हुए कैसे ब्रह्मचर्य-पालन किया जा सकता है आदि बातें खूब समझाकर स्पष्ट लिखी गयी हैं।

# कुत्सित जीवन

लेखक—महात्मा गाँधी

यह पुस्तक अपने विषयमें अद्वितीय है। इसका प्रमाण यही है कि यह संसारके सर्वश्रेष्ठ पुरुष महात्मा गान्धीद्वारा लिखी गई है। मानव-जातिको नैतिक जीवन देनेवाली यह पुस्तक बड़ी ही सुन्दर है। इसमें महात्माजीने यह भलीभाँति अंकित किया है कि आत्मसंयम ही जीवनका धर्म है। नर और नारीके बीचका स्वाभाविक सम्बन्ध वह है जो भाई-बहन, माँ और बेटे तथा बाप एवं बेटीमें होता है। पति और पत्नीमें भी कामका आकर्षण अस्वाभाविक और अप्राकृतिक है। विवाहका उद्देश्य दम्पतिके हृदयोंसे विकारोंको दूर कर उन्हें ईश्वरके निकट ले जाना है। मू० ।।।)

# क्रान्ति युग की चिनगारियँ

क्रान्तिके इस युगमें प्रत्येक भारतवासीको यह जानना जरूरी है कि देशके भीतर तथा बाहर क्या हो रहा है तथा भविष्यके लिये हमारा क्या कर्त्तव्य है। भूतपूर्व राष्ट्रपति पं० जवाहरलाल नेहरू तथा अन्यान्य बड़े बड़े राजनीतिज्ञोंके उद्गार इस पुस्तकमें पढ़कर पाठकगण जान सकेंगे कि भारतके सामने कैसा भयंकर समय उपस्थित है और इस जीवन-मरणके समस्याकालमें किस मार्गपर चलनेसे उसकी रक्षा हो सकती है। जहाँ यह पुस्तक आपको यह बतलावेगी कि आप कैसे रोमांचकारी संकटमें फँसे हैं, वहाँ उसका सुगम रास्ता भी बतलावेगी। देशके भीतर तथा बाहर चारो ओर भयंकर आग लगी हुई है, इस मुसीबतमें प्राण बचाने का रास्ता जान लेना नितान्त आवश्वक है। उस रास्तेका ज्ञान पाठकोको यही पुस्तक करावेगी। मूल्य— १॥)

# साम्यवाद का बिगुल

लेखक—शिक्षा-मंत्री श्रीसम्पूर्णानन्दजी आचार्य नरेन्द्रदेव आदि

प्रस्तुत पुस्तकमें साम्यवादपर प्रसिद्ध कांग्रेस साम्यवादी आचार्य नरेन्द्रदेव, श्रीसम्पूर्णानन्द, श्री श्रीप्रकाश, श्री जयप्रकाश नारायण, सेठ दामोदर स्वरूप और श्री गोविन्द सहायके लेख संग्रह किये गये हैं। हर लेखकने अपने अपने लेखोंमें अपने अपने तरीके से साम्यवादके विभिन्न पहलुओपर प्रकाश डालने तथा साम्यवादी सिद्धान्त और तरोको को ही आर्थिक समस्या हल करनेका एकमात्र साधन सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है।

यवादके विरुद्ध जो अनेक प्रकारकी शंकायें की जाती हैं और आपत्तियां उठायी जाती हैं उनका साधन करनेका भी प्रयत्न इस पुस्तकमें किया गया है। इस समय जब देशमें साम्यवादकी चर्चा जोरोंसे चल रही है प्रस्तुत पुस्तक से पाठकों को साम्यवायकी बहुत सी बातों को जानने और समझने में सहायता पहुँचेगी। पुस्तक सामयिक अतएव उपयोगी है। पाठकों को इससे लाभ उठाना चाहिये। 'प्रताप' मूल्य १)

# कांग्रेस का सचित्र इतिहास

इसमें विभिन्न विद्वानों के लेख होने के कारण कांग्रेस की विभिन्न समस्याओं पर विभिन्न दृष्टि कोण द्वारा प्रकाश डाला गया है। पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें झण्डाभि-वादनसे लेकर 'कांग्रेम और किसान' 'कांग्रेस और मजदूर 'कांग्रेस और देशी राज्यों की प्रजा' कांग्रेस और औद्योगिक उन्नति आदि—महत्वपूर्ण विपयों पर भी प्रकाश डाला गया है। जो कांग्रेस और देश को ५० वर्षों की गति विधि से परिचित होना और उसे समझाना चाहते हैं उनके लिये यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। मूल्य १)। साप्ताहिक "प्रताप" १९३६।

मिलने का पता—काशी-पुस्तक-भण्डार, चौक, वनारस।

# छपाई हमारे यहाँ होती है

यदि आप ठीक समय पर और सुन्दर से सुन्दर हिन्दी पुस्तकों की छपाई घर बैठे कराना चाहे तो बेखटके हमें लिखिये।

मैनेजर—खगेश प्रेस, बडा गणेश, काशी।